भ्रष्टाचार से प्रभावित आमजन

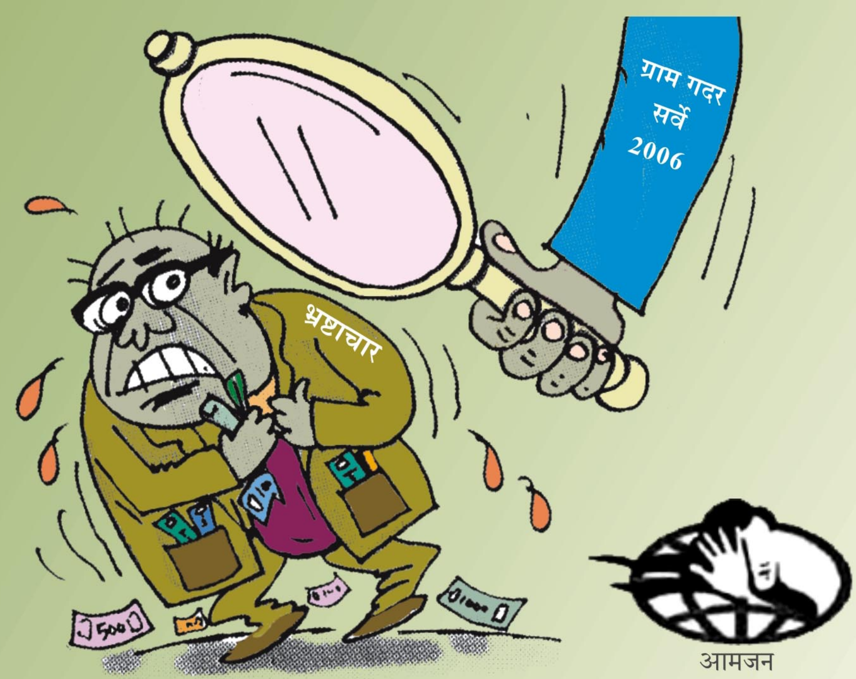

भ्रष्टाचार के विभिन्न आयामों पर कट्स का प्रकाशन

CUTS
International

भ्रष्टाचार से प्रभावित आमजन

years
1983
2008
CUTS
International

कट्स सेन्टर फॉर
कन्ज्यूमर एक्शन
रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग

भ्रष्टाचार से प्रभावित आमजन

प्रकाशक

CUTS International

कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी (कट्स)

डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016
फोन : 91-141-2282821, फैक्स : 91-141-2282485
ई-मेल : cuts@cuts.org
वेबसाइट : www.cuts-international.org

लेखन एवं शोध

कट्स सेन्टर फॉर कन्ज्यूमर एक्शन, रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग

डी-222, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016
फोन : 0141-5133259, 2282821
फैक्स : 0141-2282485, 5104258
ई-मेल : cart@cuts.org
वेबसाइट : www.cuts-international.org

© CUTS International 2008

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
अध्याय-1 . भ्रष्टाचार : ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य	1
अध्याय-2 . सर्वेक्षण 'कट्स' इन्टरनेशनल, जयपुर द्वारा आम जनता के माध्यम से भ्रष्टाचार पर करवाये गये सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट (कुल 171 सर्वे पत्र पर आधारित)	14
अध्याय-3 . भ्रष्टाचार के घटित महत्वपूर्ण मामले	19
अध्याय-4 . विश्व में स्थिति	23
अध्याय-5 . भारत में स्थिति	28
अध्याय-6 . राजस्थान में स्थिति	48
अध्याय-7 . राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक तंत्र	53
अध्याय-8 . गैर-सरकारी भ्रष्टाचार निरोधक तंत्र	96
अध्याय-9 . भ्रष्टाचार रोकथाम में न्यायालयों की भूमिका	101
अध्याय-10 भ्रष्टाचार निरोधन के लिए कारगर सुझाव	103
अध्याय-11 निष्कर्ष	128

अध्याय-1

भ्रष्टाचार : ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

भ्रष्टाचार का अर्थ

भ्रष्टाचार का शाब्दिक अर्थ है भ्रष्ट अथवा बिगड़ा हुआ आचरण। लोक प्रशासन में इसका अभिप्राय ऐसे आचरण से है, जिसकी आशा लोक सेवकों से नहीं की जाती। यदि लोक प्रशासन अपनी शक्ति, सत्ता और स्थिति का प्रयोग जन सामान्य के लाभों की अपेक्षा अपने व्यक्तिगत लाभों के लिए करने लगे, तो इसे भ्रष्ट आचरण माना जाएगा। भ्रष्टाचार अनेक प्रकार का हो सकता है: उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति का कोई कार्य कर देने या न करने के लिए किसी प्रकार का आर्थिक लाभ लेना, अपने सम्बन्धियों को नौकरी दिलाना, कोई भी भेंट स्वीकार करना, बेईमानी, गबन, रिश्वत, अनुचित एवं अवैध रीतियों से पैसा लेना तथा अपनी सरकारी स्थिति और प्रभाव का स्वार्थ-सिद्धी के लिए दुरुपयोग करना आदि।

दूसरे शब्दों में भ्रष्टाचार का तात्पर्य 'किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने सार्वजनिक पद अथवा स्थिति का दुरुपयोग करते हुए किसी प्रकार का आर्थिक या अन्य लाभ उठाना है। यह ऐसा व्यवहार है जिसमें सरकारी कर्मचारी व्यक्तिगत आर्थिक लाभ उठाने के लिए सार्वजनिक कर्तव्यों से विचलित होता है अथवा नियमों का ऐसा उल्लंघन करता है ताकि कुछ विशेष प्रकार के निजी लाभ प्राप्त हो सकें।'

भ्रष्टाचार का अर्थ दो रूपों में व्यक्त किया जा सकता है 'संकीर्ण' एवं 'व्यापक'। संकीर्ण रूप में इसका अर्थ केवल घूस अथवा अनैतिक रूप से आर्थिक लाभ प्राप्त करना माना जाता है। भ्रष्टाचार के व्यापक रूप में अपने निजी स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक पद अथवा सत्ता का दुरुपयोग करते हुए नकद धनराशि अथवा भेंट और उपहार के रूप में बेईमानी से प्राप्त लाभों का समावेश होता है।

भ्रष्टाचार का संबंध उन गतिविधियों से है, जो किसी समुदाय विशेष के सदस्यों द्वारा किसी स्थान विशेष तथा समय विशेष में अस्वीकृत होता है। जो कार्य आज भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है, सम्भवतया कल वहीं कृत्य परम्परा के रूप में स्वीकृत हो जाए। इस प्रकार

एक समाज में भ्रष्ट समझा जाने वाला कृत्य दूसरे समाज में आम रूप से स्वीकार्य हो। वर्तमान समय में भ्रष्टाचार संबंधी इस विश्लेषण का महत्व इस कारण से अधिक बढ़ जाता है, कि यह एक जटिल तथा विषाक्त समस्या के रूप में अपनी जड़ें तथा शाखाएं सम्पूर्ण समाज में फैला रहा है। अपने विस्तृत अर्थ में, भ्रष्टाचार में किसी सार्वजनिक पद से अथवा सार्वजनिक जीवन में किसी के द्वारा धारित विशेष पद से सम्बन्धित शक्ति तथा प्रभाव का अनुचित अथवा स्वार्थपरक प्रयोग सम्मिलित है। इस अर्थ में इस समस्या को समाज के नैतिक मूल्यों तथा सामाजिक आर्थिक ढ़ांचे की सम्पूर्ण प्रणाली के संदर्भ में देखे जाने की आवश्यकता है।

भ्रष्टाचार शब्द अंग्रेजी शब्द 'करप्शन' का हिन्दी रूपान्तर है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार ''करप्ट'' शब्द का अर्थ बेइमान अथवा गलत आचरण या व्यवहार का दोषी, जैसे रिश्वत लेना व रिश्वत से प्रभावित होना है। एनसाईक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार भ्रष्ट व्यवहार रिश्वतखोरी को सम्मिलित करता है।

क्या कहता है कानून?

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 161 भ्रष्टाचार की व्याख्या अत्यंत सामान्य रूप से निम्न प्रकार व्यक्त करता है:

''जो कोई लोक सेवक होते हुए या लोक सेवक होने की प्रत्याशा रखते हुए, किसी व्यक्ति से किसी पदीय कार्य करने या करने से प्रवरित रहने के लिए या अपने पदीय कृत्यों के प्रयोग में किसी व्यक्ति को अनुग्रह या अनुग्रह दिखाने के लिए या किसी व्यक्ति की केन्द्रीय या किसी राज्य की सरकार या संसद या किसी राज्य के विधान मंडल में या किसी लोक सेवक के पास उसकी वैसी हैसियत में सेवा या अपसेवा करने या करने का प्रयत्न करने हेतु या पुरस्कार के रूप में किसी प्रकार का पारितोषण जो वैध पारिश्रमिक से भिन्न है, अपने लिये या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रतिगृहित या अभिप्राप्त करता है या प्रतिगृहित करने को रजामन्द होता है, या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करता है, तो वह साधारण व कठोर दोनों भांति में से किसी भांति के कारावास से जिनकी अवधि तीनवर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जाएगा।''

भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1947 की धारा 5(1) किसी लोक सेवक द्वारा अपने कर्तव्य का पालन करने में आपराधिक अवचार को परिभाषित करती है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 निर्वाचन के सम्बन्ध में भ्रष्ट व्यवहार को परिभाषित करती है। भारत सरकार द्वारा गठित संस्थानम समिति के अनुसार ''भ्रष्टाचार''शब्द में सभी अनुचित एवं स्वार्थ भरे प्रयास सम्मिलित होते हैं। ये प्रयास व्यक्ति की उस स्थिति व स्थान को प्रभावित करते हैं। जो उसने सार्वजनिक जीवन में प्राप्त किया है। इसका प्रभाव भी जन सामान्य से जुड़ा हुआ है, यह सामाजिक जीवन में एक विशेष परिस्थिति को उत्पन्न करता है।

कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रचलित भ्रष्टाचार के विभिन्न रूपों का वर्णन किया है। अमेरिका के इलिनायस राज्य के सिनेटर पाल एच. डगलस के अनुसार, भ्रष्टाचार ब्रिटिश लोगों के सार्वजनिक जीवन में इस शताब्दी के पूर्व से ही व्याप्त था। इस बात का कोई भी दावा नहीं कर सकता कि कहीं पर इसे पूर्ण रूप से समाप्त किया जा चुका है।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

(1) वैश्विक संदर्भ

प्राचीन तथा मध्यकालीन युग में भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा पश्चिमी देशों में फैला हुआ था। मिश्र, बेबीलोनिया व यहूदियों में रिश्वत की प्रथा एक गंभीर समस्या थी। प्राचीन यूनान में भ्रष्टाचार व रिश्वतखोरी बहुत धीमी गति से बढ़ी, फिर भी ई.पू. पांचवी शताब्दी तक भ्रष्टाचार सम्पूर्ण यूनान के लोगों की राजनैतिक और आर्थिक क्रियाओं तथा राजनैतिक उदासीनता के साथ जुड़ चुका था।

प्राचीन रोम में भी भ्रष्ट परम्पराएं पूर्ण रूप से प्रचलित थीं। भ्रष्टाचार का यह रूप बाह्य तौर पर क्षतिपूर्ति कर, उपहार, ईनामी पद्धति और औपनिवेशिक वार्षिक आय के रूप में प्रजातन्त्र की सम्पत्ति को बढ़ाता था। प्रान्त का राज्यपाल, जिसे कोई वेतन नहीं दिया जाता था, वह अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रजा की सम्पत्ति का उपयोग करता था। आम चुनावों के समय कार्यालयों, मंत्रीपरिषद् और कचहरी में रिश्वतखोरी अथवा भ्रष्टाचार का आमतौर पर चलन था। जो व्यक्ति सार्वजनिक कार्यों का ठेका लेता था, वह रिश्वत को अपनी आय का साधन समझता था। बड़ी कंपनियां सोने की खानों, जंगलों, करों व चुंगी के संग्रह करने का ठेका देती थी।

मध्य युग में भ्रष्टाचार ने न्याय के फेरबदल और स्थानीय व केन्द्रीय कार्यालयों के माध्यम से वार्षिक आय की लूट-मार का रूप ले लिया। जो व्यक्ति राजा, जागीरदार व नवाबों पर आश्रित जीवन व्यतीत कर रहे थे, वे केवल धन संग्रहित करने वाला यंत्र बन कर रह गए थे। इंग्लैण्ड के न्यायालयों में भ्रष्ट परम्परा आम रूप में विकसित हो चुकी थी।

द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारम्भ तक राजस्व, पुलिस, आबकारी तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग के कर्मचारियों में और विशेष रूप से निम्न श्रेणियों के कर्मचारियों में पर्याप्त मात्रा में भ्रष्टाचार व्याप्त था, जबकि उच्चस्तरीय अधिकारी इस बुराई से अपेक्षाकृत मुक्त थे। राज्य के क्रियाकलापों के क्षेत्र बहुत कम होने, 'महान मंदी' तथा उपलब्ध साधनों की कमी के कारण भ्रष्ट किये जाने या भ्रष्ट होने के अवसर सीमित थे। 1939 से 1945 के दौरान व्यापक युद्ध प्रयासों से संदेहास्पद साधनों द्वारा धन कमाने के अभूतपूर्व अवसर पैदा हो गए थे, जिसमें युद्ध हेतु समस्त प्रकार के सामान तथा ठेकों पर सैकड़ों करोड़ों रुपए का वार्षिक व्यय सम्मिलित था। युद्ध के समय नियंत्रण के अभाव ने रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, पक्षपात आदि के लिए काफी

प्रचुर अवसर प्रदान किये। तत्कालीन सरकारों ने युद्ध प्रयासों को सफल बनाने के लिए अन्य समस्त बातों को गौण समझा। यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत तथा अन्य देशों में भ्रष्टाचार की जड़ें द्वितीय विश्व युद्ध के समय और अधिक मजबूत हुई।

(2) भारतीय संदर्भ

(क) प्राचीन काल

महाभारत में लिखा है कि ऐसे व्यक्ति ही मंत्री के रूप में नियुक्त किये जाते थे जो बुद्धिमान, ज्ञानवान, दयालु व परिपक्व होते थे तथा उन पर राजा द्वारा दिये गये मान-सम्मान व अवमानना का असर नहीं पड़ता था। उस समय पदों पर सहनशील, बहादुर, ईमानदार, पवित्र, सात वासनाओं रहित (शिकार करना, पासे खेलना, बेईमानी करना, गाली गलौच करना, दूसरों को नष्ट करना, बिना किसी कारण के सोच-विचार करना, कविता लिखना आदि से मुक्त) को नियुक्त किया जाता था।

दूसरे देशों की भांति प्राचीन भारत में भी प्रशासन में भ्रष्टाचार के तत्व मौजूद थे। प्राचीन भारत के न्याय प्रशासन के संदर्भ में यद्यपि न्यायिक भ्रष्टाचार के अंश विद्यमान थे, तथापि न्यायाधीशों के लिए स्थापित स्तर बहुत ऊँचा था। वे विद्वान, धार्मिक, धैर्यवान, शांत स्वभाव के तथा जहां तक संभव हो पक्षपातहीन होते थे।

अर्थशास्त्र में यह सलाह दी गई थी कि न्यायाधीशों की ईमानदारी को अभिकर्ताओं के माध्यम से समय-समय पर जांचा जाना चाहिए। विष्णु स्मृति के अनुसार किसी भी न्यायाधीश के पास बड़ी मात्रा में सम्पत्ति होना भ्रष्टाचार तथा अन्याय का प्रतीक था। अर्थशास्त्र के मंत्रियों की नियुक्ति में उनकी चारित्रिक विशेषताओं के विश्लेषण सम्बन्धी

अध्याय में कौटिल्य लिखते हैं- 'विद्वानों ने यह निश्चित किया है कि पवित्रता के संदर्भ में, राजा को उन कर्मचारियों को मंत्री पद पर नियुक्त करना चाहिए, जिनके चरित्र को जिन्दगी के चार अध्यायों के अन्तर्गत जांचा जा चुका हो- धर्म, धन, प्रेम तथा भय'। कौटिल्य के एक और अध्याय, जिसका शीर्षक 'सरकारी कर्मचारियों द्वारा सरकारी राजस्व से लिए जाने वाले अवैध धन का वर्णन' है, जिसे भ्रष्टाचार तथा उससे सम्बन्धित दण्डों की आधुनिक सरकारी रपट के रूप में पढ़ा जा सकता है।

कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार, ''जिस प्रकार जिह्वा के ऊपर लगे शहद के बारे में कोई यह कहे कि उसने उसका स्वाद नहीं लिया है, उसी प्रकार सरकारी नौकरों के बारे में यह कहना असंभव है कि उसने राजा के धन को बिल्कुल भी न लिया हो। जिस प्रकार तालाब की मछली के लिए यह कह पाना कठिन है कि उसने तालाब का पानी पिया है या नहीं, उसी प्रकार सरकारी कर्मचारियों के लिए यह कह पाना अत्यंत कठिन है कि उन्होंने रिश्वत ली है

अथवा नहीं।'' उस युग में सरकारी कर्मचारियों के संबंध में कौटिल्य के विचार यह सोचने पर विवश करते हैं कि तत्कालीन स्थितियां काफी हद तक वर्तमान स्थितियों से मिलती-जुलती थीं। शत्रु सेना को झूठ बोलकर, रिश्वत देकर या झूठे वादे करके तथा अन्य कई तरीकों से बहलाया फुसलाया जाता था तथा उन्हें अपनी सेना में शामिल कर लिया जाता था। नि:सन्देह इस प्रकार की व्यूह रचना प्राचीन भारतीय शासकों में प्रचलित थी। तब भी भ्रष्टाचार समाज के आम वर्ग से अलग था, परंतु यह सार्वजनिक जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर देता था।

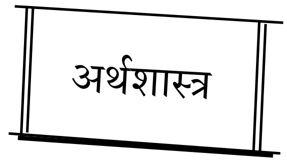

कौटिल्य के अनुसार पुलिस विभाग कभी भी पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं रहा। कर्मचारी कभी भी पूर्णत: ईमानदार नहीं थे। उनका व्यवहार कभी भी संतोषजनक नहीं था। वे हमेशा ज्यादा से ज्यादा धन बटोरने के फेर में रहते थे। वे रिश्वत ग्रहण करने में निपुण होते थे तथा उनमें से कई स्वतन्त्र रूप से शराब पीते तथा वे भ्रष्टाचार के सभी तरीकों को अपनाते थे।

गुप्तकाल में भ्रष्टाचार इतने व्यापक पैमाने पर नहीं था। सरकारी कर्मचारियों के वेतन निश्चित थे तथा प्राय: वे रिश्वतखोर नहीं होते थे। न्याय निष्पक्ष किया जाता था तथा अपराध व षड़यंत्र बहुत कम मात्रा में होते थे।

हर्षवर्धन काल तक केन्द्रित शक्ति कमजोर हो चली थी तथा साम्राज्यवाद की शुरूआत हो गई थी। प्रशासन में स्थानीय तत्वों की संख्या बढ़ गई थी तथा सरकारी कर्मचारियों के अधिकार बढ़ गये थे। अत: भ्रष्टाचार भी बढ़ा तथा लोक कल्याण की प्राय: उपेक्षा कर दी जाती थी। सातवीं व आठवीं शताब्दी में सरकारी कर्मचारियों में भ्रष्टाचार व्यापक रूप से फैला हुआ था। भ्रष्टाचार की हद यहां तक थी कि वे मंदिरों से भगवान की मूर्तियां उठाने में भी नहीं हिचकिचाते थे।

(ख) मुगल काल

एलेक्जेण्डर हेमिल्टन अपनी पुस्तक 'न्यू अकाउण्ट ऑफ द ईस्ट इण्डिया' (1774) में लिखते हैं, ''कानून मुसलमानों के हाथ में है तथा वे उसे न्याय बांटते हैं जो उसकी सबसे अधिक कीमत चुका सकता है।'' न्यायाधीश का हिस्सा कुल राशि का 25 प्रतिशत होता था। उसी पक्ष की दलीलें सर्वाधिक उचित मानी जाती थी जो कि रिश्वत के रूप में अधिकाधिक राशि देता था। न्याय भी ऐसे ही व्यक्ति या दल के पक्ष में किया जाता था। निष्पक्ष न्याय का उदाहरण कभी-कभी ही सामने आ पाता था।

मुगल साम्राज्य के स्वर्णकाल में भी प्रशासन में भ्रष्टाचार व्यापक पैमाने पर विद्यमान रहा। 1526 से 1530 के समय में बाबर ने अपने साम्राज्य के टुकड़े- टुकड़े करके जागीरदारों को सौंप दिए। ये जागीरदार अपनी मनमानी करने लगे तथा प्रजा को अधिक से अधिक मात्रा में

कर देने पर मजबूर करने लगे। भ्रष्टाचार इतना फैल गया था कि छोटी-छोटी नौकरी भी बिकती थी।

शेरशाह के शासन काल में अपराध तथा भ्रष्टाचार कम था। कहा जाता है कि उसके शासन काल में एक बुढ़िया अपने सिर पर आभूषणों की गठरी रखकर बिना किसी भय के यात्रा कर सकती थी। इतना होते हुए भी मुसलमान शासकों में छल-कपट तथा भ्रष्टाचार कूट-कूट कर भरा था। स्वयं शेरशाह सूरी के बारे में कहा जाता है कि वह एक कपटी तथा धोखेबाज व्यक्ति था। उसने हुमायूं तथा दूसरे शत्रुओं के विरूद्ध लड़ते समय भी छल-कपट से काम लिया था।

अकबर के काल में यद्यपि केन्द्र का नियंत्रण सुदृढ़ रूप से स्थापित था, तथापि प्रशासनिक व्यवस्था के इस प्रकार विकेन्द्रित हो जाने के कारण भ्रष्टाचार का प्रचलन था।

औरंगजेब के समय में प्रशासनिक व्यवस्था अकुशल, कठोर तथा भ्रष्ट थी। यहीं व्यवस्था मुगल साम्राज्य के पतन का कारण भी बनी।

सोलहवीं शताब्दी के अंत तक भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर था। इस काल के बारे में अंग्रेज लेखक सर थॉमस रो ने लिखा है- ''भारत के लोग समुद्र में रहने वाली मछलियों के समान रहते हैं। जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, बड़े किसान छोटे खेतीहर मजदूरों को लूटते हैं, भद्रजन किसानों को लूटते हैं, बड़े वर्ग के लोग छोटे वर्ग के लोगों को लूटते हैं और राजा सभी लोगों को लूटता है।''

भ्रष्टाचार के संदर्भ में पुर्तगालियों के समय 1542 में एक अधिकारी ने कहा था- 'न्यायालयों में न्याय बेच दिया गया था तथा यदि अपराधी न्यायाधीश को प्रभावित कर पाने में सफल हो जाता था तो गंभीर अपराधों को छुपा लिया जाता था। धन बटोरने के सभी तरीके वैध घोषित कर दिये गये थे तथा इनकी खुली पैरवी की जाती थी।''

अत: यह कहा जा सकता है कि मुगल काल के अंत तक आते-आते प्रशासन का प्रत्येक स्तर तथा समाज का प्रत्येक वर्ग भ्रष्टाचार से प्रभावित था तथा उसकी चपेट में था।

(ग) ब्रिटिश काल

ब्रिटिशकाल भी भ्रष्टाचार से अछूता नहीं रहा। सन् 1757 के युद्ध के पश्चात् ईस्ट इंडिया कम्पनी ने भारी मात्रा में धन व उपहारों के अतिरिक्त कर मुक्त व्यापार की सुविधा प्राप्त कर ली तथा इसे अपने नाम से भारतीय व्यापारियों को अवैध लाभ पहुंचाने में उपयोग करने लगे। कंपनी का छोटे से छोटा कर्मचारी भी भ्रष्ट तरीके से लाभ प्राप्ति में जुड़ा हुआ था। फलत: राजकोष को भारी नुकसान पहुंचता था। 1764 ई. के बक्सर युद्ध से पूर्व की गई संधि के अनुसार ईस्ट इंडिया कम्पनी ने उससे बड़ी मात्रा में घूस ली। कंपनी ने यह परिपाटी सी बना ली थी कि जो भी शासक उनके आर्थिक हितों तथा अनुचित कृत्यों के बीच आता था, उसे

वे छल व कपट से सत्ता से हटा देते थे। प्लासी और बकसर के युद्ध में नवाबों की पराजय उनकी कमी के कारण नहीं, बल्कि अंग्रेजों के भ्रष्ट आचरण के कारण हुई थी। अंग्रेजों ने स्थानीय शासकों के सुरक्षा कवच के नाम पर भारतीय नरेशों के खर्च पर अंग्रेजी सेनाएं राज्यों में रख ली थी। लार्ड वैलेजली ने सहायक संधि प्रथा तथा लार्ड डलहौजी ने गोद निषेध प्रथा के माध्यम से भारतीय शासकों से उचित व अनुचित सभी प्रकार से धन हड़पा। शासन के प्रत्येक स्तर पर कंपनी के कर्मचारी भ्रष्ट आचरण को अपनाए हुए थे।

इच्छित धन प्राप्ति नहीं होने पर अवध को कुशासन के नाम पर हड़प जाना ईस्ट इंडिया कंपनी के भ्रष्ट आचरण का सर्वोच्च उदाहरण है। 1857 ई. के क्रांतिकारी आंदोलन के समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी आर्थिक शोषण के सभी हथकण्डे अपना चुकी थी। अंग्रेजों की मांगों को पूरा करने के लिए भारतीय शासकों द्वारा जन कार्यों की तिलांजलि देकर अनावश्यक व अनिश्चत रूप से अपनी प्रजा पर अत्याचार करने पड़े।

ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में असंख्य अंग्रेज नागरिकों तथा सैनिक अधिकारियों को कंपनी की नौकरी के रूप में ऐसा कल्पवृक्ष मिल गया था, जिससे वे असीमित मात्रा में धन बटोर कर अपने घरों को लौटते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के किसी भी कर्मचारी के लिए यह साधारण सी बात थी कि वह अपने रिश्तेदारों से सौ अथवा दो सौ पौण्ड लेकर भारत आए और कुछ वर्षों पश्चात् इंग्लैण्ड लौटकर किसी उच्च कुल के व्यक्ति की बेटी से विवाह कर लें और कॉर्नवाल में एक बड़ा सा मकान खरीदे।

सर आइरिस बटलर ने मारक्यूज वेलेजली की नई आत्मकथा में लिखा है कि पैसा बनाने की प्रक्रिया में उन्होंने भ्रष्टाचार की ओर से आंखें मूंद ली। ईस्ट इंडिया कंपनी में भ्रष्टाचार की इतनी विकट समस्या इंग्लैण्ड की तत्कालीन भ्रष्ट राजनैतिक दशा का परिणाम थी। उस काल में इंग्लैण्ड भ्रष्टाचार, घूसखोरी तथा भाई-भतीजावाद का गढ़ बना हुआ था। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक कोषों, ठेकेदारों से नकद हिस्सा लेकर अपना भाग्य बना सकता था, ताकि ठेकेदार उसके बदले में सेना को अपना सामान तथा उपकरण बेच सके। इंग्लैण्ड में कई अमीर परिवारों का भविष्य इन्हीं धोखा-धड़ियों, गबन तथा भ्रष्टाचार के माध्यम से संवरा था।

भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के शासन नियंत्रण के पश्चात् परिस्थितियों में कुछ परिवर्तन आया। इंस्लिंग्टन आयोग ने सिफारिश की थी कि भ्रष्टाचार रोकने का एक ही सुरक्षित तरीका हो सकता है कि सरकार अधिक वेतन दे तथा इतना अधिक वेतन दे कि ना केवल योग्य अधिकारियों को सेवाओं की ओर आकर्षित किया जा सके, बल्कि उन्हें आराम तथा सम्मान का वह स्तर प्रदान किया जा सके जिससे वे भ्रष्ट होने से बचे रहें। बड़ी संख्या में अधीनस्थ अधिकारी, जैसे सब इंस्पेक्टर, उप रजिस्ट्रार, उप न्यायाधीश आदि भ्रष्ट समझे जाते थे ।

19वीं तथा 20वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन के अन्तर्गत भ्रष्टाचार तथा भाई भतीजावाद ने अजीब स्वरूप ग्रहण किया। प्रशासन के निम्न स्तर पर दैनिक लाभों की प्राप्ति, विशेष तौर

पर यदि वे किसी विशेष प्रयास के बिना प्राप्त हो जाते थे, मुश्किल से ही भ्रष्टाचार की श्रेणी में गिने जाते थे। यदि किसी पुलिस के व्यक्ति को बुलावा आने पर किसी गांव में जाना पड़ता था तो वह स्वाभाविक माना जाता था कि उसे उसके प्रवास के दौरान आवास तथा भोजन की पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। परंतु यदि कोई उच्चाधिकारी गांव के दौरे पर जाता था तो वह भोजन तथा आवास की सेवाएं स्वीकार नहीं करता था। यहां तक कि वह अपने घोड़े के लिए घास का गट्ठर भी बिना भुगतान किए स्वीकार नहीं करता था।

एक उत्तरदायी अधिकारी द्वारा तुच्छ भेंट स्वीकार किए जाने के संबंध में भी दोहरा मापदण्ड था। भारतीय लोक सेवाओं के परिवीक्षकों को बराबर यह ध्यान दिलाया जाता था। यदि यह पाया जाता था कि उन्होंने, चाहे अनिच्छापूर्वक ही, कोई भेंट स्वीकार की है। चाहे वह छोटा तरबूज हो अथवा एक गिलास मक्खन वाला दूध, उन्हें समय-समय पर फटकारा भी जाता था। यद्यपि किसी अधिकारी को सेवा निवृति के समय यादगार स्वरूप दिये जाने वाले उपहार स्वीकार किए जाते थे। उदाहरण के लिए, बहुत से वायसराय तथा गवर्नर इस बात के लिए प्रसिद्ध रहे कि अपने सेवा के अंतिम काल में वे विदाई भ्रमण पर अपने क्षेत्र के अन्तर्गत गए तथा भारतीय राजाओं, राजकुमारों तथा धनी जमीदारों से कीमती उपहार प्राप्त किए।

(घ) स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्

स्वतंन्त्रता के बाद सत्ता के शांतिपूर्ण अन्तरण के पश्चात् नई लोकप्रिय सरकारों ने देश भक्ति तथा ऊँचे आदर्शों से ओतप्रोत वातावरण में कार्यभार संभाला। कई वरिष्ठ तथा अनुभवी अधिकारियों की सेवाओं के अभाव में प्रशासन को चलाना पड़ा तथापि नई सरकारों ने भ्रष्टाचार की समस्या का निवारण करने में प्रशंसनीय शक्ति का प्रदर्शन किया। भ्रष्टाचार निरोधक इन आरम्भिक प्रयासों के बावजूद बड़ी संख्या में विनियमों, नियंत्रणों, अनुज्ञप्तियों तथा परमिटों के कारण सरकार के आर्थिक क्रियाकलापों के अचानक प्रसार ने नवीन तथा बड़ी संख्या में भ्रष्टाचार के अवसरों को बढ़ाया। सार्वजनिक जीवन में उच्च स्थान धारण करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध शिकायतों पर उस रीति से कार्यवाही नहीं की गई जैसी कि जनता का विश्वास बनाये रखने हेतु की जानी चाहिए थी। इस कमजोरी ने जनमानस में इस धारणा को बढ़ावा दिया कि सरकार भ्रष्टाचार के तो विरूद्ध है, परंतु वे भ्रष्ट व्यक्तियों के विरूद्ध नहीं है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति अपेक्षित मात्रा में शक्ति और प्रभाव रखते हैं तथा उन्हें संरक्षण प्राप्त है।

स्वतन्त्रता पूर्व के प्रशासन का जनता के साथ सीधा सम्पर्क बहुत कम हुआ करता था। परंतु आजादी के पश्चात् स्थिति बदल गई। लोकतंत्रात्मक लोक कल्याणकारी समाजवादी राज्य की स्थापना के उद्देश्य के साथ ही आजादी के पश्चात् सरकार के कंधों पर असीमित मात्रा में कार्यों तथा उत्तरदायित्वों का बोझ आ गया।

प्रशासकों के हाथ में नई-नई योजनाओं के साथ-साथ उन्हें पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में कोष भी सौंपे गए। अब प्रशासन नागरिकों के रोजमर्रा के जीवन को भी प्रभावित करने

लगा, क्योंकि समाज का अधिकांश वर्ग अपने जीवन निर्वाह तथा कार्यों की पूर्ति हेतु किसी न किसी प्रकार, प्रशासकों पर निर्भर रहने लगा। नियोजित अर्थव्यवस्था को अपनाने के फलस्वरूप कागजी तथा वास्तविक आंकड़ों व सफलताओं के अंतर की संभावना अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई।

आजादी के प्रारम्भिक वर्षों में ही भ्रष्टाचार निरोधक कानून तथा निरोधक तंत्र/उपायों की बड़ी मात्रा में स्थापना इस बात को दर्शाती है कि तीव्र तथा व्यापक आर्थिक नियोजन के उन आरम्भिक वर्षों में ही भ्रष्टाचार की समाज पर पकड़ कितनी बढ़ गई थी। सरकार समय-समय पर भाई-भतीजावाद तथा जन सम्पत्ति के दुरूपयोग को रोकने के प्रयासों के आंकड़ों का प्रकाशन करती रहती है। आंकड़े बताते हैं कि भ्रष्टाचार के ऐसे सभी प्रकरणों में सभी स्तर के यथा उदाहरणस्वरूप सचिव, आयुक्त, विभागाध्यक्ष, मुख्य अंभियंता, अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता, पुलिस अधीक्षक, सर्किल इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, लिपिक, चिकित्सक तथा अन्य सभी प्रकार के सरकारी कर्मचारी जिनके पद के साथ सम्मान तथा सत्ता जुड़ी हुई है। यहां तक कि हमें मंत्रियों, विधायकों, सांसदों तक के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप सुनाई पड़ने लगे हैं। इनके खिलाफ समय-समय पर जांच आयोग भी बिठाए जाते रहे हैं, परंतु भ्रष्टाचार के जंजाल में इन सभी जांच आयोगों के परिणाम भी पहले से ही सभी को ज्ञात होते हैं। भ्रष्टाचार का आलम तो यह था कि भ्रष्टाचार निरोधक तंत्रों तथा जांच आयोगों की विश्वसनीयता पर भी अंगुली उठाई जाने लगी है।

भ्रष्टाचार : कारण, प्रकार तथा स्त्रोत

भ्रष्टाचार के कारण, प्रकार तथा स्त्रोत पहलुओं को भारतीय संदर्भ में निम्नलिखित बिन्दुओं में देखा जा सकता है: 1. प्रशासकीय 2. व्यवस्थापिका तथा राजनैतिक 3. सामाजिक 4. आर्थिक

1. प्रशासकीय

हमारी आजादी के संघर्ष में जिन लोगों ने अपना योगदान दिया, आजादी के बाद यह समझा जाने लगा कि उन्हें मंत्री अथवा अन्य प्रशासकीय जिम्मेदारियां सौंपी जानी चाहिए। इस माध्यम से इन स्वतन्त्रता सेनानियों को उनके त्याग तथा राष्ट्र सेवा का प्रतिफल भी मिल जाएगा। साथ-साथ उनके चरित्र तथा उपयुक्तता पर किसी भी प्रकार का संदेह करना देशद्रोहिता के समान समझा गया। इन राजनेताओं की प्रशासनिक अज्ञानता तथा उपेक्षा के कारण लोकसेवकों को भ्रष्टाचार का अवसर प्राप्त हो गया।

अधिकांशत: उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार व्यापारिक वर्गों तथा मंत्रियों के बीच सम्बन्धों के कारण बढ़ा है। पवित्र उद्देश्य के लिए स्थापित सत्ता तथा धन का यह तारतम्य आजादी के पश्चात् निहित स्वार्थों में बदलकर भ्रष्टाचार का भयंकर दावानल बन बैठा।

संथानम समिति ने भ्रष्टाचार पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि प्रशासन तथा सार्वजनिक जीवन में स्वच्छता तभी आ सकती है जबकि केन्द्र तथा राज्यों में मंत्री स्वयं सही उदाहरण प्रस्तुत करें। मंत्री स्तरीय भ्रष्टाचार ने गंभीर रूप ग्रहण कर लिया है। इन मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध कर पाना भी एक दुष्कर कार्य है। यदि भ्रष्ट मंत्री का तीव्र विरोध किये जाने पर उस पर लगे आरोपों की जाँच हेतु कोई आयोग बैठा भी दिया जाता है, तो इस प्रक्रिया में जानबूझ कर इतनी देर की जाती है कि सारे सबूतों को नष्ट किया जा सकता है।

कागज तथा फाईलों को जानबूझ कर एक मेज से दूसरी मेज तक पहुंचने में महीनों की देर लगा दी जाती है ताकि जल्दी कार्य करवाने हेतु कर्मचारियों की हथेलियां गर्म की जाए। दफ्तरों में यह एक सामान्य सी बात बन गई है। यदि आपसे बार-बार यह कहा जा रहा है कि आपकी फाईल गुम हो गई है अथवा आपके कार्य में कई प्रकार की तकनीकी खामियां निकाली जा रही हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि सम्बन्धित अधीनस्थ कर्मचारी अथवा अधिकारी आपको यह संकेत दे रहा है कि यदि समय पर कार्य करवाना है तो उसे रिश्वत दी जाए। कई विभागों में तो स्थिति यह है कि प्रत्येक कार्य के लिए राशि निर्धारित है।

संथानम कमेटी के अनुसार, भ्रष्टाचार वहीं पाया जाता है जहां कोई भ्रष्ट होना चाहता है तथा कोई भ्रष्ट कर सकने में सक्षम है। जो अधिकारी सीधे रूप में धन स्वीकार नहीं करते, उनसे काम निकलवाने हेतु ये दूसरे तरीकों का प्रयोग करते हैं। भ्रष्टाचार फैलाने में यह वर्ग जितना उत्तरदायी है, रिश्वत को स्वीकारने वाले अधिकारी भी इसके लिए उसी मात्रा में उत्तरदायी हैं। अत: भ्रष्टाचार निरोधक तंत्रों तथा प्रयासों की सफलता प्राप्ति हेतु यह आवश्यक है कि वह दोनों पक्षों पर समान रूप से प्रहार करे।

जब प्रशासनिक प्रक्रियाओं में नियंत्रण तथा अवरोध अधिक होंगे तो स्वत: ही भ्रष्टाचार बढ़ेगा। विभिन्न विभागों द्वारा भारी मात्रा में परिमिटों तथा लाइसेंसों को जारी करने के नियम ने प्रशासन में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। स्वयं योजना आयोग ने यह स्वीकार किया है कि सरकारी दफ्तरों में कार्यों में अधिक समय लगाया जाता है। अत: अत्यधिक नियंत्रण व्यापारियों को बाध्य करते हैं कि वे गलत तरीके अपनाएं। यहां तक कि ईमानदार नागरिक भी इन प्रक्रियात्मक बाधाओं से उबकर इनसे जल्दी छुटकारा पाने के लिए इन साधनों को अपना लेता है। इन नियंत्रणों से काला बाजार तथा काले धन को उपजाऊ भूमि प्राप्त होती है। इस प्रकार एक समानान्तर अर्थव्यवस्था अथवा भूमिगत धन का उद्‌भव हो जाता है, जो कि सरकारी नियंत्रण सीमाओं से बाहर हो जाता है।

2. व्यवस्थापिका तथा राजनैतिक

जो भी दल सत्ता में रहता है, उसके पास असीमित रूप से व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ स्वत: नीहित होती हैं। यद्यपि राजनीतिक चुनावों में भ्रष्टाचार रोकने की

अनेकों व्यवस्थाएं दी गई हैं, संसद तथा विधानसभा चुनावों में व्यापक पैमाने पर खुले आम मतदाताओं को प्रभावित करने के अनुचित साधनों पर अवैध स्रोतों से प्राप्त धन लुटाया जाता है। यहां तक आवश्यकता पड़ने पर किसी विशेष उम्मीदवार के पक्ष में ही मतदान के लिए मतदाताओं को डराया-धमकाया भी जाता है तथा उन्हें विभिन्न प्रकार के प्रलोभन दिये जाते हैं। अंतिम रूप से मतदान के दिन उम्मीदवार वाहनों द्वारा मतदाताओं को मतदान केन्द्रों तक पहुँचाते हैं।

प्रत्येक राजनैतिक दल के पास चुनाव कोष होता है। मंत्री स्वयं अपने प्रभाव वाले विभिन्न क्षेत्रों में जाते हैं तथा सहयोग के रूप में चुनाव के लिए चन्दा मांगते हैं। यह धन सामान्यत: बड़ी मात्रा में बड़े औद्योगिक घरानों से प्राप्त होता है। अत: राजनैतिक दल इन घरानों के हाथ के खिलौने बनकर रह जाते हैं। नियमानुसार कोई भी उम्मीदवार अपने दल से चुनाव हेतु जो राशि ले सकता है, वह कुल वास्तविक चुनाव खर्च का मामूली सा भाग होता है। अत: बाकी इंतजाम के लिए उसे स्वयं के पैरों पर खड़ा होना पड़ता है। इस समय बड़े व्यापारी अपनी शर्तों पर अपने काले धन के भंडार में से उस उम्मीदवार को चंदा देकर आर्थिक मदद करते हैं।

विजयी हो जाने की स्थिति में वह उम्मीदवार उस व्यापारिक वर्ग की बातों को मानने के लिए बाध्य है। इसलिए एक बार स्वर्गीय के. अनुमन्थेय्या, पूर्व मुख्यमंत्री, कर्नाटक ने अपने एक साथी को कहा था कि ''मैं कुछ लाख रुपए खर्च करके मुख्यमंत्री बन सकता हूँ तथा एक करोड़ रुपए खर्च कर सकूं तो प्रधानमंत्री की स्थिति प्राप्त कर सकता हूँ।'' यद्यपि इस कथन में कुछ अतिश्योक्ति हो सकती है, परंतु चुनावों में धन की भूमिका तथा आर्थिक भ्रष्टाचार को स्पष्ट करने के लिए यह कथन पर्याप्त है।

चुनावों के पश्चात् विजयी दल की नीतियां चुनावी घोषणा पत्र से अधिक उन सभी निजी हित वर्गों की स्वार्थपूर्ति से प्रेरित होती हैं, जिन्होंने चुनावों के दौरान दल की मदद की थी। आवश्यकता पड़ने पर तत्संबंधी कानून बनाने से भी सत्ताधारी दल हिचकता नहीं है।

भ्रष्टाचार का यह स्वरूप सीधे-सीधे सम्पूर्ण राष्ट्र के राजनैतिक वातावरण को दूषित करता है तथा राजनेताओं की विश्वसनीयता पर प्रश्न लगाता है। राजनीति को लाभकारी व्यवसाय के रूप में स्वीकारने की प्रवृत्ति में जनहित की पूर्णत: उपेक्षा हो गई है, क्योंकि भ्रष्टाचार का अवसर मिलने पर प्रत्येक दल तथा उसका प्रत्येक सदस्य एक प्रकार से अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास करने लगता है।

3. सामाजिक कारण

भ्रष्टाचार के सामाजिक कारणों में मुख्य रूप से महत्वपूर्ण कारण युद्ध है। युद्ध की स्थितियां हर प्रकार के भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती हैं। अवसर का फायदा उठाने की प्रवृत्ति इस सीमा तक

बढ़ गई कि कुछ लोगों ने युद्ध के दौरान इतना लाभ कमाया कि उनके भाग्य ही बदल गए, जबकि लोग अपने जीवन से संघर्ष कर रहे थे।

सामाजिक नैतिकता को कानून के माध्यम से मजबूरन स्थापित करने का प्रयास भारतीय नेताओं में पर्याप्त रूप से लोकप्रिय रहा है। इन थोपे हुए कानूनों ने भ्रष्टाचार तथा अपराधों के लिए नई भूमि प्रदान की है। इसका सबसे सटीक उदाहरण है मद्यनिषेध को सरकारी तौर पर लागू किया जाना। फलस्वरूप अवैध रूप से शराब निर्माण, नकली बोतलों में शराब की भराई, विदेशी शराब की तस्करी दैनिक जीवन का अंग बन गए। समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त व्यक्ति कानून व नियम लागू करने वाले व्यक्तियों को खरीद कर काफी धनवान बन गए। विशेषकर पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार इतना सामान्य हो गया कि मद्यनिषेध का यह प्रयोग असफल सिद्ध हुआ। फलस्वरूप कई राज्यों में मद्यनिषेध हटा लिया गया।

भारत में सार्वजनिक जीवन स्तर इतना गिर गया है कि व्यक्ति का स्तर तय करते समय यह नहीं देखा जाता कि वह क्या है, बल्कि यह देखा जाता है कि उसके पास क्या है? एक ईमानदार सरकारी अधिकारी, जो कि प्रोविडेन्ट फण्ड व अपनी छोटी सी बचत का कोष लेकर सेवानिवृत होता है, सार्वजनिक रूप से मूर्खता का पात्र समझा जाता है। जबकि वह व्यक्ति जो भ्रष्टाचार से कमाई भारी दौलत के साथ सेवानिवृत होता है उसे बुद्धिमान कहा जाता है। परिणामस्वरूप व्यक्तिगत स्तर पर अधिकारियों में भ्रष्ट होने की प्रवृत्ति बढ़ती है। यद्यपि यह सही है कि अधिकारी, जो कि सरकारी मशीनरी को चलाते हैं, समाज का बहुत छोटा सा वर्ग है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि भ्रष्टाचार को हटाने के प्रयास तब तक नहीं किए जाएं, जब तक कि सम्पूर्ण समाज शुद्ध नहीं हो।

जातिवाद तथा सम्प्रदायवाद, भ्रष्टाचार को बढ़ाने के अन्य पहलू हैं। यह सामान्यत: चुनावों के समय अधिक प्रभावी होते हैं। समान जाति अथवा सम्प्रदाय के व्यक्ति को नौकरी देना सामान्य बात समझी जाने लगी है। यहां तक कि न्यायाधीशों की नियुक्ति तक में कार्यपालिका को यह तत्व प्रभावित करने लगे हैं।

सांस्कृतिक क्षेत्र में भी भ्रष्टाचार समान रूप से बढ़ रहा है। विदेशों को भेजे जाने वाले प्रतिनिधि मंडलों का चयन, कलाकृतियों की खरीद जैसे चित्र तथा मूर्तियां, नृत्य, संगीत तथा गायन के दलों का अन्तर्राष्ट्रीय उत्सवों में चयन, कलाकारों, लेखकों का पुरस्कार हेतु चयन आदि मामलों में पर्याप्त रूप से भ्रष्टाचार पनप चुका है। सामान्यत: किसी समाज के विकास की तीव्र गति के साथ भ्रष्टाचार जुड़ा रहता है। संथानम कमेटी के अनुसार आधुनिकीकरण तथा शहरीकरण ने भ्रष्टाचार की वृद्धि में सहयोग दिया है। यह मूल्यों तथा मानकों के पुराने तंत्र के टूटने तथा उसके स्थान पर किसी भी स्वस्थ नये तंत्र के उत्पन्न होने के अभाव के कारण हुआ।

साम्राज्यवादी प्रमाण यह दर्शाते हैं कि भ्रष्टाचार का शिक्षा से कोई संबंध नहीं है। बल्कि देखा जाए तो लगभग सभी भ्रष्ट व्यक्ति अच्छे पढ़े-लिखे हैं। साक्षरता आवश्यक रूप से शुद्धता नहीं लाती। उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्तियों से किसी भी प्रकार कम या अधिक अच्छे चरित्र के नहीं होते। समाज द्वारा भ्रष्टाचार को सहन करते रहने की प्रवृत्ति भ्रष्टाचार को बढ़ाने में सबसे अधिक मददगार साबित हुई है। यदि जनता द्वारा राजनेताओं के दुष्कृत्यों पर विरोधपूर्ण तीव्र प्रकाश डाला जाएगा तो निश्चित रूप से यह अन्य व्यक्तियों द्वारा किये जाने वाले भ्रष्टाचार को कम करेगा।

4. आर्थिक कारण

अपर्याप्त आय भ्रष्टाचार का मूल कारण है। मुद्रा स्फीति में सीमित आय में जीवन निर्वाह अत्यंत कठिन हो जाता है। आय के अतिरिक्त स्रोत के अभाव में भ्रष्टाचार बढ़ता है। कभी-कभी ऐसे हालातों में भ्रष्ट तरीकों को अपनाना लोक सेवकों के लिए आवश्यक हो जाता है।

अक्सर लोक सेवक अपना आवश्यकताओं और इच्छाओं में फर्क नहीं कर पाते। फलत: आवश्यक व अतिरिक्त खर्चीलापन उन्हें भ्रष्ट तरीकों से पैसा बटोरने को प्रेरित करता है। दूसरी ओर विलासितापूर्ण खर्च कीमतों में वृद्धि का कारण बनता है। यह भी कहा जाता है कि कठोर कर प्रणाली तथा बढ़ा हुआ कर भ्रष्टाचार का एक और कारण है। भारत उन देशों में से है जहां कर दर उच्च है। अत: जनता कर अपवंचन के सभी संभव उपाय ढूंढ़ती है, जो कि काले धन को बढ़ावा देने का ठोस कारण है।

लोकसेवकों को जो वेतन दिया जाता है, वह उनके जीवन निर्वाह के लिए इतना अपर्याप्त होता है कि सेवानिवृति के पश्चात् की बचत हेतु गुंजाइश ही नहीं बचती। दूसरी ओर केन्द्र तथा राज्य सरकारों की ओर से भी सेवानिवृति के पश्चात् की कोई लाभकारी ठोस व्यवस्था नहीं की गई है। अत: बुढ़ापे की सुरक्षा की दृष्टि से ये अधिकारी व कर्मचारी सेवाकाल में ही अतिरिक्त व्यवस्था करने का प्रयास करने लगते हैं। कुछ कर्मचारी सेवानिवृति के पश्चात् निजी क्षेत्र में कार्य पाने की जुगाड़ बिठाते हैं तथा बदले में निजी क्षेत्र के व्यवसायियों को अपने सेवाकाल में अपने पद के प्रभाव स्वरूप अनुचित लाभ प्रदान करते हैं। सेवाकाल में ये कर्मचारी सम्पर्क सूत्र बनाने का प्रयास करते हैं।

सरकारी सेवाओं के नियमों के अनुसार कर्मचारियों को सेवाकाल में व्यक्तिगत व्यापार निषेध किया गया है। अत: कर्मचारी अपने निश्तेदारों के नाम पर अप्रत्यक्ष रूप से निजी व्यापार आरम्भ कर देते हैं तथा अपने पद का निजी लाभ तथा निजी सम्पर्क बनाने में उपयोग करते हैं।

अध्याय-2

सर्वेक्षण

'कट्स' इन्टरनेशनल, जयपुर द्वारा आम जनता के माध्यम से भ्रष्टाचार पर करवाये गये सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट (कुल 171 सर्वे पत्र पर आधारित)

'कट्स' इन्टरनेशनल, जयपुर द्वारा करवाये गये आम जन के सर्वे के अन्तर्गत 33 प्रतिशत व्यक्तियों का मानना है कि प्रशासन में भ्रष्टाचार की शुरूआत अधिकारी वर्ग से होती है, 29 प्रतिशत लोग इसके लिए जनप्रतिनिधियों को दोषी ठहरा रहे हैं, 23 प्रतिशत लोगों ने स्वीकार किया है कि चपरासी भ्रष्टाचार की शुरूआत करते हैं एवं 16 प्रतिशत लोग क्लर्क वर्ग को दोषी ठहराते हैं तथा 0.5 प्रतिशत व्यक्तियों का कोई मत नहीं है। 56 प्रतिशत जनसमुदाय का मानना है कि सर्वाधिक भ्रष्टाचार शहरों में व्याप्त है, 38 प्रतिशत लोग मानते हैं कि यह तहसील मुख्यालय पर है, जबकि 6 प्रतिशत लोग ही इसे गांवों में सर्वाधिक मानते हैं। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कारगर ढ़ंग से जो सहायक हो सकते हैं, उनका आमजन के मतानुसार विवरण:

1. सामान्य जन
2. सूचना के अधिकार का प्रयोग
3. भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रचार अभियान
4. भ्रष्टाचार निरोधक तंत्र
5. न्यायपालिका
6. नौकरशाही
7. राजनीतिज्ञ

67 प्रतिशत जनता का मानना है कि भ्रष्ट कर्मचारी को नौकरी से निलम्बित कर देना चाहिए, 29 प्रतिशत जनता का कहना है कि भ्रष्ट कर्मचारी के खिलाफ न्यायालय में कार्यवाही की जानी चाहिए तथा 4 प्रतिशत लोगों का मत है कि भ्रष्ट कर्मचारी को नौकरी से निलम्बित नहीं करना चाहिए।

82 प्रतिशत लोगों का कहना है कि किसी कार्य को करवाने के लिए रिश्वत न देने पर कार्य में रूकावट पैदा हो जाएगी एवं 13 प्रतिशत लोगों का कहना है कि कार्य ही नहीं हो पाएगा एवं 5 प्रतिशत लोग मानते हैं कि कार्य शीघ्रता से सम्पन्न होगा। 60 प्रतिशत लोग मानते हैं कि शारीरिक यातना भ्रष्टाचार का ही रूप है, 25 प्रतिशत लोग इसे भ्रष्टाचार की श्रेणी में नहीं मानते जबकि 15 प्रतिशत लोगों को मालूम नहीं है।

57 फीसदी जनता का मानना है कि उपहार देना भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है, जबकि 7 फीसदी इसे भ्रष्टाचार की श्रेणी में नहीं रखते हैं तथा 36 फीसदी लोगों का मत है कि उपहार देना एक व्यक्तिगत मामला है, न कि भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार को समूल जड़ सहित नष्ट करने के लिए 62 प्रतिशत जनता का मानना है कि यह संभव है, लेकिन 27 प्रतिशत जनता इसे मुश्किल मानती है तथा 11 प्रतिशत व्यक्तियों का मत है कि यह असंभव है क्योंकि इसकी जड़ें बहुत गहरी है। भ्रष्टाचार निवारण के लिए 56 प्रतिशत का मत है कि भ्रष्टाचार निरोधक तंत्र का सुदृढ़ीकरण हो तथा 30 प्रतिशत जनता मानती है कि समय-समय पर कर्मचारियों का आर्थिक सर्वेक्षण करवाया जाना चाहिए तथा 14 प्रतिशत जनता का मत है कि भ्रष्टाचार में संलिप्त अफसरों की पहचान कर उन्हें दण्डित किया जाना चाहिए। 46 फीसदी आमजन का मानना है कि सरकारी विभागों में यदा-कदा उनसे काम के बदले रिश्वत मांगी जाती है एवं 43 प्रतिशत का कहना है कि सरकारी विभागों में अफसर द्वारा प्राय: रिश्वत की मांग की जाती है एवं 11 प्रतिशत व्यक्तियों ने कहा कि उनसे सरकारी विभाग में कभी भी रिश्वत नहीं मांगी गई।

80 प्रतिशत जनसमुदाय का मानना है कि पिछले एक वर्ष में भ्रष्टाचार के स्तर में वृद्धि हुई, 6 प्रतिशत मानते हैं कि कमी आई है, वहीं 10 प्रतिशत जनता का मानना है कि भ्रष्टाचार का स्तर समान है तथा 4 प्रतिशत लोगों ने कोई मत जाहिर नहीं किया।

विभागवार किये सर्वे के अनुसार दस प्रमुख विभागों का सर्वे किया गया, जिन्हें कम भ्रष्ट से अधिक भ्रष्ट के क्रम में प्रस्तुत किया जा रहा है:

1. शिक्षा — सबसे कम भ्रष्ट
2. न्यायपालिका
3. विद्युत
4. स्वास्थ्य अस्पताल
5. वित्तीय संस्थान
6. सार्वजनिक निर्माण विभाग
7. इन्कम टैक्स
8. आबकारी विभाग
9. भू-राजस्व
10. पुलिस — सबसे अधिक भ्रष्ट

45 प्रतिशत जनता मानती है कि मानवीय नैतिक पतन के कारण भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है, 40 प्रतिशत लोगों ने स्वीकार किया कि व्यक्तिगत जरूरतों में अत्यधिक वृद्धि ने इसे बढ़ाने में सहयोग प्रदान किया है, वहीं 15 प्रतिशत लोग मानते हैं कि व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए भ्रष्ट बनता है। रिश्वत लेने के निम्न कारणों को क्रमानुसार आम जनता दोषी ठहराती है:

1. रिश्वत लम्बे समय से चलती आ रही परम्परा है,
2. वेतन में कमी,
3. सरकार में ईमानदार अफसरों की कार्य के प्रति लापरवाही,
4. पारदर्शिता में कमी,
5. स्वतंत्र एवं प्रभावी न्यायिक तंत्र में कमी,
6. स्वतंत्र एवं प्रभावी मीडिया में कमी,
7. भ्रष्टाचार से सम्बन्धित प्रभावी रिपोर्टिंग सिस्टम में कमी,
8. भौतिक आवश्यकताओं में अत्यधिक वृद्धि।

49 प्रतिशत जनता स्वीकार करती है कि उन्होंने कभी भी रिश्वत नहीं दी तथा 47 प्रतिशत लोगों ने स्वीकारा है कि उन्होंने विभिन्न कार्यों के लिए रिश्वत दी है, वहीं 2 प्रतिशत का मत है कि इस संदर्भ में वे नहीं जानते या बता नहीं सकते। 67 प्रतिशत जनता ने स्वीकार किया कि वे अपने किसी ऐसे नजदीकी व्यक्ति को जानते है जिसने किसी कार्य के लिए सरकारी विभाग में रिश्वत दी है तथा 24 प्रतिशत का कहना है कि वे नहीं जानते, वहीं 9 प्रतिशत का इसमें कोई मत नहीं है। 47 प्रतिशत जनता का मानना है कि भ्रष्टाचार निरोधन में जन समुदाय अपनी अहम् भूमिका निभा सकता है, जबकि 24 प्रतिशत सूचना के अधिकार को इसके लिए उपयुक्त ठहराते हैं तथा 17 प्रतिशत का कहना है कि प्रशासनिक तंत्र को सुदृढ़ कर इस पर रोक लगाई जा सकती है, वहीं 12 प्रतिशत का मानना है कि सूचना प्रौद्योगिकी इसमें अपनी कारगर भूमिका निभा सकती है। सर्वे के अनुसार देश में व्याप्त भ्रष्टाचार के बढ़ावे के लिए जिम्मेदार तंत्र क्रमानुसार निम्न हैं:

1. राजनीतिज्ञ
2. नौकरशाही/ऑफीसर (Subordinate staff)
3. कर्मचारीगण
4. व्यवसायी
5. मीडिया
6. भ्रष्टाचार निरोधक तंत्र
7. न्यायपालिका

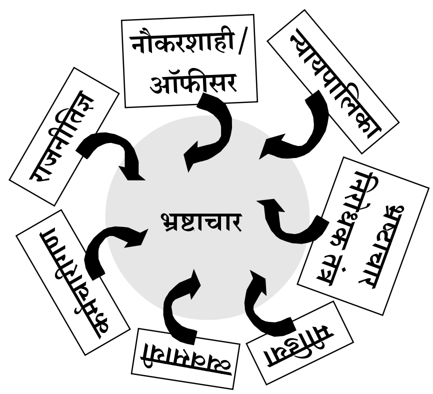

CUTS International

आपको किसी दायित्वाधीन पद पर आसीन किया जाए तो भारत में भ्रष्टाचार निरोधन में क्रमानुसार किस कार्य को प्राथमिकता से करेंगे:

1. कार्य में पारदर्शिता लाना,
2. भ्रष्टाचार के खिलाफ जनजागृति पैदा करना,
3. सूचना के अधिकार को प्रासंगिक बनाना,
4. भ्रष्टाचार निरोधक तंत्र को अधिक सुदृढ़ता प्रदान करना,
5. भ्रष्ट व्यक्तियों के लिए कठोरतम दण्ड की व्यवस्था करना,
6. राजनीतिज्ञों एवं अफसरशाही पर नियमों का कठोरता से पालन करवाना।

58 प्रतिशत जनता का कहना है कि यदि किसी कार्य के लिए कोई रिश्वत की पेशकश करें तो हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे एवं देने वाले को डांट लगाएंगे, वहीं 38 प्रतिशत जनता का मत है कि उसके खिलाफ न्यायिक कार्यवाही करेंगे तथा 3 प्रतिशत जनता ने स्वीकार किया कि रिश्वत ले लेंगे और एक प्रतिशत ने कहा कि रिश्वत देने का तरीका बताएंगे।

सर्वे के मुताबिक भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए आम जनता के विचार निम्न हैं:

1. जन समुदाय को जागृत करना।
2. भ्रष्टाचार निरोधक कठोर कानून बनाकर उन्हें सही ढ़ंग से क्रियान्वित करना।
3. आर्थिक रूप से सभी के लिए एक निश्चित सीमा हो, जिससे कोई आय से अधिक सम्पत्ति नहीं रखें तथा राजनेता, नौकरशाह व उनके रिश्तेदारों की आय का ब्यौरा समय-समय पर प्रकाशित किया जाए।
4. कठोरतम दण्ड व्यवस्था लागू करना।
5. सरकारी तंत्र में पारदर्शिता लाना।
6. 'आप स्वयं को सुधारे फिर दूसरों पर अंगुली उठाये', संघर्ष ही एक मात्र रास्ता है।
7. सरकारी कार्यों को निजी क्षेत्र में देकर कानूनी पेचिदगियां दूर कर पारदर्शिता लाना।
8. राष्ट्रीय आंदोलन से वर्तमान संवैधानिक, राजनैतिक, प्रशासनिक ढ़ांचे को उखाड़ फेंक कर मानवीय मूल्यों पर आधारित व्यवस्था कायम करना।
9. रिश्वत लेने वाले को जनता द्वारा दण्ड देना।
10. नियमों की जानकारी के अभाव को दूर करना।
11. भारतीय राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करना।
12. जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना।
13. भ्रष्ट व्यक्तियों का समाज से बहिष्कार करना।
14. सूचना के अधिकार को प्रासंगिक बनाना।
15. अपने कृत्यों के प्रति ईमानदार रहना।

16. राजनीतिज्ञों को नैतिक शिक्षा देना।
17. 'रिश्वत लेने वाले से देने वाला ज्यादा अपराधी होता है', अत: जनसामान्य अपने नैतिक स्तर को सुधारे तथा भ्रष्ट व्यक्ति के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से शिकायत करें, यहीं देशभक्त नागरिक का कर्तव्य है।
18. बचपन से ही ईमानदारी का पाठ पढ़ाया जाए ताकि भ्रष्टाचार पनप ही नहीं पाए।
19. शिक्षा प्रणाली में बुनियादी सुधार करना।
20. देश में महिलाओं द्वारा शासन संचालित हो, क्योंकि महिलाएं कम भ्रष्ट होती है।
21. चीन की तरह भ्रष्ट व्यक्तियों को गोली मार देना।
22. देश के सामरिक महत्व को छोड़कर प्रत्येक सूचना जन साधारण को देना।
23. रिश्वत को सेवा कर के रूप में मान्य करना।
24. गैर-सरकारी संस्थाओं की सक्रियता बढ़ाकर उन्हें विस्तृत अधिकार देना।
25. कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करना।
26. 'ऑपरेशन दुर्योधन' जैसी कार्यवाईयां चलाना।
27. ईमानदार व्यक्तियों का सम्मान करना।
28. ई-गवर्नेन्स को अधिक महत्व देना।
29. चरित्र निर्माण की शिक्षा देना।
30. राजनीतिक तंत्र को सुदृढ़ करना।
31. प्रत्येक विभाग में भ्रष्टाचार निरोधक अधिकारी नियुक्त करना।
32. भ्रष्टाचार रोकने वाले को सम्मानित करना।
33. कार्य को समय पर सम्पादित करने की बाध्यता होना।
34. भ्रष्टाचार में संलिप्त व्यक्ति को सरकारी सेवा में नहीं लेना।
35. भ्रष्ट राजनीतिज्ञों को चुनाव लड़ने पर रोक लगाना।
36. कर्मचारी के सेवा में आने के समय आर्थिक सर्वेक्षण हो एवं बचत तथा पारिवारिक खर्चे का ब्यौरा प्रतिवर्ष लिया जाए।
37. मानवीय चरित्र का विकास करना।
38. एक ऐसा चार्टर बनना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति शपथ लेवे कि वह रिश्वत नहीं देगा एवं रिश्वत मांगने वाले को दण्डित कराएगा।

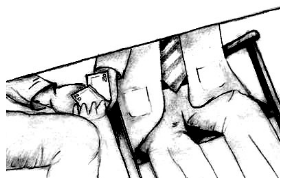

अध्याय-3

भ्रष्टाचार के घटित महत्वपूर्ण मामले

राजस्थान में हाल ही में घटित भ्रष्टाचार के महत्वपूर्ण मामले यह दर्शाते हैं कि भ्रष्टाचाररूपी महामारी अपनी जटाएं खोलकर तांडव मचा रही है। इन्हीं में से कुछ महत्वपूर्ण मामलों के संक्षिप्त अंश दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से प्रस्तुत है -

फर्जी दस्तावेज से कारस्तानी

जयपुर की विभिन्न अदालतों में लम्बित 710 प्रकरणों के विश्लेषण से यह तथ्य उजागर हुए हैं कि हत्या, लूट, डकैती, नकबजनी, शराब की तस्करी, अवैध हथियार रखना, वैश्वावृत्ति के आरोप में पकड़े गए अभियुक्तों के द्वारा पेशेवेर जमानतियों के माध्यम से कानून की धज्जियां उड़ाई जा रहीं है, जोकि उन्हें जेल की चारदिवारी से बाहर कर खुले आम घूमने का आश्रय दे रही है। पुलिस अधीक्षक ए. पोन्नूचामी का कहना है कि ऐसे अपराधी पेशेवर जमानतियों से जमानत करवाकर फरार हो जाते हैं। उनके खिलाफ वारंट जारी होने पर भी उनके पते फर्जी पाए जाने के कारण पुलिस अभियुक्तों एवं जमानतियों की तलाश नहीं कर पाती है।

परीक्षा प्रणाली में भ्रष्टाचार

समाज के गिरते नैतिक मूल्यों का असर शिक्षा के क्षेत्र में भी साफ झलक रहा है, इसका उदाहरण राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के उन परीक्षकों से लिया जा सकता है जिन्होंने चार विद्यालयों में वर्ष 2006 की प्रायोगिक परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों से अनुचित मांग की। बोर्ड ने परीक्षकों के खिलाफ मिली शिकायत के आधार पर चारों विद्यालयों की प्रायोगिक परिक्षाएं निरस्त कर उन विद्यालयों में प्रायोगिक परीक्षाएं दुबारा कराने का निर्णय किया है तथा आरोपी परीक्षकों के विरुद्ध जांच भी की जा रही है। इस परीक्षा के दौरान परीक्षकों द्वारा प्रत्येक विद्याथी से प्रायोगिक परीक्षा में पास करने के लिए बड़ी धन राशि की मांग की गई।

बिल जिप्सी के, पेट्रोल कार में

अजमेर के केन्द्रीय कारागार मे तेल के खेल की बदौलत एक जिप्सी हर महीने 200 लीटर पेट्रोल फूंक देती है। जबकि जिप्सी ने लंबे समय तक पेट्रोल पंप का मुंह तक नहीं देखा। इसके बावजूद प्रतिदिन औसतन 6.5 लीटर पेट्रोल फूंक देती है। इसका प्रमाण पेट्रोल पंप के बिल और लॉग बुक देते हैं। असल में यह जिप्सी कागजों में दौड़ रही है।

चिकित्सा मंत्री बीमार मात्र डेढ़ हजार में

राजस्थान पत्रिका ने भ्रष्टाचार उन्मूलन में अपनी महत्ती भूमिका अदा करते हुए चिकित्सा क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के स्वरूप को उजागर किया। पत्रिका के एक संवाददाता ने चिकित्सा मंत्री डॉ. दिगम्बर सिंह के नाम से मेडिकल बोर्ड के जरिए अस्वस्थता प्रमाण-पत्र जो कि मात्र 1500 रुपए देकर प्राप्त कर लिया का तथ्य उजागर किया है।

देश की सुरक्षा में भ्रष्टाचार

देश की आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा उठाने वाली केन्द्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स में दो साल पहले फर्जीवाड़े से भर्ती हुए 107 जवानों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। कारण कि इन्हें केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की भर्ती प्रक्रिया में शामिल अफ्सरों ने अपने चहेतों को उनके द्वारा दिए गए जवाब में कांट-छांट कर फर्जीवाड़ा किया। जिसके अन्तर्गत सी.बी.आई. द्वारा इन भ्रष्ट अफ्सरों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में चालान प्रस्तुत कर कार्रवाई की गई।

किसानों की रोजी-रोटी के साथ भ्रष्टाचार

राज्य में सरसों की खरीद के बाद निस्तारण भी लालफीताशाही अफ्सरों के हाथों होता है। किसानों की मेहनत एवं खून पसीने की कमाई बोरियों में अटकी पड़ी है, लेकिन सरकारी कारिन्दों की मंशा इनको बेचने की न होकर सरकार को छह सौ करोड़ की चपत लगाने की है। गत साल भाव कम होने से समर्थन मूल्य पर देश भर में लगभग 21 लाख मेट्रिक टन सरसों खरीदी गई थीं जिन में से 14 लाख मेट्रिक टन अकेले राजस्थान में खरीदी गई थी। केन्द्रीय भण्डार निगम एवं राज्य भण्डार निगम के गोदाम भरने पर निजी गोदाम भी किराए पर ले लिए, लेकिन मात्र एक लाख मैट्रिक टन सरसों बेचने तथा इतनी ही पड़ोसी राज्यों में भेजने के अलावा शेष सरसों के निस्तारण का कोई निर्णय नहीं हो पाया। एकाद बार नेफैड ने और भी सरसों बेचने के प्रयास किए, लेकिन भ्रष्टाचार आड़े आ गया।

फर्जी पट्टों की कारगुजारी

राज्य पुलिस अपराध शाखा के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने तीन सौ फर्जी पट्टे और पचास मोहरें और अन्य दस्तावेज बरामद कर ये उजागर कियाकि एक ही जमीन के मालिक अनेक हैं।

स्वार्थों ने किया रिश्तों को दरकिनार

इटली भेजने की चाह में नागौर जिले में एक छोटी सी ग्राम पंचायत के सरपंच ने अपने ही बेटे को दूसरे का बेटा बताकर फर्जी दस्तावेज प्राप्त कर लिये। इस गौरखधंधे में गांव के ग्राम सचिव से लेकर राज्य के गृह विभाग के उपशासन सचिव भी लिप्त रहे, एवं पासपोर्ट तथा अन्य दस्तावेज जरिए फर्जीवाड़ा प्राप्त कर लिए।

कहां गई कैदियों की रोटी

जयपुर केन्द्रीय कारागृह और भारतीय खाद्य निगम की गोदाम के बीच की दूरी नापें तो दस किलोमीटर से भी कम होगी। ऐसे में गोदाम से कैदियों के लिए रवाना हुआ करीब पौने पांच सौ क्विंटल गेहूं कारागृह तक नहीं पहुँचा। यह ऑडिट के माध्यम से उजागर हुआ लेकिन गृह विभाग के आदेश पर भी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं हो सकी।

परीक्षा परिणाम में धांधली

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति के.एल. शर्मा समेत 18 कर्मचारियों एवं दो फर्मों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर परीक्षा परिणामों में की गई धांधली की जांच प्रारंभ की, जो कि यह दर्शाता है कि शिक्षा में भी भ्रष्टाचार अपने पांव पसार चुका है।

लाशों से कमाई

भ्रष्टाचार इस कदर पांव पसार चुका है कि नगर निगम के एक सफाई कर्मचारी ने फर्जी प्रार्थना पत्रों के जरिए लावारिश लाशों के अंतिम संस्कार के लिए भुगतान नगर निगम से उठा लिया जबकि ऐसी लावारिश लाशें अंतिम संस्कार के लिए थी ही नहीं। इससे जाहिर होता है कि चन्द पैसों के लिए मानवीय नैतिक पतन किस हद तक गिर चुका है।

आईपीओ घोटाला

केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने यस बैंक लि. और इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट फाइनेंस कम्पनी के प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम के दौरान हुए घोटाले के अन्तर्गत देश के विभिन्न 27 स्थानों पर

छापे मारकर उजागर किया कि आरोपियों ने फर्जीवाड़े का एक नया तरीका अपनाया कि एक फोटो खिंचवाइये और दो मुफ्त पाईये। हजारों लोग मुफ्त के लालच में आ गए और आरोपियों ने उन फोटो के जरिए काल्पनिक नामों से बैंक और डीमेट खाते खुलवाकर देश की अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया।

संसद में प्रश्न के बदले रिश्वत

देश की जनता द्वारा चुने गए 11 सांसदों ने संसद में भले ही 13 दिसम्बर 2001 की तरह हमला न किया हो, लेकिन प्रश्न पूछने के लिए पैसे लेने जैसा घिनोना कृत्य कर लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था की गरिमा को जरूर लहूलुहान किया है। इस समस्त कृत्य को उजागर करने में कोबरापोस्ट डॉट कॉम के सम्पादक अनिरुद्ध बहल व उसके साथियों ने अहम भूमिका अदा करते हुए ऑपरेशन दुर्योधन चलाया। इस प्रकरण की जांच कर रही पवन कुमार बंसल जांच कमेटी ने इन सांसदों को बर्खास्त करने के लिए सिफारिश की।

http://school.discoveryeducation.com

अध्याय-4

विश्व में स्थिति

बेईमानी का मीटर कहां से शुरू होता है? जवाब है अपने मूल्यों की टैक्सी में बैठने के साथ। एक दो नहीं पचासों मामलों में सुविधाएं या अधिकार बेईमानी से हासिल किए जाते हैं। झूंठ, छल और रिश्वतखोरी में बड़ी बेईमानी से और शर्म का रिश्ता इंसान से जुड़ता है। छोटी रिश्वत 'सुविधा शुल्क' है और बड़ी 'कमीशन'।

समाजशास्त्री इसका मुख्य कारण वैश्वीकरण बताते हैं। उनका मानना है कि लोगों की जीवनशैली में बदलाव इसका मुख्य कारण है। बड़ी-बड़ी कम्पनियां, मोटी तनख्वाह, ऐश्वर्य प्रधान और तेज रफ्तार जीवनशैली के कारण लोगों के पास समय की कमी है। पहले की अपेक्षा लोगों के पास कमाई के स्रोत बढ़े हैं लेकिन समय उतना ही कीमती हो गया है। ऐसे में लोग छोटी बड़ी चीज के लिए समय की बजाय पैसा खर्च करने में दूसरी बार विचार नहीं करते। बच्चे के एडमिशन के लिए डोनेशन देना हो या छुट्टी पर जाने के लिए ट्रेन में रिजर्वेशन के लिए अतिरिक्त राशि या फिर हॉकर को बीस रुपए ज्यादा देकर गैस सिलेंडर प्राप्त करना। व्यक्ति का लक्ष्य अधिकतर कम समय और अधिक से अधिक सुविधा के साथ काम पूरा कर लेना है।

एम आर हेबरफेल्ड की किताब, द कांटूअर्स ऑफ पुलिस इंटेग्रिटी में प्रकाशित हंगरी के पुलिस अफ्सरों पर किए गए सर्वे में इस बात की पुष्टि होती है कि 40.5 प्रतिशत नागरिक भ्रष्टाचार के प्रति उदासीन रहते हैं और भ्रष्टाचार को घटना के रूप में स्वीकार करते हैं। बाकी 40 प्रतिशत नागरिक सोचते हैं कि भ्रष्टाचार को खत्म करने का कोई तरीका नहीं है। केवल 20 प्रतिशत लोग भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कदम उठाना चाहते हैं। 80 प्रतिशत पुलिस अफ्सर मानते हैं कि नागरिक या तो भ्रष्टाचार में सहयोग करता है या उसे सुविधा फीस के रूप में स्वीकार करता है। ट्रांसपेरेसी इंटरनेशनल इंडिया के चैयरमेन पीटर आईजेन के मुताबिक लोग भ्रष्टाचार को सुविधाएं प्राप्त करने का माध्यम मानने लगे हैं।

वर्ल्ड बैंक की नजर में सिर्फ सरकारी दफ्तरों में काम करने आए दिन पकड़े जाने वाले राजनेताओं के लिए घोटालों का नाम भ्रष्टाचार नहीं, बल्कि हर वह काम जहां व्यवस्था सही

तरीके से काम नहीं करती और दूसरों को अंधेरे में रखकर अपने स्वार्थ की सिद्धि की जाती हो, भ्रष्टाचार है। पीटर आईजेन टीआई के एक सर्वे के आधार पर कहते हैं कि भ्रष्टाचार लगातार विकास के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहा है। लोगों में पैसा देकर काम कराने या रिश्वत देने की प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल भारतीयों ने शिक्षा, न्यायिक कार्यों, स्वास्थ्य, पुलिस जैसी मूलभूत सेवाओं के लिए 21,068 करोड़ रुपए की घूस दी। यह न केवल गरीबी का मुख्य कारण है बल्कि उससे उबरने में भी यह सबसे बड़ी बाधा है।

वर्ल्ड बैंक इंस्टीट्यूट ने भ्रष्टाचार को छह प्रकारों में वर्गीकृत किया है।

1. **प्रशासनिक भ्रष्टाचार -** नीति के क्रियान्वयन में हेर-फेर कर देता है जैसे योग्यता या आयु सीमा कम होने के बावजूद लाइसेंस बनवा लेना। केवल प्रशासनिक भ्रष्टाचार की भविष्यवाणी की जा सकती है।
2. **राजनीतिक भ्रष्टाचार -** कानून के प्रतिपादन, नियमन और योजनाओं को प्रभावित करना इसमें शामिल हैं। इसके अलावा घूस, डराना, लूट-खसोट, वोट खरीदना आदि भी इसमें शामिल हैं।
3. **लोक भ्रष्टाचार -** जनता की सुविधा के लिए बनाए गए संगठनों का इस्तेमाल निजी लाभ के लिए करना लोक भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। दूसरे शब्दों में इसमें सरकारी कर्मचारी शामिल होते हैं, जो उनके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को खर्च करने पर लाभ पहुंचाते हैं।
4. **निजी भ्रष्टाचार -** व्यक्तिगत स्तर पर किए जाने वाला भ्रष्टाचार निजी भ्रष्टाचार कहलाता है, जैसे माफिया का स्थानीय व्यापारियों से रुपए ऐंठना।
5. **आम भ्रष्टाचार -** इसके अन्तर्गत रुपयों का भारी लेन-देन शामिल है। आमतौर पर इसमें उच्चस्तरीय अधिकारी शामिल होते हैं।
6. **लघु भ्रष्टाचार -** कम रुपयों के लेन-देन से जुड़े इस भ्रष्टाचार में छोटे स्तर के कर्मचारी शामिल हैं।

वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार कम भ्रष्ट देशों की तुलना में अधिक भ्रष्टाचार वाले देश की औसत आय तीन गुना कम है। यूक्रेन और चेक रिपब्लिक, इंडोनेशिया और दक्षिणी कोरिया, निकारागुआ और अल सेल्वेडर या चाड और नामीबिया इसके उदाहरण हैं। विट्टो तान्जी द्वारा अर्जेंटीना पर किए विश्लेषण के अनुसार भ्रष्टाचार किसी भी फर्म में 1 से 2.5 प्रतिशत और छोटी फर्म में 3 से 6 प्रतिशत तक हो सकता है। अपना काम करवाने के लिए कंपनियां रिश्वत देती हैं, जिससे उनका लाभ नहीं बढ़ता और पूंजी में गिरावट और बढ़ती है। ऐसे में जब लाभ कम होगा तो देशी और विदेशी निवेशक दूर भागेंगे ही। इसके अलावा प्रत्येक स्तर के उद्योगों से मिलने वाले कर की मात्रा भी कम होगी। परिणामस्वरूप सरकार को जो पैसा जनहित कार्यों, कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन, स्कूल, अस्पताल, सड़क, सफाई

व्यवस्था, पुलिस और कई अन्य सेवाओं पर खर्च करती उस मात्रा को कम करना पड़ता है। यही वजह है कि कम भ्रष्टाचार वाले देशों की तुलना में भ्रष्ट देश के बच्चों की मृत्यु दर तीन गुना अधिक तथा साक्षरता दर 25 प्रतिशत कम है।

ट्रांसपरेंसी इन्टरनेशनल भ्रष्टाचार सूचकांक 2005 (करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2005) ने ईमानदारी में भारत को 159 राष्ट्रों में 92वां स्थान दिया है। 2005 में भारत ने पिछले वर्ष 2.8 के स्कोर की तुलना में 0 से 10 के पैमाने पर 2.9 का स्कोर हासिल किया है। यह हमारे लिए कोई संतुष्टि का कारण नहीं है कि भारत के बजाय पाकिस्तान दोगुना भ्रष्ट है। उसे विश्व के भ्रष्ट देशों में 146वां स्थान मिला है। ईमानदारी में 78वें स्थान के साथ चीन, भारत से कुछ ही ज्यादा ईमानदार हैं। अफगानिस्तान और नेपाल क्रमशः 117वें एवं 123वें स्थान पर हैं, जो पाकिस्तान से कम भ्रष्ट हैं। म्यांमार विश्व में 156वें स्थान पर हैं। 9.8 और 9 अंक के बीच का स्कोर ग्रहण करने वाले आइसलैंड, फिनलैंड, न्यूजीलैंड और सिंगापुर सबसे कम भ्रष्टाचार स्तर वाले देश हैं। नीदरलैण्ड के साथ यूनाइटेड़ किंगडम 11वें स्थान पर हैं, वहीं यूनाइटेड़ स्टेट्स 17वें स्थान पर है।

ट्रांसपरेन्सी इन्टरनेशनल करप्शन रिपोर्ट 2005 द्वारा किये गये सर्वेक्षण में यह पाया गया कि आईसलैण्ड विश्व का सबसे ईमानदार देश है जिसने 10 में से 9.7 अंक हासिल किए और बांग्लादेश तथा चाड सबसे भ्रष्ट देश हैं, जिनको 10 में से 1.7 अंक मिले। विश्व ट्रांसपरेन्सी इन्टरनेशनल भ्रष्टाचार निरोधक सूचकांक - 2005 के अनुसार एशियाई देशों की स्थिति टेबल 1 में प्रस्तुत है:

टेबल 1 एशिया महाद्वीप के देशों का वर्ष 2005 में भ्रष्टाचार सूचकांक

क्षेत्रीय	देश	देश अंक	2005 का स्कोर अंक
1	न्यूजीलैंड	2	9.6
2	सिंगापुर	5	9.4
3	आस्ट्रेलिया	9	8.8
4	हांगकांग	15	8.3
5	जापान	21	7.3
6	ताईवान	32	5.9
7	मलेशिया	39	5.1
8	दक्षिण कोरिया	40	5.0
9	फिजी	55	4.0
10	थाईलैंड	59	3.8

11	लाओस	77	3.3
12	चीन	81	3.2
13	श्रीलंका	78	3.2
14	मंगोलिया	86	3.0
15	भारत	92	2.9
16	वियतनाम	114	2.6
17	नेपाल	123	2.5
18	फिलीपींस	124	2.5
19	कम्बोड़िया	130	2.3
20	न्यू गुआना	130	2.3
21	इंडोनेशिया	137	2.2
22	पाकिस्तान	146	2.1
23	म्यामांर	156	1.8
24	बांग्लादेश	158	1.7

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अध्यक्ष श्री पीटर आईजोन के अनुसार विश्व बैंक के भ्रष्टाचार विरोधी कार्यक्रम की प्रभावकारिता को निम्नलिखित 10 सूत्री कार्यक्रम अपनाकर बेहतर बनाया जा सकता हैः

1. जो व्यापक आधार वाले आर्थिक सुधार के प्रयास हैं-जैसे कि निर्धनता में कमी लाने की रणनीतियां, उनमें भ्रष्टाचार विरोधी पहल कदमियों को प्राथमिकता देना और उनका विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित ऋणों से आगे विस्तार करना।
2. यह स्वीकार करना कि नागरिक समाज के संगठनों सहित अन्य संगठन एडवोकेसी कार्य तथा भ्रष्ट संस्थाओं में सुधार के कार्य को बेहतर ढ़ंग से कर सकते हैं।
3. जिन देशों ने विश्वसनीय भ्रष्टाचार विरोधी कार्यक्रम नहीं अपनाए हैं उन देशों को ऋण देने के संबंध में पुनर्विचार करना।
4. जहां भ्रष्टाचार का संदेह हो वहां 'सेवा प्रदायगी' (डिलीवरी सर्वेक्षण) करना-ताकि अगला ऋण देने से पहले यह पता लगाया जा सके कि सार्वजनिक सेवाओं का लाभ लाभार्थियों को मिल भी रहा है या नहीं।)
5. नागरिक सेवाओं में सुधारों को और तेजी से प्रोन्नत करना और वित्तपोषित करना।

6. भ्रष्टाचार में कमी लाने के लिए एक नए तंत्र 'ईमानदारी बढ़ाने के कार्यक्रम' को लागू करना। इस नए प्रकार के कार्यक्रम का उद्देश्य विश्व बैंक में विभिन्न ईमानदारी संबंधी पहलकदमियों को ठोस रूप प्रदान करना।
7. ऐसे व्यक्तियों और संगठनों की एक लिस्ट तैयार करना जिन्हें इसलिए सहायता वित्त नहीं दिया जा रहा क्योंकि उन्हें विश्व बैंक, क्षेत्र विकास बैंकों और अन्य सहायता ऐजेंसियों द्वारा वित्तपोषित कार्य के संबंध में रिश्वत लेते हुए पाया गया था।
8. जहां सरकारें आग्रह करें, वहां प्रमुख विश्व बैंक पोषित निवेश में ट्रांसपरेंसी इन्टरनेशनल के 'ईमानदारी अनुबंध' को लागू करने में मदद करना।
9. विश्व बैंक द्वारा शोध बजट का और भी बड़ा हिस्सा भ्रष्टाचार में कमी लाने पर खर्च करना।
10. इस व्यवसाय संबंधी जागरूकता को फैलाने के लिए विदेशी सार्वजनिक अधिकारियों को रिश्वत देना अब अधिकांश निर्यात करने वाले देशों में एक अपराध है, अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय निगमों (आईएफसी) और विश्व बैंक के निजी क्षेत्र संगठनों के प्रमुख अभियानों को प्रोत्साहित करना।

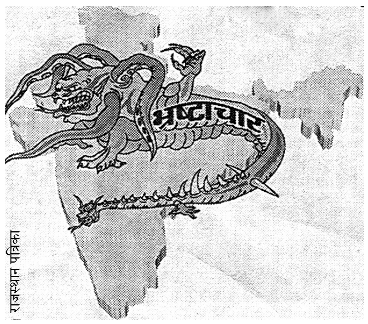

अध्याय-5

भारत में स्थिति

भारत में भ्रष्टाचार सर्वव्यापी एवं जीवनशैली बन गया है। वर्तमान समय में भारत दुनिया का 92वां भ्रष्ट देश माना जाता है, जिसका प्रमुख कारण राजनीतिक कमजोरी तथा भ्रष्टाचार के कारणों को समाप्त करने में रूचि न लेना है।

अर्थशास्त्री स्वामीनाथन एस. अंकलेसरिया अय्यर के अनुसार हाल के सर्वेक्षण से यह बात उभरकर सामने आई है कि भारत के कॉर्पोरेट घरानों पर सरकार का जितना धन बकाया है, यदि उसे सख्ती से वसूला जाए तो देश की पंचवर्षीय योजना का क्रियान्वयन हो सकता है। अमेरिका और यूरोप में भ्रष्ट कॉर्पोरेट व्यवसायियों पर मुकदमा चलाकर उन्हें दण्डित किया जाता है, तो भारत में ऐसा क्यों नहीं हो सकता?

1991 में उदारीकरण के दौर के बाद स्थितियों में नाटकीय बदलाव आया। लाइसेंस-परमिट राज गया, कर की अधिकतम 33 प्रतिशत सीमा विकसित और उदार अर्थव्यवस्था में लागू दर के लगभग समान कर दी गई। कारोबार के लिए माहौल पहले से अधिक अच्छा हुआ, वेतन बढ़ गए। सैद्धांतिक रूप से तो हर व्यक्ति को अपना कर अदा करना चाहिए, लेकिन ऐसे लोग हमेशा रहेंगे जो उदार से उदार कर व्यवस्थाओं को झांसा देने के तरीके निकाल लेंगे। उदारीकरण के 15 साल के भीतर ही काला धन फिर फलने-फूलने लगा है। यह सबसे ज्यादा जमीन-जायदाद के क्षेत्र में दिखता है, लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा तो सोने, जमीन-जायदार और बेनामी सम्पत्तियों की शक्ल में विदेशों में छिपा है। भारत में 46 प्रतिशत से ज्यादा विदेशी संस्थागत निवेश उस प्रावधान के तहत आता है जिसे 'सहभागी नोट' कहा जाता है, जिसमें धन का स्रोत बताने की जरूरत नहीं होती। इस प्रावधान के तहत शेयर बाजारों में 78,000 करोड़ रूपए आए हैं जिसे व्यंग्य के तौर पर 'घरेलू पराया धन' कहा जाता है।

देश में कुल 3.5 करोड़ आयकरदाता हैं, इनमें सिर्फ 85,000 लोगों की ही घोषित वार्षिक आय 10 लाख रूपए से अधिक है। मशहूर विदेशी ब्रांडों के बाजार वाले इस देश में यह आंकड़ा कतई विश्वसनीय नहीं है। आश्चर्य नहीं कि सरकार काले धन के सृजन और खर्च पर विशेष सतर्कता दिखा रही है।

11 सेवाएं णऔर रिश्वत 21 हजार करोड़ की

ट्रांसपरेंसी इन्टरनेशनल इंडिया और सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज (सी.एम.एस.) की एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार देश के आम नागरिक एक साल में 11 सरकारी सुविधाओं में से एक या उससे ज्यादा को काम में लेने के लिए करीब 21,068 करोड़ रूपए की रिश्वत देते हैं। 62 प्रतिशत नागरिक यह सोचते हैं कि भ्रष्टाचार कोई अफवाह मात्र नहीं है, वास्तव में उन्हें रिश्वत देने या सरकारी दफ्तर में कोई काम करवाने के लिए अपने सम्पर्कों के इस्तेमाल करने का प्रत्यक्ष अनुभव है। कुछ ज्वलंत सच्चाईयां ऐसी भी हैं:

- इस अध्ययन में जिन 11 सरकारी सेवाओं को लिया गया है, वे हैं पुलिस (क्राइम/ट्रैफिक), न्यायपालिका, भूमि प्रशासन, म्युनिसिपल सेवाएं, सरकारी अस्पताल, बिजली (उपभोक्ता), घरेलू जन सेवाएं (राशनकार्ड/सप्लाई), आयकर (वैयक्तिक कर), पानी सप्लाई, शिक्षा विभाग (12वीं कक्षा तक के स्कूल) और ग्रामीण वित्तीय संस्थाएं (किसान)।
- भारत के तीन चौथाई नागरिक सोचते हैं कि सरकारी सेवाओं में भ्रष्टाचार का स्तर पिछले एक वर्ष (2004-2005) में बढ़ा है। मुश्किल से दस प्रतिशत लोग सोचते है कि इस प्रकार का भ्रष्टाचार कम हो रहा है। भ्रष्टाचार के विस्तार संबंधी या इस तरह के भ्रष्टाचार के अनुभवों को लेकर राज्यों के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है।
- अध्ययन के अनुसार एक तिहाई से लेकर आधी विवशताएं जो छोटे-छोटे भ्रष्टाचार के लिए प्रेरित करती हैं और जिनमें आम आदमी शामिल होता है, उनका पता लगाया जा सकता है।
- एक तिहाई नागरिक सोचते हैं कि इन 11 सेवाओं के उपभोक्ता और अधिकारी दोनों को पता होता है कि काम होने के लिए कितनी अतिरिक्त राशि का भुगतान करना है।
- सर्वे से स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार केवल मीडिया में या लोगों के दिमाग में नहीं है जैसा कि इसे कभी-कभी बताया जाता है, बल्कि यह सभी सरकारी सेवाओं के पूरे तंत्र में है। इन सेवाओं के उपभोक्ता और सेवा उपलब्ध करवाने वाले जानते हैं कि इस समस्या के निबटारे के लिए क्या किया जाना चाहिए।
- सर्वे के अनुसार भ्रष्टाचार सूचकांक में तुलनात्मक रूप से शिक्षा (स्कूल) विभाग प्रथम स्थान पर है तथा पुलिस विभाग द्वितीय स्थान पर है। पुलिस के बाद न्यायपालिका (निचली अदालतें) और भूमि प्रशासन का स्थान है। सरकारी अस्पतालों में होने वाले भ्रष्टाचार मुख्य तौर पर दवाइयों की उपलब्धता व प्रवेश न होने पर डॉक्टरों से सलाह न मिलने और पारिवारिक सुविधाएं लेने के लिए होता है। सुधारों के बावजूद बिजली सेवाएं भ्रष्टाचार सूचकांक में ऊंचाई पर है। इसी सूची में घरलू जन सेवाओं का स्थान नीचे आता है। (उक्त विभागों में भ्रष्टाचार के आंकड़े आगे अंकित हैं।)

- पारदर्शिता का अभाव और इन सेवाओं की प्राप्ति की जिम्मेदारी तय करने के लिए बड़ी संख्या में नागरिक आवाज भी उठा रहे हैं। भ्रष्टाचार पर किए गए वार्षिक सी.एम.एस. सर्वे से यह प्रमाणित होता है कि इन दफ्तरो के अग्र सिरे पर तकनीक का इस्तेमाल व परदर्शिता में वृद्धि भ्रष्टाचार को कम कर सकता है। (जैसा कि सूचना का अधिकार तथा जिम्मेदार विभागों की वेबसाइट पर जानकारी उपलब्ध कराए जाने में निहित है।)
- 1/6 जनता मानती है कि नागरिक या सरकारी सेवाओं के इस्तेमाल करने वाले खुद ही भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार होते हैं। उनका मानना है कि यहां किसी प्रकार का कोई सक्रिय या स्थाई नागरिक समाज आंदोलन नहीं है।
- एक तिहाई नागरिक सोचते हैं कि भ्रष्टाचार एक सहज माध्यम है जहां देने वाले और लेने वाले इसकी बहुलता से परिचित होते हैं। इनका पता केवल मात्र सुधारों या तकनीकों को अपना लेने से नहीं लग सकता है।
- सात कारण हैं जिनकी वजह से भ्रष्टाचार फैलता है-
  1. तंत्र में पारदर्शिता और जिम्मेदारी का अभाव
  2. प्रभावशाली रिपोर्टिंग प्रक्रिया का अभाव
  3. सरकारी अधिकारियों में ईमानदारी का अभाव
  4. रिश्वत को जीवन के रास्ते, रिवाज और संस्कृति के रूप में स्वीकार करना
  5. प्रभावशाली न्यायपालिका की कमी
  6. अकुशल आर्थिक नीतियां
  7. सरकारी कर्मचारियों का अपर्याप्त प्रशिक्षण

भ्रष्टाचार का बजट

ट्रांसपरेंसी इन्टरनेशनल इंडिया और सी.एम.एस. की एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार सन् 2005 में निम्न 11 सरकारी सेवाओं में अग्रलिखित राशि का भ्रष्टाचार हुआ:

क्र.सं.	सेवाएं	राशि (करोड़ रुपए में)
1.	शिक्षा (स्कूल)	4137
2.	पुलिस (क्राइम/ट्रैफिक)	3899
3.	भूमि प्रशासन	3126
4.	न्यायपालिका	2630
5.	बिजली (उपभोक्ता)	2169
6.	सरकारी अस्पताल	2017
7.	ग्रामीण वित्तीय संस्थान (किसान)	1543
8.	म्यूनिसिपल सेवाएं	550

9.	आयकर (वैयक्तिक कर)	496
10.	घरेलू जनसेवाएं (राशन कार्ड/सप्लाई)	358
11.	पानी सप्लाई	143
	कुल	**21068**

इस सर्वे रिपोर्ट के अनुसार देश में सर्वाधिक भ्रष्ट राज्य बिहार है, वहीं सबसे कम भ्रष्ट राज्य केरल है। इस श्रेणी में दूसरा स्थान जम्मू कश्मीर का है तथा दिल्ली का ग्यारवां एवं राजस्थान का सोलहवां स्थान है। रिपोर्ट के अनुसार भ्रष्टाचार के मामले में राज्यों की स्थिति इस प्रकार है:

राज्य	**भ्रष्टाचार के मामले में स्थान**
बिहार	पहला
जम्मू कश्मीर	दूसरा
मध्य प्रदेश	तीसरा
छत्तीसगढ़	छठा
पंजाब	सातवां
पश्चिम बंगाल	आठवां
उड़ीसा	नवां
उत्तर प्रदेश	दसवां
दिल्ली	ग्यारवां
तमिलनाडू	बाहरवां
हरियाणा	तेहरवां
झारखण्ड	चौदहवां
असम	पन्द्रहवां
राजस्थान	सोलहवां
कर्नाटक	सत्रहवां

(क) राज्यवार भ्रष्टाचार का स्वरूप

1. केरल: 11 जनसेवाओं में सबसे कम भ्रष्ट और सबसे साफ छवि वाला प्रदेश पाया गया।
2. हिमाचल प्रदेश: देश में दूसरा सबसे कम भ्रष्ट प्रदेश।
3. गुजरात: तीसरे स्थान पर, लेकिन शिक्षा, न्यायपालिका और भू-प्रबन्धन सेवाएं अधिक भ्रष्ट।

4. आन्ध्र प्रदेश: चौथे स्थान पर, लेकिन सरकारी अस्पताल, जल वितरण सेवाएं अधिक भ्रष्ट।

5. महाराष्ट्र: यहां की म्युनिसिपल सेवाएं देश की पांच सबसे भ्रष्ट सेवाओं में से एक हैं।

6. छत्तीसगढ़: अपने पैतृक राज्य मध्य प्रदेश से सभी सेवाओं में बेहतर।

7. पंजाब: राशन, पुलिस, न्यायपालिका और नगरीय सेवाएं ज्यादा भ्रष्ट।

8. पश्चिम बंगाल: यहां की जल वितरण प्रणाली देश में सर्वाधिक भ्रष्ट।

9. उड़ीसा: न्यायपालिका देश की पांच सर्वाधिक भ्रष्ट सेवाओं में से एक।

10. उत्तर प्रदेश: बिजली, स्कूल और आयकर विभाग सबसे भ्रष्ट सेवाओं में।

11. दिल्ली: राशन और घरेलू सेवाएं सर्वाधिक भ्रष्ट।

12. तमिलनाडू: स्कूल, अस्पताल, आयकर और म्यूनिसिपल सेवाएं सर्वाधिक भ्रष्ट। हालांकि इस राज्य में चिकित्सा सुविधाओं का अतिविकसित तंत्र है और शैक्षणिक तंत्र भी उन्नत है।

13. हरियाणा: स्कूल, भू-प्रबन्धन और पुलिस सर्वाधिक भ्रष्ट सेवाएं।

14. झारखण्ड: अपने पैतृक राज्य बिहार से अच्छी छवि और सेवाएं।

15. असम: यहां की पुलिस देश में सर्वाधिक भ्रष्ट और विद्युत विभाग भी सर्वाधिक भ्रष्ट सेवाओं में से एक।

16. राजस्थान: यहां की न्यायपालिका देश में सबसे अच्छी है।

17. कर्नाटक: आयकर, न्यायपालिका, म्यूनिसिपल्टी और ग्रामीण वित्त सेवाएं सर्वाधिक भ्रष्ट, स्कूल और विद्युत सेवाएं सबसे कम भ्रष्ट।

18. मध्य प्रदेश: देश के सर्वाधिक तीसरा भ्रष्ट प्रदेश। केवल नगरीय सेवाएं ही सबसे कम भ्रष्ट।

19. जम्मू-कश्मीर: सिवाय अस्पताल और ग्रामीण वित्त सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाएं भ्रष्ट। भ्रष्टाचार की सूची में दूसरा स्थान।

20. बिहार: देश का सर्वाधिक भ्रष्ट प्रदेश और सभी सेवाओं में अति भ्रष्टाचार।

(11 जनसेवाओं में भ्रष्टाचार के आधार पर प्राप्त प्रतिक्रियाओं के अनुसार भ्रष्टाचार का बढ़ता क्रम और उसी के अनुसार दर्जा।)

स्रोतः इंडिया करप्शन स्टडी 2005, टू इम्प्रुव गवर्नेन्स

भ्रष्टाचार में आई कमी

सी.एम.एस., नई दिल्ली द्वारा हाल में किए गए सर्वेक्षण से यह बात सामने आई है कि देश में 2002 की तुलना में 2005 के दौरान भ्रष्टाचार की स्थिति पर अंकुश लगा है। इस सेंटर की

ओर से देश के 20 राज्यों में 15 हजार लोगों से पूछताछ करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया जिसमें कहा गया है कि 2002 में भले ही भारत में भ्रष्टाचार की दर अधिक थी, लेकिन अब इसमें काफी कमी आई है। अध्याय में यह भी कहा गया है कि 2002 में परिस्थितियां अलग थी और इस बार अलग हैं।

2. विभागों के अंदर सतर्कता संगठन

प्रशासकीय स्तर पर विभिन्न सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार निरोधक कार्य सतर्कत संगठन द्वारा सम्पन्न किया जाता है। सतर्कता संगठन की दो शाखाएं हैं:

(अ) गृह मंत्रालय का प्रशासकीय सतर्कता खण्ड तथा

(ख) प्रत्येक मंत्रालय या विभाग से सम्बन्धित सतर्कता इकाईयां तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में इनकी प्रतिकृतियां।

गृह मंत्रालय में प्रशासकीय सतर्कता खण्ड अगस्त 1965 में बनाया गया था। इस खण्ड का कार्य यथा आवश्यक दिशा-निर्देशन एवं समन्वय प्रदान करना था, जिससे कि प्रत्येक मंत्रालय या विभाग लगातार उत्साहपूर्वक कार्यवाही सम्पन्न कर सकें। प्रत्येक सचिव एवं विभागाध्यक्ष को मंत्रालय या विभाग में भ्रष्टाचार समाप्त करने हेतु उत्तरदायी ठहराया गया है। भ्रष्टाचार को जड़मूल से नष्ट करने हेतु अपने कर्तव्य निर्वाह में साथियों तथा विभागाध्यक्षों को सहायता देने हेतु सर्तकता अधिकारियों को सम्बन्धित मंत्रालय या अधीनस्थ कार्यालयों में नियुक्त किया जाता है।

जहां मामला विशिष्ट पुलिस संगठन को सौंपा जाता है, वहां संगठन अपराध अभियोजन (फौजदारी) या नियमित विभागीय जांच या अन्य ऐसी कार्यवाही, जिसे मंत्रालय समुचित समझे, की सिफारिश करता है। यदि संगठन फौजदारी मुकदमे की सिफारिश करता है, तो भारत के राष्ट्रपति या किसी निर्धारित अधिकारी द्वारा सहमति आवश्यक होती है। यदि मंत्रालय विशिष्ट पुलिस संगठन की सिफारिश स्वीकार नहीं करता है, तो प्रशासनिक सतर्कता खण्ड मध्यस्था करता है। विभागीय जांचों में दण्ड के संबंध में संघीय लोकसेवा आयोग की राय सामान्यत: मांगी जाती है। अन्य मामलों में सम्बन्धित मंत्रालय बिना प्रशासनिक सतर्कता खण्ड या विशिष्ट पुलिस संगठन की राय लिये अंतिम निर्णय लेता है।

आजादी का हिसाब

हिन्दुस्तान में आजादी से पहले ईस्ट इण्डिया कंपनी के अफसर स्थानीय राजाओं को सुविधाओं के बदले रिश्वत का रास्ता बता गए थे। कंपनी गई, अंग्रेज गए, देशी शासकों के देशी रास्ते निकल आएं। वारेन हेस्टिंग्ज के किस्से पीछे छूट गए, तेलगी जैसे नए किस्से बन गए। आजादी के बाद अब तक हुए कुछ प्रमुख भ्रष्टाचार के मामलों की एक झलक निम्न टेबिल में देखी जा सकती है:

क्र.सं.	वर्ष	घोटाले का नाम	कथित रूप से आरोपों के घेरे में	अनुमानित घोटाला (करोड़ रुपए में)
1.	1948	सेना के लिए जीपें, राइफल खरीदने का ठेका ब्रिटेन को	वी.के. कृष्णमेनन (लंदन में तत्कालीन उच्चायुक्त)	30
2.	1956	हीरों की खान के मालिक सिराजुद्दीन की डायरी जब्त	तत्कालीन केन्द्रीय मंत्री केशवदत्त मालवीय	0.60 लाख
3.	1975	मारूति उद्योग को 300 एकड़ जमीन देने का मामला	संजय गांधी व हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री बंसीलाल	100
4.	1980	इंडियन ऑयल की निविदाओं में हेरफेर	तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री प्रकाश चन्द्र सेठी व संजय गांधी	9
5.	1987	बोफोस तोप घोटाला	क्वात्रोच्चि, हिंदुजा बंधु, राजीव गांधी आदि	68
6.	1988	धमार्थ चिकित्सालयों को चिकित्सा उपकरण आयात में छूट	तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री बी. शंकरानन्द	5000
7.	1989	कोयला घोटाला	फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन व टाटा समूह	50
8.	1991	नागरिक उड्डयन मंत्रालय में एयर बस खरीद	तत्कालीन उड्डयन मंत्री	200
9.	1991	कर्नाटक में कम्प्यूटर खरीद	तत्कालीन मुख्यमंत्री बंगरप्पा	50
10.	1991	कर्नाटक कृषि घोटाला	तत्कालीन कृषि मंत्री व अधिकारी	500
11.	1991	पश्चिम बंगाल वक्फ भूमि घोटाला	मुख्यमंत्री व उनके पुत्र व अन्य	1100

क्र.सं.	वर्ष	घोटाले का नाम	कथित रूप से आरोपों के घेरे में	अनुमानित घोटाला (करोड़ रुपए में)
12.	1992	प्रतिभूति घोटाला	हर्षद मेहता व कई तत्कालीन मंत्री	40000
13.	1993	लोकोमोटिव इंजन खरीद घोटाला	तत्कालीन रेल मंत्री जाफर शरीफ	19
14.	1993	चीनी घोटाला	तत्कालीन केन्द्रीय मंत्री कल्पनाथ राय	100
15.	1993	कोयला, कोलतार, स्कूल ड्रेस, धोती, चंदन व	तत्कालीन तमिलनाडू की मुख्यमंत्री जयललिता व अन्य साथी कंटीले तारों का घोटाला	2000
16.	1993	झारखण्ड मुक्तिमोर्चा रिश्वत कांड	नरसिंह राव, सतीश शर्मा व बूटासिंह सहित 24 अभियुक्त	5
17.	1993	महाराष्ट्र जूता घोटाला	सुशील कुमार शिंदे व जूता निर्माण सहकारी समिति	1500
18.	1993	उत्तरप्रदेश आयुर्वेद घोटाला	तत्कालीन मंत्री बलराम यादव व अन्य	72
19.	1995	संचार घोटाला	तत्कालीन केन्द्रीय मंत्री सुखराम व अन्य	1,00,000
20.	1995	पेट्रोल पंप व सरकारी आवास घोटाला	तत्कालीन मंत्री सतीश शर्मा व शीला कौल	100
21.	1995	इंडियन बैंक घोटाला	तमिल मनीला कांग्रेस नेता व बैंक अधिकारी	3000
22.	1995	चारा घोटाला	पूर्व मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव, भाजपा, कांग्रेस व कम्यूनिस्ट विधायक	950
23.	1996	यूरिया घोटाला	रामलखन सिंह यादव के पुत्र प्रकाश यादव व अन्य	133
24.	1996	बैलाडीला हीरा खान घोटाला	कई नेता व अधिकारी	5000
25.	1996	हवाला घोटाला	कई नेता व मंत्री	-
26.	2001	रक्षा घोटाला- तहलका कांड	जॉर्ज फर्नान्डिस व कई रक्षा अधिकारी	-
27.	2003	स्टाम्प घोटाला	तेलगी, कई नेता व अधिकारी	23000

3. केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सेन्ट्रल विजिलेंस कमीशन)

भ्रष्टाचार निवारण समिति ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना हेतु सिफारिश की थी। इस आयोग में तीन निदेशालय बनने थें:

(अ) सामान्य शिकायतें एवं पूर्ति निदेशालय,

(ब) केन्द्रीय पुलिस दल तथा

(स) सतर्कता निदेशालय

परंतु भारत सरकार ने कतिपय सिफारिशों को अतिशय मानकर उनके कुछ हिस्सों को अस्वीकार कर दिया। उदाहरण के लिए, सामान्य शिकायतें एवं पूर्ति निदेशालय को बनाने का प्रस्ताव और केन्द्रीय सतर्कता आयोग को 1952 के जांच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत शक्तियां प्रदत्त करने का प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। भारत सरकार ने फरवरी 1964 को केन्द्रीय सतर्कता आयोग बिठाया। आयोग का कार्य था कि यदि कोई सरकारी नौकर अनुचित उद्देश्य से या भ्रष्ट रूप से कार्य करता है या उस पर ऐसा आरोप है तो उसकी जांच करना।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग प्रतिवर्ष अपने क्रिया-कलापों का एक प्रतिवेदन गृह मंत्रालय को प्रस्तुत करता है, जिसमें उन सिफारिशों की ओर विशेष ध्यान आकर्षित किया जाता है जिन्हें भारत सरकार ने स्वीकार नहीं किया या जो अमल में नहीं लाई गई। अपने प्रतिवेदन (1983) में केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने अपने कार्य में उन्नति हेतु निम्नांकित सुझाव दिये हैं:

(1) उच्च पदस्थापित जन सेवकों में से भ्रष्टों को हटाने के लिए समय पूर्व सेवा निवृत्ति के कानूनी प्रावधानों को अधिक प्रभावशाली ढ़ंग से उपयोग में लाना चाहिए। समयपूर्व सेवा का उपयोग न केवल अक्षम को हटाने के लिए किया जा सकता है, अपितु जिनकी सत्यनिष्ठा पर संदेह है या जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, ऐसे तथा अन्य मामलों में उपयोग किया जा सकता है।

(2) सेवा में ऐसे कर्मचारियों को स्थायीकरण या दक्षता अवरोध पार करने की स्थिति में संशोधनात्मक या निवारणात्मक कदम उठाये जाने चाहिए।

(3) केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया है कि बहुत से अपराधी कर्मचारियों के विरूद्ध, जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में हैं तथा इनमें राष्ट्रीयकृत बैंकों को भी शामिल किया गया है, अनुशासनात्मक कार्यवाही समाप्त हो जाती है या समाप्त करनी पड़ती है, क्योंकि वे सेवानिवृत हो जाते हैं तथा सम्बन्धित नियमों में ऐसा प्रावधान नहीं है कि ऐसे अधिकारियों की सेवा निवृत्ति के उपरांत भी उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही चालू रहे या प्रारम्भ की जावे।

(4) आयोग ने पब्लिक एन्टरप्राइजेज ब्यूरो तथा सरकार के समस्त मंत्रालयों एवं विभागों को सलाह दी जहां पेंशन नियम लागू हो तथा जहां प्रोविडेन्ट फण्ड या ग्रेज्युटी की राशि के

भुगतान संबंधी नियम लागू हों, उनका अध्ययन राजकीय कर्मचारियों के ऊपर लागू होने वाले नियमों की तरह किया जावे ताकि यदि किसी कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही चल रही हो या चलायी जानी हो तो उसकी पेंशन या नियोजक के अंशदान को या ग्रेच्युटी के भुगतान को वापिस लिया जा सके या रोका जा सके, चाहे वह सेवानिवृत ही क्यों न हो गया हो।

भ्रष्टाचार के विभिन्न रूप

भ्रष्टाचार के कई रूप हो सकते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि भ्रष्टाचार धन के रूप में ही हो।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने भ्रष्टाचार के निम्न 26 प्रकारों का उल्लेख किया है:

1. निम्न स्तरीय वस्तुओं या काम को स्वीकार करना,
2. सार्वजनिक धन और भंडार का दुरूपयोग करना,
3. जिन व्यक्तियों/अधिकारियों के कार्यालय स्तर के सम्बन्ध हैं, उनके आर्थिक दायित्वों को वहन करना,
4. ऐसे ठेकेदारों और फर्मों को रियायतें देना या उनसे कर्ज लेना जिनसे अधिकारियों/कर्मचारियों के कार्यालय सम्बन्ध होते हैं,
5. झूठे दौरे भत्ते एवं गृह किराया आदि का दावा करना,
6. अपनी आमदनी से अधिक वस्तुओं को खरीदना,
7. बिना पूर्व सूचना या अनुमति के अचल सम्पत्ति अर्जित करना,
8. प्रमाद या अन्य कारण से शासन को हानि पहुंचाना,
9. शासकीय पद या सत्ता का दुरूपयोग करना,
10. भर्ती, नियुक्ति, स्थानान्तरण या पदोन्नति के संबंध में गैर-कानूनी रूप से धन लेना,
11. शासकीय कर्मचारियों को व्यक्तिगत कार्यों में प्रयोग करना,
12. जन्म तिथि एवं समुदाय संबंधी जाली प्रमाण पत्र तैयार करना,
13. रेल एवं वायुयान में सीट सुरक्षित करने में अनियमितता,
14. मनीऑर्डर, बीमा एवं मूल्य देय पार्सलों आदि को न देना,
15. नये डाक टिकट को हटाकर पुराने डाक टिकट लगाना,
16. आयात एवं निर्यात लाईसेंस देने में असहयोग एवं अनियमितता,
17. शासकीय कर्मचारी की जानकारी एवं सहयोग से विभिन्न कार्यों द्वारा आयातित एवं निर्धारित कोटे का दुरूपयोग करना,
18. टेलीफोन कनेक्शन देने में अनियमितता,
19. अनैतिक आचरण,

20. उपहार ग्रहण करना,
21. आर्थिक लाभ के लिए आयकर, सम्पत्ति कर आदि का कम मूल्यांकन करना,
22. स्कूटर एवं कार खरीदने के लिए स्वीकृत अग्रिम धनराशियों का दुरूपयोग करना,
23. विस्थापितों के दावों को निपटाने में अनुचित विलम्ब,
24. विस्थापितों के दावों का गलत मूल्यांकन,
25. आवासीय भूमि के हिस्सों में क्रय एवं विक्रय के संबंध में धोखा देना,
26. शासकीय क्वार्टरों का अनाधिकृत कब्जा एवं उन्हें अनाधिकृत रूप से किराये पर उठाना।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने एक ऐसी सेल्फ हेल्प लाईन तैयार की है जिससे जिससे कोई भी आम आदमी चाहे तो खुद को भ्रष्ट होने से या अन्यत्र होने से रोक सकता है। इसी के दस मुख्य बिन्दु निम्न हैं:

1. अपना ईमान

भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए सबसे मूलभूत जरूरत है हर व्यक्ति को खुद से ईमानदार बनने की। यदि आप चाहते हैं कि देश और समाज से भ्रष्ट आचरण खत्म हो, तो इसके लिए सबसे पहले खुद को इस तरह तैयार करना होगा कि आपको रिश्वत लेने या देने की कोई जरूरत नहीं पड़े। भारत के मशहूर विद्वान चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 'राजाजी' ने इसके लिए एक विशेष शब्द 'राष्ट्रीय चरित्र' दिया। वे कहते थे कि किसी भी राष्ट्र की उन्नति उसके राष्ट्रीय चरित्र के अनुपात में घटती या बढ़ती है और राष्ट्रीय चरित्र बनता है वहां के नागरिकों के व्यक्तिगत चरित्र से।

2. शॉर्टकट नहीं

भ्रष्टाचार बढ़ने के पीछे दो-चार लोगों का हाथ नहीं होता, बल्कि यह छोटे-छोटे स्वार्थों का सामूहिक रूप होता है। आज हर कोई शॉर्टकट समाधान की कोशिश में ये शॉर्टकट अक्सर ऐसे नियमों को तोड़कर निकाले जाते हैं जो भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए बनाए गए होते हैं। अधिकांशत: यह समाधान रिश्वत है। एक छोटा सा उदाहरण हममें से अधिकतर लोग सेल्स टेक्स के मायने न समझकर खरीदी हुई चीजों का बिल नहीं लेते। दुकानदार भी अपना टेक्स बचाने के लिए नियम तोड़ता है ऐसी विभिन्न सेवाओं के बिल भरने, ट्रैफिक नियम तोड़ने, फाइल जल्दी आगे बढ़ावाने और पदोन्नति पाने तक में किया जाता है। ये सभी शॉर्टकट आसानी से छोड़े जा सकते है।

3. साथी हाथ बढ़ाना

भ्रष्टाचार से मुकाबला अकेले भी किया जा सकता है, लेकिन यदि आप पहले से सक्रिय लोगों के साथ मिल जाएं तो रास्ता आसान होगा। हमारे बीच ऐसे कई स्वयं सेवी संगठन (एन.जी.ओ.) सक्रिय हैं जो सार्थक प्रयास कर रहे हैं। यदि आपको आस-पास ऐसे मामले दिखते हों जहां अकेले से बात बनती नजर नहीं आती, तो इन संगठनों की सहायता लें। आपको इतना ध्यान रखना है कि मददगार खुद ही पहले से भ्रष्ट न हो। देश में 100 करोड़ में से 5 करोड़ लोग भ्रष्ट हैं, तो भी 95 करोड़ लोग साफ-सुथरे हैं। अब यदि ये 95 करोड़ लोग एक साथ आएं तो क्या कुछ परिवर्तन नहीं हो सकता?

4. सही बोलें- सही बताएं

पिछले दशकों में ऐसी घटनाओं में बढ़ोतरी हुई हैं जब लोगों ने स्वार्थ की खातिर दूसरों को भ्रष्ट बताया है। ऐसे मामलों में कर्ता कोई और होता है और आरोपी कोई और। यदि आपकी स्थिति भी ऐसी है तो संभलिए और सच का साथ दीजिए। भ्रष्टाचार के दलदल में हमेशा के लिए फंसना नहीं चाहते हो तो सही बोलिए और सही जानकारियां दीजिए। यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं और किसी निर्दोष को फंसा रहे हैं तो आप बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं।

5. पहचान साफ-साफ

यदि आप किसी के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, तो आपको अपनी पहचान स्पष्ट करने को लेकर सचेत रहना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो 'ब्लैकमेलिंग' का खतरा बढ़ जाएगा। यदि आप भ्रष्टाचार से वाकिफ हैं या अनुभव कर चुके हैं, लेकिन अपनी पहचान छुपाकर उसे सामने लाना चाहते हैं तो इसका फायदा कुछ गलत लोग भी उठा सकते हैं। यदि आप मुश्किल में नहीं पड़ने की सोचकर अपनी पहचान बनाने से डर रहे हैं तो घबराइये नहीं, क्योंकि अब ऐसे कानून व्यवहार में हैं जिनके जरिये आपकी पहचान को गुप्त रखकर शिकायत पर अमल किया जा सकता है।

पहचान को लेकर केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने स्वच्छ वातावरण बनाने के लिए कई प्रावधान किए हैं। इनमें से सबसे प्रमुख यह है कि किसी भी बेनाम या छदम नाम वाली शिकायत पर कार्यवाही नहीं की जाएगी। इसके दो कारण हैं:

अ. शिकायतकर्ता ईमानदार तो है, लेकिन वह शक्तिशाली आरोपियों से डरता है।

ब. शिकायतकर्ता एक ब्लैकमेलर हो जो नियमों से अपना स्वार्थ सिद्ध करता है।

लेकिन इनके चलते कई मामले सामने आने से रह जाते हैं, इसलिए सी.वी.सी. ने नए प्रावधान किए हैं। उनके अनुसार-

1. कोई भी जूनियर अधिकारी अपने सीनियर के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज करा सकता है।
2. शिकायतकर्ता का नाम तब तक जाहिर नहीं किया जाएगा, जब तक कि शिकायत सक्षम अधिकारियों तक कार्रवाई के लिए नहीं पहुँच जाती।
3. हर एक कार्यालय में यह नोटिस अनिवार्य रूप से लगा होना चाहिए कि किसी भी काम के लिए रिश्वत मत दीजिए। यदि कोई आपको ऐसा करने पर मजबूर कर रहा है तो अपनी शिकायत सी.वी.ओ. या सी.वी.सी. के पास दर्ज कराएं।

6. खामोशी मना है

छोटे भ्रष्ट कार्यों का तो आप मुखर विरोध कर सकते हैं और अक्सर देखा भी गया है कि प्रत्यक्ष जनविरोध के चलते ऐसे काम बंद हो जाते हैं। हमारे बीच ऐसी कई भ्रष्ट एजेंसियां हैं जो एक रैकेट के रूप में काम कर लोगों को ठग रही हैं। ऐसे लोग बैंक, सहकारी संस्थाएं, रोजगार एजेंसी, शैक्षणिक संस्थाएं और चिटफण्ड स्कीम खड़ी करके लोगों को ठगते हैं। यदि आप भी ऐसे अनुभव से गुजरे हैं तो सी.वी.सी. या अन्य किसी सक्रिय संगठन को इसके बारे में बताएं। यदि आपने धोखा खाया है और चुप बैठे हैं तो भ्रष्ट लोग आपके ही जैसे दूसरे लोगों को ठग रहे होंगे।

7. डर से कभी डरना नहीं

आप भ्रष्ट लोगों से घिरे हैं, लगातार भ्रष्टाचार होते देख रहे हैं और खुद भी धीरे-धीरे उसी व्यवस्था का हिस्सा बनते जा रहे हैं, सिर्फ इसी डर के कारण कि जो भ्रष्ट हैं, वे ताकतवर हैं। यदि आपने उनके खिलाफ कुछ बोला या खुद को उनसे अलग करने की कोशिश की तो वे आपको नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन मनोवैज्ञानिक सच्चाई यह है कि जितनी पीड़ा आप इस डर के कारण भुगत रहे हैं, उससे कहीं कम पीड़ा सच्चाई को सामने लाने पर होगी। अकेले होने पर भी खुद को कमजोर मत समझिए, आपकी मदद के लिए ऐसी कई संस्थाएं सक्रिय हैं। आप विश्वासपात्र साथी भी बन सकते हैं, लेकिन यह आपको आत्मविश्वास से होगा।

8. जागरूकता की शक्ति

भ्रष्टाचार के विरूद्ध जागरूकता उत्पन्न करना सबसे उपयुक्त कदम हैं। हर भ्रष्ट काम एक चक्र में चलता है जो छोटे से बड़े और बड़े से छोटे भ्रष्ट की ओर हमेशा तेज गति से बढ़ता है। यदि आप इसके विरोधी बनना चा रहे हैं तो इसका तात्पर्य यह है कि आप एक स्थापित चक्र के खिलाफ खड़े होंगे। यहां आपकी जागरूकता मददगार बनेगी और लोगों को आपके साथ खड़ा करेगी। हमारे देश में अक्सर देखने में आता है कि ज्यादातर भ्रष्टाचार राजनीति से शुरू

होता है। लोग दुहाई दे-देकर भ्रष्टाचार करते हैं कि जब देश को चलाने वाले ईमानदार नहीं हैं, तो अवाम से अपेक्षा कैसे की जा सकती है? धीरे-धीरे यह भ्रष्टाचार नौकरशाही, व्यापार, उद्योग और अपराध जगत से होता हुआ साधारण आदमी तक पहुंच जाता है। यहीं चक्र फिर उल्टे भी चलता है। यदि आप जागरूकता फैलाते हुए इस चक्र को तोड़ने का प्रयास करेंगे तो सफल होने की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाएंगी। आप अपनी बातों से, पत्रों से, ई-मेल या पर्चों के द्वारा ऐसा कर सकते हैं।

9. साक्षरता एक हथियार

भ्रष्टाचार के मुकाबले में साक्षरता एक कारगर हथियार सिद्ध हुई है। भारत में केरल सर्वाधिक साक्षर प्रदेश है और वहां भ्रष्टाचार की दर कम है। साक्षर होने का मतलब केवल यह नहीं है कि आपको अक्षर ज्ञान है। इसका व्यापक तात्पर्य आपके पूरे व्यक्तित्व और गुणों को श्रेष्ठ बनाना है। साक्षर बनकर आप सहीं व्यक्ति और प्रक्रिया को चुन सकते हैं।

10. कौनसी माफी, कैसी सहनशीलता?

हमने सहनशीलता की ऐसी अशुद्ध संस्कृति विकसित कर ली है कि हमारे परिवेश में कुछ भी सही-गलत होता रहे, हम प्रतिक्रिया देने से कतराते हैं। ऐसा भ्रष्टाचार और बेईमानी के मामले में तो बहुत अधिक है। हम ऐसे नेताओं, अफसरों, व्यापारियों और अन्य लोगों को बहुत जल्दी व आसानी से माफ कर देते हैं जो भ्रष्ट होते हैं या ऐसी ही किसी घटना का कारण होते हैं। सहन करने के गुण को जनसाधारण की लाचारी समझकर शक्ति सम्पन्न लोग गलत फायदा उठाते हैं। यदि हम माफ करने और सहन करने की अपनी आदत को शुद्ध कर लें तो कई भ्रष्टाचारियों का पर्दाफाश किया जा सकता है।

कैसे करें शिकायत

भारत में केन्द्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना वर्ष 2003 में सतर्कता मामलों और भ्रष्टाचार रोधी उपायों के क्रियान्वयन के लिए की गई है। आयोग ने ऐसे प्रावधान किए हैं कि जिनके अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति लोक सेवकों (सरकारी कर्मचारियों) के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज करवा सकता है। आयोग के अधिकार क्षेत्र में सभी केन्द्रीय मंत्रालय, विभाग, केन्द्र के सार्वजनिक उपक्रम, राष्ट्रीयकृत बैंक, बीमा कंपनियां, स्वायत्त संगठन और केन्द्र शासित प्रदेश आते हैं। विभिन्न राज्यों में लोकायुक्त और राज्य सतर्कता आयोग के माध्यम से भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। आयोग ने शिकायत भेजने के लिए एक नियमावली बनाई हैं। इसके अनुसार-

1. शिकायत एक बंद/सुरक्षित लिफाफे में होनी चाहिए।
2. लिफाफा सचिव, केन्द्रीय सतर्कता आयोग के नाम होना चाहिए तथा उसके ऊपर 'जनहित प्रकटीकरण के अन्तर्गत शिकायत' लिखी होनी चाहिए। यदि लिफाफे के ऊपर ऐसा नहीं लिखा जाता है तथा लिफाफे को बंद नहीं किया जाता है तो ऐसी शिकायत पर आयोग की सामान्य नीति के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत के आरम्भ अथवा अंत में या एक संलग्न पत्र में नाम तथा पता दिया जाना चाहिए।
3. शिकायत सीधे आयोग को सम्बोधित होनी चाहिए और संक्षित होनी चाहिए। इसमें वास्तविक विवरण, सत्यापनीय तथ्य तथा सम्बद्ध मामले होने चाहिए। शिकायत अस्पष्ट अथवा अतिश्योक्तिपूर्ण सामान्य आरोपों वाली नहीं होनी चाहिए।
4. शिकायत का प्रारूप सावधानीपूर्वक तैयार किया जाना चाहिए ताकि इससे शिकायतकर्ता की पहचान के बारे में कोई विवरण अथवा सुराग न मिल सकें।
5. आयोग अनाम और छदम् नाम वाली शिकायतों पर कार्रवाई नहीं करता है। व्यक्ति की पहचान सुरक्षित रखने के उद्देश्य से आयोग कोई पावती जारी नहीं करेगा तथा शिकायतकर्ता को सलाह दी जाती है कि वह स्वयं अपने हित में कोई पत्राचार नहीं करें। आयोग यह विश्वास दिलाता है कि यदि मामले के तथ्य सत्यापनीय हैं, तो वह आवश्यक कार्यवाही करेगा। यदि इससे आगे किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता होगी तो आयोग, शिकायतकर्ता से सम्पर्क करेगा।
6. शिकायतकर्ता मान्य करणों से पहचान गुप्त रखने का अनुरोध करता है तो आयोग इसे सुनिश्चित करता है।
7. आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर की शिकायतों को या तो फाइल कर दिया जाता है या इन्हें मुख्य्य सतर्कता अधिकारी के पास भेज दिया जाता है।
8. इस संकल्प के अन्तर्गत आयोग, सोद्देश्य/तंग करने वाली शिकायतें देने वाले शिकायतकर्ता के विरूद्ध भी कार्रवाई कर सकता है।
9. विस्तृत अधिसूचना की एक प्रति आयोग की वेबसाइट http:/cvc.nic.in पर उपलब्ध है।

ई-मेल से शिकायत

आयोग ने ई-मेल द्वारा शिकायत भेजने और उस पर कार्रवाई की स्थिति जांचने के लिए अपनी वेबसाइट के होमपेज पर ऑनलाईन सुविधा उपलब्ध कराई है।

कैसे करें

ई-मेल द्वारा शिकायत केवल आयोग की वेबसाइट से उपलब्ध फॉरमेट में ही भेजी जानी चाहिए। बिना नाम या गलत नाम या पते वाली शिकायतें मान्य नहीं होगी। अधिकार क्षेत्र से बाहर की शिकायतें भी अमान्य होगी।

क्या होगा

सही शिकायत डाउनलोड कर सक्षम अधिकारी तक पहुंचाई जाएगी। शिकायती ई-मेल का सेल्फ जनरेटेड एक्नॉलेजमेंट नहीं देगा। यदि आप चाहते हैं तो नियमावली को मानना होगा।

स्थिति पता करना

जनवरी 2005 के बाद ही प्रत्येक वैध शिकायत पर आयोग एक शिकायत नंबर देगा, जिसे आयोग की वेबसाइट पर कम्प्लेंट स्टेटस ऑप्शन पर डालकर शिकायतकर्ता उसकी स्थिति का पता कर सकता है। इसके लिए तीन महीने की न्यूनतम समयावधि तय की गई है। कुछ मामलों में छह महीने का समय भी लगता है। इसलिए शिकायतकर्ता को अपनी स्थिति जांचने के लिए तीन महीने बाद ही कोई प्रयास करना चाहिए।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग से सम्पर्क

- केन्द्रीय सतर्कता आयोग (Central Vigilance Commission),
  सतर्कता भवन, ए-ब्लॉक, जी.पी.ओ. कॉम्पलेक्स, आई.एन.ए., नई दिल्ली- 110 023,
  फोन: 011-2465 1001-8, फैक्स: 011-24651010,
  ई-मेल: vigilance@hub.nic.in
- केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त, श्री पी. शंकर,
  ई-मेल: cvc@alpha.nic.in
- सतर्कता आयुक्त, श्री एच.जे. दोरो,
  ई-मेल: vcl@cvc.delhi.nic.in
- अपीलेन्ट ऑथोरिटी, श्री एस. गोपाल,
  अतिरिक्त सचिव, केन्द्रीय सतर्कता आयोग,
  सतर्कता भवन, ए-ब्लॉक, जी.पी.ओ. कॉम्पलेक्स,
  आई.एन.ए., नई दिल्ली- 110 023,
  फोन: 011-2461 8497, फैक्स: 011-2469 3589,
  ई-मेल: as@cvc.delhi.nic.in

4. केन्द्रीय जाँच ब्यूरो (सी.बी.आई.)

भारत सरकार ने प्रस्ताव सं. 4/31/61 टी दिनांक 1.4.1963 द्वारा केन्द्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना उन अपराधों की जांच के लिए की जो डी.एस.ई.पी. (जाँच तथा भ्रष्टाचार विरोधी प्रभाग) द्वारा हाथ में लिये जाते हैं। जैसे कुछ विशेष प्रकार के अपराधों के बारे में सूचना एकत्रित करना, इन्टरपोल संबंधी कार्य में भाग लेना, अपराध के आंकड़े एकत्रित करना, विशेष अपराधों का अध्ययन तथा अपराध सम्बन्धी कानूनों का समन्वयन। सी.बी.आई. को 1964 में आर्थिक अपराध विभाग (इकोनोमी ऑफेन्स सेल) जोड़कर अधिक शक्ति सम्पन्न बनाया गया जिसको भारत सरकार के प्रस्ताव सं. 26/66/645 ए.वी.डी., दिनांक 24.6.64 द्वारा बनाया गया तथा सितम्बर 1964 में भोजन अपराध विभाग (फूड ओफेन्स सेल) को सम्मिलित किया गया। बाद में भोजन अपराध विभाग को आर्थिक अपराध विभाग में मिला दिया गया।

प्रस्ताव

केन्द्रीय जांच ब्यूरो 6 भाग के हैं: 1. जांच तथा भ्रष्टाचार विरोधी प्रभाग (डी.एस.पी.ई.) 2. तकनीकी भाग 3. अपराध अभिलेख तथा सांख्यिकी प्रभाग 4. खोज प्रभाग (रिसर्च डिवीजन) 5. विधिक तथा समान्य प्रभाग 6. प्रशासनिक प्रभाग

केन्द्रीय जांच ब्यूरो के कार्य

वर्तमान में केन्द्रीय जांच ब्यूरो में कार्यरत प्रभाग निम्नलिखित हैं:

1. दिल्ली विशिष्ठ पुलिस संस्था प्रभाग (इसमें सामान्य अपराध खण्ड तथा आर्थिक अपराध खण्ड शामिल हैं)
2. विधि प्रभाग
3. नीति एवं संगठन प्रभाग
4. तकनीकी प्रभाग
5. समन्वय प्रभाग (अपराध, अभिलेख खण्ड, इंटरपोल खण्ड तथा समन्वय खण्ड मिलाकर बना है)
6. अपराध विज्ञान प्रभाग
7. प्रशासन विभाग

1. दिल्ली विशिष्ठ पुलिस संस्था प्रभाग

यह प्रभाग वह केन्द्र है जिसके चारो ओर ब्यूरो बना था। इसके दो खण्ड हैं:

(अ) सामान्य अपराध खण्ड

यह खण्ड उन जनसेवकों के विरूद्ध मामलों की जांच करता है जो केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत है या जिनमें केन्द्रीय सरकार सम्मिलित है। सफेदपोश अपराधों, भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, धोखा देना या जनता से सम्बन्धित गबन, जॉइंट स्टॉक कंपनी, पासपोर्ट अपराध, अधिकारिक गोपनीयता विधेयक का उल्लंघन, रेलवे, डाक एवं तार, समुद्र पर अपराध या हवाई जहाज पर अपराध से निपटता है। इस खण्ड में विशेष दल होते हैं जो पब्लिक लिमिटेड़ कंपनी के धन या सम्पत्ति के गलत उपयोग की या इसी प्रकार के मामले जिनका अन्तर्राज्यीय या अन्तर्देशीय प्रभाव हो, जांच करते हैं। यही खण्ड सार्वजनिक सेवाओं तथा सार्वजनिक क्षेत्रों की संस्थाओं में भ्रष्टाचार की भी जांच करता है।

इसके अन्तर्गत निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार किया जाता है:

1. भ्रष्ट तत्वों (अधिकारिक और गैर-अधिकारिक) की खोज जिन पर कड़ी निगाह रखनी है।
2. क्षेत्रों तथा बिंदुओं का निर्धारण जहां भ्रष्टाचार बड़ी मात्रा में मौजूद है जिनके लिए विशेष निगरानी, अचानक जांच करना, चुने हुए अभिलेखों की सुरक्षा ताकि दुष्प्रवृत्तियों की जानकारी हो सके।
3. संवेदनशील बिंदुओं पर प्रभावी सतर्कता जहां ऐसा लेन-देन होता है तथा जाल बिछाना।
4. प्रक्रिया में संशोधन सुझाना जिससे भ्रष्ट व्यवहार रूके।
5. भ्रष्टाचार के विशिष्ठ मामलों का पता लगाना तथा इनके विरूद्ध समुचित एवं तुरंत जांच द्वारा ठोस सबूत प्राप्त करना तथा सम्बन्धित अधिकारी को न्यायालय या विभागीय जांच द्वारा दण्डित कराना।

(ब) आर्थिक अपराध खण्ड

1 जुलाई, 1964 को प्रारम्भ किये गये आर्थिक अपराध खण्ड के क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता, मुम्बई, चेन्नई तथा दिल्ली में हैं। इनकी संरचना के अन्तर्गत भोजन अपराध खण्ड, जिसका क्षेत्राधिकार सारे भारत में है, इसमें मिला दिया गया। यह खण्ड राज्य सरकारों द्वारा प्रेषित मामलों की जांच करता है, साथ ही भोजन (खाद्य पदार्थ) अपराध संबंधी सूचना एकत्रित कर कार्यवाही हेतु संघीय क्षेत्रों तथा राज्यों को भेजता है।

यह खण्ड वित्त मंत्रालय के साथ मिलकर काम करता है तथा तटकर विधेयक (कस्टम एक्ट), केन्द्रीय आबकारी विधेयक (सेन्ट्रल एक्साइज एक्ट), आयकर विधेयक (इनकम टैक्स एक्ट), आयात-निर्यात (नियंत्रण) आदेशों, विदेशी मुद्रा विनिमय विधेयक, कंपनी विधेयक,

अफीम तथा खतरनाक मादक पदार्थ विधेयक, जाली नोट बनाना जिनमें अन्तर्राज्जीय या अन्तर्राष्ट्रीय दल शामिल हों या जहां जाली नोटों की राशि बहुत अधिक हो, सम्बन्धित केन्द्रीय विभाग की प्रार्थना या सलाह से आर्थिक अपराधों से सम्बन्धित मामले सी.बी.आई. द्वारा जांच के लिए हाथ में लिये जाते हैं।

2. विधि प्रभाग

विधि मंत्रालय के अधिकारी की अध्यक्षता वाला यह प्रभाग सी.बी.आई.के जांचकर्ता या परिवीक्षण अधिकारियों को विशेष कानूनी सलाह देता है कि जांच किये जा रहे मामलों में क्या कार्यवाही की जानी है। कानूनी सलाहकार की सहायता के लिए एक अतिरिक्त कानूनी सलाहकार, 6 उप कानूनी सलाहकार तथा कई सरकारी वकील होते हैं जो क्षेत्रीय या केन्द्रीय शाखाओं से जुड़े होते हैं। इस प्रभाग द्वारा महत्वपूर्ण मामलों में मुकदमा चलाया जाता है तथा सी.बी.आई. राजपत्र हेतु न्यायालयों के निर्णयों का पुनरावलोकन किया जाता है। अत: इसे न्यायालयी निर्णयों का भंडार कहा जा सकता है। यह मौजूदा कानूनों की जांच करता है तथा संशोधन सुझाता है।

3. नीति एवं संगठन प्रभाग

यह प्रभाग सी.बी.आई. संगठन की सामान्य नीति से सम्बन्धित है तथा सीधे निदेशक के कार्यभार में आता है। यह प्रभाग सतर्कता, भ्रष्टाचार विरोधी अभियान तथा अन्य उपायों को केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों से मिलकर व्यवहार में लाता है। यह प्रभाग प्रक्रिया, अपराध संबंधी अन्तर्राज्जीय गोष्ठियों और भ्रष्टाचार विरोधी कार्यों तथा भ्रष्टाचार के ढ़ंग पर मूल्यांकन प्रतिवेदनों आदि का काम विभिन्न विभागों तथा सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं में करता है।

4. तकनीकी प्रभाग

यह प्रभाग जांचकर्ता अधिकारियों को तकनीकी निर्देशन प्रदान कर सहायता करता है। इस प्रभाग में आयकर, सार्वजनिक निर्माण, रेलवे, डाक तथा तार आदि के अधिकारी तथा प्रमाणित योग्यता वाले सनद् प्राप्त लेखाकार होते हैं। इस प्रभाग में विशेष अभियांत्रिकी कक्ष भी होता है जो भवनों, सड़कों, पुलों आदि के निर्माण का मूल्यांकन तथा अन्य सम्बन्धित कार्य करता है। यह कक्ष लेखाकारों, सीमा से अधिक सम्पत्तियों का तथा कर-वंचना पक्ष वाले मामलों में भी जांच कार्य में सहायता देता है।

5. समन्वयन प्रभाग

यह प्रभाग अपराध अभिलेख खण्ड व इंटरपोल खण्ड को मिलाकर बनाया गया है। अपराध अभिलेख तथा इंटरपोल खण्ड अन्तर्राज्जीय या अन्तर्राष्ट्रीय कुख्याति वाले अपराध तथा अपराधियों की सूचना तथा आंकड़े इकट्ठा करने तथा दूसरो को भेजने का काम करता है। संचार एवं यात्रा सुविधाओं के विस्तार से कई अपराधी दल कई राज्यों तथा देशों में अपना धन्धा चलाते हैं। ऐसे अपराधियों के अपराधों की खोज के लिए उनकी कार्यप्रणाली एवं संगठन के सूक्ष्म अध्ययन की आवश्यकता होती है। राज्यों से संकलित अपराधिक सूचनाएं कम्प्यूटर में भर दी जाती है तथा यह सूचना जांच अधिकारी को क्षणो में उपलब्ध हो जाती है। यही प्रभाग जाली नोटों तथा पुरातत्व मूल्य की वस्तुओं की चोरी आदि की सूचना भी एकत्रित करता है। यह इंडियन सिक्यूरिटी प्रेस द्वारा दिये गये सौ रूपए के नोटों के क्रमांक तथा वर्गीकरण का भी अभिलेख रखता है। सन् 1968 से सभी सूचना कम्प्यूटरों में संग्रहित की जाती हैं। इस प्रभाग का इंटरपोल खण्ड भारत के इंटरपोल के राष्ट्रीय केन्द्रीय ब्यूरो (एन.सी.बी.) के रूप में कार्य करता है। यह विदेशी पुलिस बलों से तालमेल बनाए रखता है तथा सोने या मादक पदार्थों की तस्करी आदि की सूचनाओं का विनियोजन विनिमय करता है।

6. अपराध विज्ञान प्रभाग

सी.बी.आई. की केन्द्रीय अपराध विज्ञान प्रयोगशाला जांचकर्ताओं को विशिष्ट सहायता प्रदान करती है। विशेषकर विश्लेषण तथा खून के धब्बे, बाल, रेशे, कांच, रंग, गोली, दूसरे हथियार तथा अन्य सूत्र जो अपराध स्थल पर मिले हों एवं अंगुलियों के निशान, दस्तावेजों की लिखावट पर राय उपलब्ध कराई जाती है। यह प्रयोगशाला एशिया की सर्वश्रेष्ठ सुसज्जित प्रयोगशाला है। इसमें फोटोग्राफिक खण्ड तथा संदर्भ पुस्तकालय भी है।

7. प्रशासन प्रभाग

यहां संस्थापन तथा लेखा संबंधी मामलों पर कार्य होता है। यहां भर्ती तथा व्यक्तियों का प्रशिक्षण और पुन: प्रशिक्षण कार्य भी सम्पन्न किया जाता है।

अध्याय-6

राजस्थान में स्थिति

ट्रांसपेरेंसी इन्टरनेशनल इंडिया द्वारा सम्पूर्ण भारत के 20 राज्यों में से 11 महत्वूपर्ण सेवाओं के लिए किये गये सर्वेक्षण के मुताबिक राजस्थान राज्य भ्रष्टतम राज्यों की श्रेणी में 543 अंक लेकर पांचवे स्थान पर आता है। भारत के संदर्भ में देखा जाए तो राजस्थान में न्यायपालिका सबसे कम भ्रष्ट है। राज्य में किए गए सर्वे के मुताबिक भू-राजस्व तथा पुलिस विभाग सर्वाधिक भ्रष्टता में लिप्त पाए गए हैं। 'कट्स' इन्टरनेशनल, जयपुर द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार शिक्षा विभाग सबसे कम भ्रष्ट तथा पुलिस विभाग सर्वाधिक भ्रष्ट पाये गये।

ट्रांसपरेंसी इन्टरनेशनल इंडिया द्वारा प्रकाशित 'इंडिया करप्शन स्टडी, 2005' के अनुसार राज्य में दी गई रिश्वत का ब्यौरा इस प्रकार है:

क्र.सं.	**विभाग**	**दी गई रिश्वत (रूपयों में)**
1.	अस्पताल	9,94,665
2.	विद्युत	9,44,302
3.	पुलिस	6,24,125
4.	भूमि प्रशासन	5,79,172
5.	न्यायपालिका	5,13,700
6.	सार्वजनिक वितरण सेवाएं	4,15,493
7.	नगरपालिका सेवाएं	3,27,358
8.	शिक्षा	2,51,814
9.	(क) ग्रामीण वित्तीय संस्थाएं	1,15,088
	(ख) इन्कम टैक्स	1,15,088
10.	पानी	1,25,907

'कट्स' सर्वे रिपोर्ट

'कट्स' इन्टरनेशनल, जयपुर द्वारा करवाये गये सरकारी एवं अर्द्धसरकारी विभागों के कर्मचारियों के सर्वे (कुल प्राप्त 70 सर्वे पत्रों पर आधारित) के अन्तर्गत 39 प्रतिशत व्यक्तियों का मानना है कि प्रशासन में भ्रष्टाचार की शुरूआत अधिकारी वर्ग से होती है, 33 प्रतिशत कर्मचारी इसके लिए जन प्रतिनिधियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, 16 प्रतिशत कर्मचारियों ने स्वीकार किया कि चपरासी भ्रष्टाचार की शुरूआत करते हैं एवं 11 प्रतिशत कर्मचारी क्लर्क वर्ग को दोषी ठहराते हैं। 54 प्रतिशत कर्मचारी वर्ग का मानना है कि सर्वाधिक भ्रष्टाचार शहरों में व्याप्त है, 43 प्रतिशत कर्मचारी मानते हैं कि यह तहसील मुख्यालय पर है, जबकि 3 प्रतिशत कर्मचारीगण गांवों में सर्वाधिक भ्रष्टाचार मानते हैं।

भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कारगर ढ़ंग से जो सहायक हो सकते हैं, उनका कर्मचारी वर्ग के मतानुसार विवरण:

1. सामान्य जन
2. भ्रष्टाचार निरोधक तंत्र
3. भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रचार अभियान
4. न्यायपालिका
5. नौकरशाही
6. राजनीतिज्ञ

67 प्रतिशत कर्मचारी वर्ग का मानना है कि भ्रष्ट कर्मचारी को नौकरी से निलम्बित कर देना चाहिए, 31 प्रतिशत कर्मचारियों का कहना है कि भ्रष्ट कर्मचारी के खिलाफ न्यायालय में कार्यवाही की जानी चाहिए तथा 1 प्रतिशत कर्मचारियों का कहना है कि भ्रष्ट कर्मचारी को नौकरी से निलम्बित नहीं करना चाहिए। 73 प्रतिशत कर्मचारी वर्ग का कहना है कि किसी कार्य को करवाने के लिए रिश्वत न देने पर कार्य में रूकावट पैदा की जाएगी एवं 14 प्रतिशत कर्मचारियों का मानना है कि कार्य ही नहीं हो पाएगा एवं 13 प्रतिशत मानते हैं कि कार्य शीघ्रता से सम्पन्न होगा।

53 प्रतिशत कर्मचारी मानते हैं कि शारीरिक यातना भ्रष्टाचार का ही रूप है, 34 प्रतिशत इसे भ्रष्टाचार का श्रेणी में नहीं मानते हैं तथा 13 प्रतिशत व्यक्तियों को मालूम नहीं हैं। 54 फीसदी कर्मचारी वर्ग का मानना है कि उपहार देना भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है, जबकि 14 प्रतिशत इसे भ्रष्टाचार की श्रेणी में नहीं रखते हैं तथा 31 प्रतिशत कर्मचारियों का मत है कि उपहार देना एक व्यक्तिगत मामला है, न कि भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार को समूल जड़ सहित नष्ट करने के लिए 61 प्रतिशत कर्मचारी वर्ग का मानना है कि यह संभव है, 23 प्रतिशत कर्मचारी इसे मुश्किल मानते हैं तथा 16 प्रतिशत व्यक्तियों का मानना है कि यह असंभव है क्योंकि

इसकी जड़े बहुत गहरी हैं।

भ्रष्टाचार निवारण के लिए 57 प्रतिशत का मत है कि भ्रष्टाचार निरोधक तंत्र का सुदृढ़ीकरण हो तथा 36 प्रतिशत कर्मचारी मानते हैं कि समय-समय पर कर्मचारियों का आर्थिक सर्वेक्षण करवाया जाना चाहिए तथा 7 प्रतिशत का मत है कि भ्रष्टाचार में संलिप्त अफसरों की पहचान कर उन्हें दण्डित किया जाए। 40 फीसदी कर्मचारी वर्ग का मानना है कि सरकारी विभागों में यदा-कदा उनसे काम के बदले में रिश्वत मांगी जाती है एवं 29 प्रतिशत का कहना है कि सरकारी विभागों में अफसर द्वारा प्राय: रिश्वत की मांग की जाती है एवं 31 प्रतिशत ने स्वीकार किया कि उनसे सरकारी विभाग में कभी भी रिश्वत नहीं मांगी गई।

67 प्रतिशत कर्मचारी वर्ग का मानना है कि पिछले एक वर्ष में भ्रष्टाचार के स्तर में वृद्धि हुई है। वहीं 14 प्रतिशत मानते हैं कि कमी आई है तथा 19 प्रतिशत कर्मचारियों का मानना है कि भ्रष्टाचार का स्तर समान है। विभागवार किये गये सर्वे के अनुसार दस प्रमुख विभागों का सर्वे किया गया जिनको कम भ्रष्ट से अधिक भ्रष्ट के क्रम में प्रस्तुत किया जा रहा है:

1. शिक्षा — सबसे कम भ्रष्ट
2. न्यायपालिका
3. विद्युत
4. वित्तीय संस्थान
5. स्वास्थ्य अस्पताल
6. इन्कम टैक्स
7. आबकारी विभाग
8. सार्वजनिक निर्माण विभाग
9. पुलिस एवं भू-राजस्व — सबसे अधिक भ्रष्ट

44 प्रतिशत कर्मचारी वर्ग मानता है कि मानवीय नैतिक पतन के कारण भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है एवं 37 प्रतिशत कर्मचारियों ने स्वीकार किया कि व्यक्तिगत जरूरतों में अत्यधिक वृद्धि ने इसे अधिक बढ़ाने में सहयोग प्रदान किया है, जबकि 19 प्रतिशत लोग मानते हैं कि व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए भ्रष्ट बनता है। रिश्वत लेने के कारणों को कर्मचारी वर्ग निम्न क्रमानुसार दोषी ठहराता है:

1. पारदर्शिता में कमी
2. वेतन में कमी
3. भ्रष्टाचार से सम्बन्धित प्रभावी रिपोर्टिंग सिस्टम में कमी
4. स्वतंत्र एवं प्रभावी न्यायिक तंत्र में कमी
5. भौतिक आवश्यकताओं में अत्यधिक वृद्धि

6. स्वतंत्र एवं प्रभावी मीडिया की कमी
7. सरकार में ईमानदार अफसरों की कार्य के प्रति लापरवाही
8. रिश्वत लंबे समय से चली आ रही परम्परा है।

66 प्रतिशत कर्मचारी वर्ग स्वीकार करता है कि उन्होंने कभी भी रिश्वत नहीं दी तथा 14 प्रतिशत लोगों ने स्वीकारा है कि उन्होंने विभिन्न कार्यों के लिए रिश्वत दी है तथा 17 प्रतिशत का मत है कि बता नहीं सकते जबकि 3 प्रतिशत का कहना है कि इस संदर्भ में वे नहीं जानते हैं। 39 प्रतिशत कर्मचारी वर्ग ने स्वीकार किया कि वे अपने किसी ऐसे नजदीकी व्यक्ति को जानते हैं जिसने किसी कार्य के लिए सरकारी विभाग में रिश्वत दी है, जबकि 44 प्रतिशत का कहना है कि वें नहीं जानते तथा 17 प्रतिशत का इसमें कोई मत नहीं है। 81 प्रतिशत कर्मचारियों का कहना है कि उनके विभाग में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की कोई कार्यवाही नहीं हुई है, जबकि 4 प्रतिशत कर्मचारियों ने स्वीकार किया कि उनके विभाग में भ्रष्टार निरोधक विभाग की कार्यवाही हुई है तथा 14 प्रतिशत का मत है कि उन्हें इस बारे में मालूम नहीं है। सर्वे के अनुसार देश में व्याप्त भ्रष्टाचार के बढ़ावे के लिए जिम्मेदार तंत्र क्रमानुसार निम्न :

1. राजनीतिज्ञ
2. नौकरशाही/ऑफीसर
3. व्यवसायी
4. भ्रष्टाचार निरोधक तंत्र
5. न्यायपालिका
6. मीडिया
7. कर्मचारीगण (subordinate staff)

आपको यदि किसी दायित्वाधीन पद पर आसीन किया जाए तो भारत में भ्रष्टाचार निरोधन में किस कार्य को प्राथमिकता से करेंगे- (क्रमानुसार)

1. कार्य में पारदर्शिता लाना
2. भ्रष्टाचार के खिलाफ जन जागृति पैदा करना
3. भ्रष्टाचार निरोधक तंत्र को अधिक सुदृढ़ता प्रदान करना
4. सूचना के अधिकार को प्रासंगिक बनाना
5. भ्रष्ट व्यक्तियों के लिए कठोरतम दण्ड की व्यवस्था करना
6. राजनीतिज्ञों एवं अफसरशाही पर नियमों का कठोरता से पालन करवाना

सर्वे के मुताबिक भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के सुझाव इस प्रकार हैं:

1. नैतिक बल व आत्म संतुष्टि बनाए रखना।
2. राजनीतिज्ञों एवं अफसरशाही पर अंकुश रखना।
3. जनसमुदाय को जागृत करना।
4. सभी व्यक्तियों का अपने अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहना तथा भारत के कल्याण के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना।
5. वर्तमान में उपलब्ध तंत्र पूर्ण सक्षम है, इसी तंत्र को पुन: जागरूक व कर्मठ बनाना।
6. भारी दण्ड की व्यवस्था करना।
7. नौकरशाही में ईमानदार व्यक्तियों को प्रोत्साहित करना।
8. नैतिक व मानवीय गुणों का विकास करके जनजागृति पैदा करना।
9. सूचना के अधिकार से प्रशासनिक तंत्र में पारदर्शिता लाना।
10. सरकारी कार्य एवं विभागों में राजनैतिक हस्तक्षेप बंद करना।
11. सम्पूर्ण प्रक्रिया को ऑनलाइन करना।
12. भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करना।
13. शिक्षा में नैतिक शिक्षा को स्थान देकर विद्यार्थी जीवन से ही भ्रष्टाचार विरोधी ज्ञान दिया जाना।
14. भ्रष्ट व्यक्ति की सम्पत्ति जब्त कर उसे सरकारी कोष में जमा कर देश के विकास कार्यों में उपयोग में लाना।
15. प्राथमिक शिक्षा में ही भ्रष्टाचार विरोधी अध्याय जोड़ा जाना।
16. स्वयं को भ्रष्टाचार विरोधी बनाना।

अध्याय-7

राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक तंत्र

(क) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान

ब्यूरो की प्रतिबद्धतायें

- भ्रष्टाचार पर नियंत्रण एवं उसके उन्मूलन के लिए सजग रहकर कार्यवाही करना।
- भ्रष्टाचार एवं भ्रष्ट लोक सेवकों के बारे में सूचना का प्रभावी संग्रह एवं प्राप्त सूचना पर तत्काल कार्यवाही करना।
- निष्पक्ष, दक्ष एवं शालीन तरीके से अपने दायित्वों का निर्वाह करना।
- जनता को भ्रष्ट गतिविधियों एवं लोक सेवकों के खिलाफ कार्यवाही करने में सहयोग देने के प्रति जागृत करना।
- भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के नियमों एवं प्रावधानों की पालना करना।
- ब्यूरो में दर्ज ट्रेप के अभियोगों का दो माह में, आय से अधिक सम्पत्तियों के अभियोगों का एक वर्ष में व पद के दुरूपयोग के बारे में दर्ज अभियोग का 6 माह में निस्तारण करना।
- जिन अभियोगों में पुलिस विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं से परीक्षण रिपोर्ट ली जाती है, उन्हें शीघ्र प्राप्त करने के प्रयास करना।
- ब्यूरो में दर्ज परिवादों का निस्तारण एक माह में एवं प्राथमिक जांच का निस्तारण 6 माह में करने के प्रयास करना।
- अदालतों से प्राप्त सम्मन/वारंट की तामील सुनिश्चित करना।

जनता के अधिकार

- लोक सेवकों द्वारा जनता के जायज कार्य तत्काल ईमानदारी से सम्पन्न किये जाने चाहिए।
- लोक सेवकों के मांग करने पर रिश्वत की सूचना ब्यूरो को प्रदान कर उन्हें पकड़वाना।
- यथोचित समय में जायज कार्य न हो तो सम्बन्धित उच्च अधिकारियों को शिकायत करना।

- निर्माण/विकास कार्यों में अनियमितता/घोटाला एवं सरकारी धन का दुरूपयोग की सूचना ब्यूरो को लिखित या मौखिक देना।
- ब्यूरो में दर्ज कार्यवाही की शिकायत की जानकारी का अधिकार।
- भ्रष्ट लोक सेवकों के पास आय से अधिक सम्पत्ति होने की सूचना देने का अधिकार।

जनता से अपेक्षाएं

भ्रष्टाचार उन्मूलन के प्रयास जनता और राजकीय विभागों/संगठनों के यथोचित सहयोग के बिना सफल नहीं हो सकते हैं। जनता से अपेक्षा है कि वो अपने जायज कार्यों के लिए भ्रष्टाचारी लोकसेवकों को रिश्वत एवं प्रलोभन न दें और इसकी सूचना तत्काल ब्यूरो के अधिकारियों को दें।

ब्यूरो मुख्यालय जलेबी चौक, जयपुर में है, जहां के दूरभाष नंबर 0141-2602876 एवं 2618742 हैं तथा फैक्स नं. 0141-2601890 है जो अनवरत रूप से दिन-रात कार्यरत है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का नागरिक चार्टर

(अ) हमारा लक्ष्य

- लोक सेवकों में व्याप्त भ्रष्टाचार का उन्मूलन करना।
- आम नागरिकों को भ्रष्ट लोक सेवकों के चंगुल से सुरक्षा प्रदान करना।

(ब) हमारा मूल्य

- सार्वजनिक जीवन से भ्रष्टाचार उन्मूलन को उच्च प्राथमिकता प्रदान करना।
- भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ प्रभावी एवं निष्पक्ष कार्यवाही तथा परिवादी के वैध हितों की रक्षा करना।
- उत्तम व्यक्तिगत आचरण, कर्तव्यनिष्ठा एवं ईमानदारी के मानदण्ड बनाए रखना।
- संवेदनशीलता, कानूनी कटिबद्धता एवं उपयुक्त पारदर्शिता को बनाए रखना।

(स) हमारी प्राथमिकताएं

- लोक सेवकों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष जारी रखना।
- भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण कर जनता को स्वच्छ, निष्पक्ष एवं ईमानदार प्रशासन देने में सहयोग करना।
- संस्थागत भ्रष्टाचार के स्वरूप व व्यापकता का पता लगाकर उस पर प्रभावी नियंत्रण करना।

- भ्रष्टाचार उन्मूलन के कार्य में सहयोग करने वाले सूत्रों, मुखबिरों, गवाहों, नागरिकों एवं परिवादियों के जायज हितों की रक्षा करना।
- ब्यूरो स्टाफ को उचित प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन देकर कार्यकुशलता एवं क्षमता को बढ़ाना।
- जनता को भ्रष्ट लोक सेवकों से आगाह करना और भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ कार्यवाही के लिए ब्यूरो से सहयोग करने के लिए प्रेरित करना।

(द) हमारी कार्यपद्धति

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी नियमों एवं भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 तथा प्रचलित अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कार्य करता है। ब्यूरो भ्रष्ट लोक सेवकों के विरूद्ध रिश्वत की मांग करने पर उसका सत्यापन कर रिश्वत प्राप्त करने वाले लोक सेवकों को रंगे हाथों पकड़ता है। पद का दुरूपयोग कर या आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने वाले लोक सेवकों के विरूद्ध अभियोग पंजीबद्ध कर कार्यवाही करता है। इस उद्देश्य के लिए ब्यूरो की राजस्थान में 30 चौकियां स्थापित हैं। ब्यूरो मुख्यालय पर भी विशेष अनुसंधान इकाईयां एवं इन्टेलीजेंस शाखा स्थित है। कोई भी नागरिक किसी लोक सेवक के विरूद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत लेकर ब्यूरो मुख्यालय या ब्यूरो की किसी भी चौकी पर उपस्थित होकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। पत्र या टेलीफोन द्वारा भी सूचना दे सकता है।

(ख) राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भ्रष्टाचार निरोधक अपराध अधिनियम के अन्तर्गत किये जाने वाले अपराधों के कुशलतापूर्वक समाधान करने बाबत् तथा सरकारी कर्मचारियों के विरूद्ध मिलने वाली शिकायतों की जाँच हेतु अपराधिक अन्वेषण विभाग के अन्तर्गत एक पुलिस अधीक्षक के अतिरिक्त पद का सृजन कर राजस्थान पुलिस में 1949 में एक 'भ्रष्टाचार निरोधक प्रकोष्ठ' की स्थापना की गई।

तत्पश्चात् 1957 में सरकार के गृह विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में राजस्थान पुलिस में 'भ्रष्टाचार निरोधक शाखा' की जयपुर में स्थापना की गई, जिसका शीर्ष अधिकारी विशिष्ट पुलिस महानिरीक्षक बनाया गया। इस विशिष्ट पुलिस महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, जयपुर के कार्यालय को सरकार द्वारा पुलिस थाने का दर्जा प्रदान किया गया, जिसका नामकरण भ्रष्टाचार निरोधक पुलिस थाना किया गया और इसका अधिकारिक कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण राजस्थान राज्य तक विस्तृत किया गया।

एक अन्य अधिसूचना द्वारा राजस्थान के गृह विभाग ने अपराध प्रक्रिया विधि 1988 की धारा 4 के वाक्यांश (पी) जो कि इसी विधि की धारा 156 तथा 551 के साथ गठित है, के तहत राजस्थान पुलिस के भ्रष्टाचार निरोधक विभाग (राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो) के अन्तर्गत इस भ्रष्टाचार निरोधक थाना में पुलिस उप निरीक्षक के ऊपर के सभी अधिकारियों को पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी की शक्तियों का उपयोग करने की शक्ति प्रदान की गई। तभी से सुपर टाईम स्केल के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों ने, विशिष्ट पुलिस महानिरीक्षक या निदेशक के नाम से इसके शीर्ष अधिकारी के रूप में कार्य किया।

25 फरवरी 1991 से राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार इस राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो' नाकरण किया गया। तब से यह न केवल भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 के अन्तर्गत आने वाले भ्रष्टाचार संबंधी अपराधों का अन्वेषण ही करता है, बल्कि यह राज्य सरकार द्वारा सौंपे जाने वाले आर्थिक अपराधों एवं अन्य अपराधों जो राज्य सरकार इन्हें सौंपने के लिए उचित समझे, का अन्वेषण भी करता है।

सन् 1978 में राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो के जयपुर स्थित मुख्यालय में एक विशिष्ट अन्वेषण इकाई का सृजन किया गया। इसकी दो उपइकाई जिसमें एक का कार्य मुकदमों का अन्वेषण करना तथा दूसरे का कार्य गुप्तचर कार्य की संसाधन खोजबीन तथा उसका सत्यापन करना है, स्थापित की गई।

वर्तमान में राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो के इस खण्ड का पुनर्गठन किया गया है तथा इसकी निम्नलिखित शाखाएं हैं:

- अपराध शाखा: यह शाखा पंजीकृत मुकदमों का संसाधन करती है जिसका अध्यक्ष एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक होता है जो कि इस अपराध शाखा का प्रभारी होता है।
- प्राथमिक जाँच शाखा: यह प्राथमिक जाँच का कार्य करती है तथा इसका शीर्ष अधिकारी (प्रभारी अधिकारी के रूप में) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक होता है।
- गुप्तचर तथा सत्यापन शाखा: यह सभी प्रकार की शिकायतों तथा स्रोत सूचना प्रतिवेदनों के सत्यापन का कार्य करती है। इसका शीर्ष अधिकारी (प्रभारी अधिकारी के रूप में) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक होता है।
- विभागीय जाँच शाखा: इस शाखा का संबंध विभागीय जाँच के तहत की गई कार्यवाहियों से है। इसका प्रभारी अधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक होता है।
- विधि शाखा: इसका शीर्ष अधिकारी सहायक निदेशक, अभियोजन, स्तर का एक विधि सलाहकार होता है।

उपरोक्त शाखाओं के अतिरिक्त, राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो के मुख्यालय में एक विशिष्ठ अन्वेषण इकाई स्थापित, है जिसका शीर्ष अधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के स्तर का होता है। यह इकाई एक अन्वेषण अधिकरण है, जो इसे प्रदत्त मुकदमों पर कार्य करती

है। इसकी चार उप-इकाईयां हैं:

(अ) प्रथम उप शाखा प्रत्यक्ष रूप से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा संचालित होती है जो विशिष्ट अन्वेषण इकाई का प्रभारी अधिकारी होता है।

(ब) द्वितीय उप इकाई पुलिस उप अधीक्षक द्वारा संचालित होती है।

(स) तृतीय उप इकाई भी पुलिस उप अधीक्षक द्वारा ही संचालित होती है।

(द) चतुर्थ इकाई एक निरीक्षक द्वारा संचालित होती है।

टेबल 2 राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो के अन्तर्गत अग्रलिचित बाह्य चौकियां निम्न हैं:

क्र.सं.	बाह्य थाना/ चौकी का नाम	अधिकार क्षेत्र	प्रभारी	दूरभाष नंबर
1.	जयपुर शहर (प्रथम)	निम्नलिखित विभाग: 1. सार्वजनिक निर्माण विभाग 2. जल प्रदाय विभाग 3. सिंचाई विभाग 4. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग 5. खान एवं भू-गर्भ विभाग 6. राज. राज्य विद्युत मंडल 7. परिवहन विभाग 8. जयपुर विकास प्राधिकरण 9. राज्य मोटर विभाग	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक	0141-2616080
2.	जयपुर शहर (द्वितीय)	जयपुर शहर (प्रथम) के अन्तर्गत आने वाले विभागों को छोड़कर अन्य विभाग	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक	0141-2607666
3.	जयपुर ग्रामीण	जयपुर शहर प्रथम एवं द्वितीय के अन्तर्गत आने वाले विभागों को छोड़कर जयपुर जिला	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक	
4.	अलवर	अलवर जिला	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक	0144-2701746
5.	भरतपुर	भरतपुर जिला	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक	05644-223435
6.	सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर एवं बूंदीजिला	उप पुलिस अधीक्षक	
7.	अजमेर	अजमेर जिला अधीक्षक	अतिरिक्त पुलिस	0145-2627992
8.	कोटा	कोटा जिला अधीक्षक	अतिरिक्त पुलिस	0744-2350811
9.	उदयपुर	उदयपुर जिला अधीक्षक	अतिरिक्त पुलिस	0294-2560748

10.	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़ जिला	उप पुलिस अधीक्षक	01472-241164
11.	जोधपुर	जोधपुर जिला	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक	0291-2544253
12.	पाली	पाली जिला	उप पुलिस अधीक्षक	0141-2616080
13.	बाड़मेर	बाड़मेर, जैसलमेर, भीनमाल, जालौर उप संभाग	उप पुलिस अधीक्षक	02982-220346
14.	नागौर	नागौर जिला	उप पुलिस अधीक्षक	01582-240353
15.	बीकानेर	बीकानेर जिला	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक	0151-2523311
16.	श्री गंगानगर	गंगानगर एवं गंगानगर जिले की करणपुर व रायसिंह नगर तहसीलें	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक	0154-2475330
17.	हनुमानगढ़	गंगानगर जिले की नोहर उपखण्ड एवं उपपुलिस हनुमानगढ़ तहसील	अधीक्षक	01552-260776
18.	सीकर	सीकर जिला	उप पुलिस अधीक्षक	01572-252494
19.	बूंदी	बूंदी जिला	उप पुलिस अधीक्षक	0747-2457231
20.	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा जिला	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक	01482-232883
21.	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा जिला	उप पुलिस अधीक्षक	02962-242990
22.	चूरू	चूरू एवं झुन्झुनू जिला	उप पुलिस अधीक्षक	01562-250284
23.	सिरोही	सिरोही एवं जालौर जिला	उप पुलिस अधीक्षक	02972-221776
24.	टोंक	टोंक जिला	उप पुलिस अधीक्षक	
25.	धौलपुर	धौलपुर जिला	उप पुलिस अधीक्षक	
26.	झालावाड़	झालावाड़ जिला	उप पुलिस अधीक्षक	
27.	जैसलमेर	जैसलमेर जिला	उप पुलिस अधीक्षक	
28.	बारां	बारां जिला	उप पुलिस अधीक्षक	

29.	राजसमन्द	राजसमन्द जिला	उप पुलिस अधीक्षक
30.	झुन्झुनू	झुन्झुनू जिला	उप पुलिस अधीक्षक

प्रत्येक चौकी के प्रभारी अधिकारी की सहायता हेतु अनेक निरीक्षक, उप निरीक्षक एवं आरक्षी तथा अन्य अनेक आरक्षी होते हैं।

अधिकार क्षेत्र

राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो के कार्य क्षेत्र का विस्तार सम्पूर्ण राजस्थान है। यह भ्रष्टाचार निरोधक विभाग निम्नलिखित मुकदमों के लिए प्राधिकृत हैं:

(1) ऐसे मुकदमें जो कि भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत शामिल किये गये हें, जिसमें कि राज्य सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा स्थापित एवं आर्थिक सहायता द्वारा निर्मित वैधानिक अभिकरण एवं निगम के कर्मचारियों तथा गैर-सरकारी, सरकारी व्यक्ति व्यक्तिश: तथा सामूहिक रूप से सम्मिलित हैं। उन मुकदमों में जिनमें केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी व्यक्तिश: अथवा सह-अपराधी हैं, उनकी जांच भी राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की जाएगी। किंतु इसके लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) को सूचित करना आवश्यक है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित जांच में विभाग की सहायता कर सकें।

(2) राज्य सरकार के विभागों, राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त वैधानिक संस्थाओं तथा निगमों एवं सार्वजनिक उपक्रमों के भ्रष्टाचार की सूचनाओं का संकलन करना तथा इन संकलित सूचनाओं का सत्यापन करना।

(3) निम्नलिखित सरकारी कर्मचारियों के विरूद्ध मिलने वाली शिकायतों की जाँच करना
   (अ) सभी राजपत्रित कर्मचारी
   (ब) सरकार द्वारा सौंपे जाने वाले मामले
   (स) अन्य मामले जिन्हें राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो उचित समझे, लेकिन इन मामलों में इस विभाग को कार्मिक विभाग या सम्बन्धित विभाग के शीर्ष अधिकारी को सूचित करना आवश्यक है।
   (द) सहायक पुलिस निरीक्षक के ऊपर के पुलिस बल के अधिकारी।
   (य) उपरोक्त वर्णित वाक्यांश स तथा द के अन्तर्गत जब राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो कार्यवाही प्रारम्भ कर चुका है, तो सम्बन्धित विभागाध्यक्ष उन मामलों में बिना राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो की स्वीकृति के कोई भी कार्यवाही नहीं कर सकता।

(र) यद्यपि राजपत्रित अधिकारियों के नीचे के स्तर के सरकारी कर्मचारियों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच सम्बन्धित विभाग ही करता है, किंतु इन मामलों को प्राथमिक जांच के बाद राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो को सौंपा जा सकता है। इन शिकायतों को मुकदमा दर्ज करने के रूप में हुई विभागीय कार्यवाही के उपरांत और जांच करने के आदेश के उपरांत भी ये मुकदमें राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो को सौंपे जा सकते हैं।

(ल) राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो द्वारा सुझाई गई कार्यवाहियों में पुलिस विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों के विभागीय अनुशासनात्मक प्राधिकारियों की सहायता एवं प्रतिनिधित्व करना है।

राजस्थान में जिला स्तर पर जिला पुलिस के अधिकारी जो कि पुलिस के वृत्त निरीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तथा पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यरत है, को भ्रष्टाचार निरोधक पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान की गई है।

राज्य अन्वेषण ब्यूरो को संगठनात्मक दृष्टि से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है-मुख्यालय तथा चौकियां।

राजस्थान अन्वेषण ब्यूरो की प्रमुख शाखाएं:

1. विशिष्ट अन्वेषण इकाई (अन्वेषण)
   (Special Investigation Unit (Investigation)
2. विशिष्ट अन्वेषण विंग (Special Investigation Wing)
3. विशिष्ट अन्वेषण इकाई (इंटेलीजेंस)
   (Special Investigation Unit (Intilligence)
4. अपराध शाखा (Crime Branch)
5. प्रारम्भिक जांच शाखा (Preliminary Inquiry Branch)
6. संस्थापन शाखा (Establishment Branch)
7. सामान्य शाखा (General Branch)
8. लेखा शाखा (Accounts Branch)
9. विभागीय जांच शाखा (Departmental Inquiry Branch)

विशेष कक्ष की स्थापना

अनुसंधान अधिकारी का लेखा संबंधी (कानून) नियम तथा तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाने हेतु समय-समय पर राज्य सरकार के प्रस्ताव आते रहे हैं। जिसके परिणामस्वरूप राज्य

सरकार ने पूर्व में एक लेखाधिकारी तथा 1987 में अतिरिक्त निदेशक (अभियोजन) जो कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समकक्ष अधिकारी है, का एक पद स्वीकृत कर अधिकारी स्थापित कर चुकी है।

राजस्थान अन्वेषण ब्यूरो- कार्य प्रणाली

शिकायत

परिभाषा: राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो को मौखिक अथवा लिखित रूप में प्राप्त एवं एकत्रित सभी प्रकार की सूचनाओं को शिकायत की श्रेणी में रखा जाता है तथा उन्हें शिकायत मानकर ही कार्यवाही की जाती है। अपराध प्रक्रिया विधि की धारा 154 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज के बिना की गई शिकायतों में लगाए गये दोषारोपण के आधार पर जो कार्यवाही की जाती है, उसे प्रारम्भिक जांच कहा जाता है। अन्य मुकदमें, जिनमें कि अपराध प्रक्रिया विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है, 'नियमित मुकदमों' के रूप में जाने जाते हैं।

<u>शिकायत का क्षेत्र:</u> राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो निम्नलिखित श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के विरूद्ध आरोपित, रिश्वत, आपराधिक दुर्व्यवहार से सम्बन्धित सभी शिकायतों की जांच करता है:

1. सभी राजपत्रित सरकारी कर्मचारी
2. सरकार द्वारा इसे प्रदत्त मुकदमे
3. अन्य वे सभी मामले, जिनको कि राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो का अध्यक्ष कार्यवाही हेतु उचित समझता हो। इसमें अध्यक्ष सरकार के कार्मिक विभाग या सम्बन्धित विभाग के विभागाध्यक्ष को सूचित करता है। यदि वह शिकायत अराजपत्रित कर्मचारी से सम्बन्धित है तथा जिस पर राज्य अन्वेषण ब्यूरो कार्यवाही नहीं कर रहा है, तो यह शिकायत सम्बन्धित विभाग के विभागाध्यक्ष को भेजी जाती है।

<u>शिकायत के स्त्रोत:</u> राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो को प्राप्त शिकायतों को निम्न स्त्रोत के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है:

1. सरकार/मंत्री/लोकायुक्त द्वारा दी गई शिकायतें
2. विभागाध्यक्षों द्वारा प्रेषित शिकायतें
3. संसद सदस्यों/विधानसभा सदस्यों द्वारा दी गई शिकायतें और
4. जनता द्वारा प्रेषित शिकायतें

<u>शिकायतों का पंजीकरण:</u> प्रत्येक शिकायत सामान्य प्राप्ति रजिस्टर में पंजीकृत होने के बाद शिकायत विभाग को भेजी जाती है, जहां सर्वप्रथम इसे विभाग के प्राप्ति रजिस्टर में दर्ज किया जाता है तथा उसके बाद विभाग गत बनाये गये रजिस्टर में दर्ज करता है।

हस्ताक्षरित शिकायतों के संबंध में शक होने पर उसके केवल सत्य होने की जांच कराई जा सकती है। यदि वे सत्य पाई जाती हैं तो आगे कार्यवाही की जाती है, अन्यथा कोई कार्यवाही नहीं की जाती।

वे शिकायतें जिन पर कार्यवाही की जाती है: वे शिकायतें जिन पर कार्यवाही की ाती है, निम्नलिखित दोषारोपण से युक्त होनी चाहिए:

1. सरकारी स्त्रोतों, मान्यता प्राप्त लोक संगठनों, प्रतिष्ठित व्यक्तियों तथा ऐसे व्यक्तियों जिन्हें आसानी से पहचाना जा सकता हो एवं ऐसे मुकदमों जिनमें निश्चित सूचन होती हो,
2. ऐसी शिकायतें जिनमें भ्रष्टाचार का स्पष्ट आरोप है तथा उन्हें सत्यापित भी किया जा सकता है,
3. ऐसी शिकायतें जिनमें रिश्वत स्वीकार की गई हो अथवा रिश्वत मांगी गई हो,
4. ऐसी शिकायतें जो कि सरकारी उपक्रमों/राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त या प्रायोजित परियोजनाओं तथा जिनमें सरकार का आर्थिक हित निहित हो, के प्रति मिलने वाली सूचनाएं हों।

<u>शिकायत के प्रकार:</u> शिकायत प्राप्ति माध्यम के आधार पर शिकायतों को दो श्रेणियों में रखा जाता है- (1) डाक द्वारा प्राप्त होने वाली शिकायतें और (2) व्यक्तिश: प्राप्त होने वाली शिकायतें।

डाक द्वारा प्राप्त होने वाली शिकायतों की स्थिति में उसके 'कवर' को सुरक्षित रखा जाता है तथा शिकायत के साथ फाईल कर दिया जाता है। यदि शिकायत व्यक्तिश: की जाती है तो उसका नाम, पिता का नाम, पूरा पता और उसके पहचान चिन्ह को शिकायत प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा रजिस्टर में लिखा जाता है।

शिकायत प्राप्त होने के बाद की जाने वाली कार्यवाही: चौकियों से मिलने वाली प्रत्यक्ष शिकायतों पर निम्न कार्यवाही की जाती है:

1. अराजपत्रित अधिकारियों के विरूद्ध मिलने वाली शिकायतों को, जिनमें राजपत्रित अधिकारी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से लिप्त न हों, सीधे सम्बन्धित विभागाध्यक्षों को उनके स्तर पर कार्यवाही करने बाबत् भेज दिया जाता है।
2. राजपत्रित अधिकारी के विरूद्ध मिलने वाली शिकायतों की स्थिति में चौकी का प्रभारी अधिकारी अपनी इस टिप्पणी के साथ कि सम्बन्धित मामले में कार्यवही की जानी चाहिए अथवा नहीं, सीधे मुख्यालय को भेज दी जाती है।

कोई भी चौकी स्वयं अपने स्तर पर इसमें जांच नहीं कर सकती। प्रत्येक प्रारम्भिक जांच के लिए मुख्यालय से पूर्व आदेश अपेक्षित हैं।

राजस्थान अन्वेषण ब्यूरो के कार्मिकों के विरूद्ध मिलने वाली शिकायतें: राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो के विरूद्ध मिलने वाली अनाम व छदम नाम से मिलने वाली शिकायतों सहित

सभी शिकायतों को, चाहे वह चौकियों पर मिली हों अथवा मुख्यालय पर, राज्य अन्वेषण ब्यूरो की जानकारी में लाना आवश्यक होता है।

<u>असम्बद्ध शिकायतों का निस्तारण</u>: राज्य सरकार के अराजपत्रित अधिकारियों तथा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के विरूद्ध मिलने वाली शिकायतों को सीधे क्रमश: राज्य सरकार के प्राधिकृत अधिकारी तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निस्तारण हेतु भेजी जाती हैं। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम तथा स्त्रोत घोषित नहीं किया जाता।

<u>विभागीय शिकायतें</u>: विभागाध्यक्षों के विरूद्ध मिलने वाली विभागीय प्रकृति की शिकायतों को सीधे सरकार को प्रेषित कर दी जाती हैं।

<u>जनप्रतिनिधियों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतें</u>: राज्य सरकार के मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, स्थानीय निकायों के सदस्यों के विरूद्ध चौकियों पर प्राप्त शिकायतों को उसके वास्तविक रूप में ही नाम सहित बिना कोई कार्यवाही किए राज्य अन्वेषण ब्यूरो के अध्यक्ष को भेज दी जाती है। यदि इस प्रकार की शिकायतें मुख्यालय पर प्राप्त होती हैं, तो राज्य अन्वेषण ब्यूरो के अध्यक्ष के सम्मुख प्रेषित किया जाता है।

<u>प्रेस में छपे भ्रष्टाचार के आरोप</u>: इस संबंध में सरकार के स्पष्ट आदेश द्वारा प्रेस में छपी शिकायतें जो कि राज्य अन्वेषण ब्यूरो के अधिकार क्षेत्र से सम्बन्धित है, तो राज्य अन्वेषण ब्यूरो उस पर आगे कार्यवाही करता है।

प्रारम्भिक जाँच

प्रारम्भिक जाँच तभी की जाती है जब शिकायत में लगाए गए आरोप में कोई संदेह निहित हो। यदि सूचना निश्चित एवं स्पष्ट हो और लगाए गए आरोप भी स्पष्ट दृष्टिगत होते हो, तो उन मामलों में नियमित मुकदमा दर्ज किया जाता है। यदि इस तरह के मामलों में कोई कानूनी अड़चन हो तो उसके निराकरण हेतु और कानूनी कार्यवाही को सुगम बनाने हेतु प्रारम्भिक जाँच की जाती है।

प्रारम्भिक जांच का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उपलब्ध सूत्रों के आधार पर सफल जांच के बाद क्या एक नियमित आपराधिक मुकदमा दायर किया जा सकता है, तथा प्राप्त सूचनाएं एवं सूत्र विभागीय कार्यवाही के लिए पर्याप्त हैं।

प्रारम्भिक जांच के प्रमुख चरण

1. ***प्रथम चरण:*** सर्वप्रथम मामले से सम्बन्धित सभी दस्तावेजों को यह सुनिश्चत करने के लिए कि सम्बन्धित शिकायत एवं सूचना विश्वसनीय है अथवा नहीं, अच्छी तरह पढ़ा जाता है। पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों तथा विभागाध्यक्षों से मिलकर यह सुनिश्चित करता है कि प्रारम्भिक जांच आवश्यक है अथवा नहीं।

2. ***द्वितीय चरण:*** जैसे ही शिकायत की जांच अधिकारी मुख्यालय से जांच हेतु प्राप्त करता है, सबसे पहले वह उसको अच्छी तरह पढ़ता है तथा दो प्रतिलिपियों में प्रस्तावना तैयार करता है। इसमें वह कार्यवाही के रूप में स्वरूप का वर्णन करता है तथा विशेष रूप से जांच के विशिष्ट तथ्यों, एकत्रित किये जाने वाले रिकार्ड तथा गवाहों का विस्तृत ब्यौरा तथा अपनी विशिष्ट राय भी संलग्न करता है। जांच अधिकारी को शिकायत प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर इन दोनों प्रतिलिपियों को सर्वप्रथम मुख्यालय भेजा जाता है तथा वहीं से एक प्रति सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक के पास तथा दूसरी प्रारम्भिक जांच शाखा में भेजी जाती है।
3. ***तृतीय चरण:*** राज्य सरकार के परिपत्र तथा आदेश द्वारा निरीक्षक तथा उसके ऊपर के अधिकारियों को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वे आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित विभाग के दस्तावेजों को जांच हेतु अपने नियंत्रण में ले सकते हैं। प्रारम्भिक जांच हेतु कानून के अधीन जांच का वारंट किया जा सकता है। यदि कोई न्यायालय जांच का वारंट नहीं देता है और ऐसी स्थिति है कि जांच और रिकार्ड का अधिग्रहण है तो प्रारम्भिक जांच को नियमित मुकदमों में बदलकर यह कार्यवाही की जा सकती है।
4. ***चतुर्थ चरण:*** सरकार के परिपत्र द्वारा यह इच्छित है कि जनता एवं राजनीतिक संगठनों द्वारा की गई शिकायतों की सूचना सम्बन्धित संस्थान और सम्बन्धित व्यक्ति को की जाए और प्रारम्भिक जांच के तहत उससे पूछताछ की जाती है।
5. ***पंचम चरण:*** नियमित मुकदमों की भांति ही प्रारम्भिक जांच में गवाहों के बयानों को लिपिबद्ध किया जाता है, किंतु अंतर केवल गवाहों की संख्या, जिनकी की जांच की जानी है, का है।

चूंकि गवाहों को कोई यात्रा भत्ता देय नहीं है, इसलिए जांच अधिकारी को सम्बन्धित गवाहों के पास स्वयं जाना होता है। कार्यवाही को तीव्र एवं सुगम बनाने के लिए जांच अधिकारी द्वारा एक सिपाही को सभी गवाहों एवं सूत्रों को एकत्रित करने के लिए भेजा जाता है। उसके बाद जांच अधिकारी स्वयं जाकर जांच कार्य सम्पन्न करता है।

जांच का पर्यवेक्षण करने वाले पुलिस अधीक्षक द्वारा एक 'रनिंग नोट शीट' रखी जाती है, जिसमें समय-समय पर पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेशों एवं निर्देशों को रखा जाता है। यह वार्षिक प्रगति के प्रतिवेदन के आधार पर जांच की प्रगति का संक्षिप्त अभिलेख होता है। यह प्रारम्भिक जांच के निस्तारण को भी बताता है।

प्रगति प्रतिवेदन

1. जांच अधिकारियों द्वारा प्रत्येक प्रारम्भिक जांच से सम्बन्धित मासिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होता है। यह रिपोर्ट राज्य अन्वेषण ब्यूरो के मुख्यालय महीने की समाप्ति के बाद एक सप्ताह के भीतर पहुंच जानी चाहिए। यह रिपोर्ट प्रत्येक प्रारम्भिक जांच के लिए

पृथक रूप से तैयार की जाती है ताकि इसे सम्बन्धित फाईल में ब्यूरो मुख्यालय में रखा जा सकें।

2. यदि अधिकारी द्वारा प्रारम्भिक जांच की फाईल के अन्तर्गत उपरोक्त प्रतिवेदन की तैयारी एवं प्रस्तुति हेतु एक आज्ञा पत्र भी तैयार किया जाता है। इस आज्ञा पत्र में प्रत्येक प्रारम्भिक जांच तथा की गई कार्यवाहियों का तिथिवार वर्णन किया जाता है।

प्रारम्भिक जांच के पर्यवेक्षण का उत्तरदायित्व पुलिस अधीक्षक पर होता है। इसलिए चौकी या इकाई द्वारा की गई सभी प्रारम्भिक जांचें सीधे पुलिस अधीक्षक को भेजी जाती हैं और एक प्रति राज्य अन्वेषण ब्यूरो के मुख्यालय स्थित प्रारम्भिक जांच शाखा को भेजी जाती है।

प्रारम्भिक जांच का समापन एवं तथ्यात्मक प्रतिवेदन

जब सभी मुद्दों की जांच पूरी हो जाती है तथा सभी सूत्रों का एकत्रीकरण एवं परीक्षण हो जाता है, तो उन्हें तथ्यात्मक प्रतिवेदन के रूप में समाहित किया जाता है। इसमें सम्बन्धित अधिकारीको प्रत्येक मुद्दे के संबंध में स्पष्टत: बताना होता है कि आरोप:

1. सिद्ध नहीं हो पाए हैं (कारणों सहित व्याख्या)
2. असिद्ध हो गए हैं (कारणों सहित व्याख्या)
3. सिद्ध हो गए हैं (कारणों सहित व्याख्या)

टेबल 3 भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में पंजीबद्ध कुल अभियोग का वर्षवार ब्यौरा (वर्ष 2003 से 2005 तक)

अभियोग	**वर्ष**		
	2003	**2004**	**2005**
कुल पंजीबद्ध अभियोग	355	290	309
कुल अभियोग जिनमें रिश्वत की राशि लेते गिरफ्तार	214	213	197
आय से अधिक सम्पत्ति के अभियोग	39	08	17
पद के दुरूपयोग के अभियोग	82	69	95
कुल अधिकारी एवं कर्मचारी जो रिश्वत लेते	214	213	241
गिरफ्तार हुए			
कुल निस्तारित अभियोग	301	301	340
चार्जशीट लिखी गई	286	234	242
अंतिम प्रतिवेदन लिखा गया	93	119	114
वर्ष के अंत में न्यायालयों में विचाराधीन अभियोग	925	1031	1154

तथ्यात्मक प्रतिवेदन बनावटी, द्विअर्थी, शब्दाडम्बरपूर्ण, अतिशय लम्बी या बढ़ा-चढ़ाकर लिखी हुई भाषा एवं तथ्यगत गलत तथा अपठनीय नहीं होना चाहिए।

अन्वेषण

राज्य अन्वेषण ब्यूरो में कार्यरत पुलिस अधिकारी, एक पुलिस अधिकारी की भांति ही कार्य करता रहता है और वह उन सभी अपराधों की जांच कर सकता है जिसे उसके समकक्ष राज्य पुलिस अधिकारी को करने की शक्ति प्रदत्त है। सामान्यत: राज्य अन्वेषण ब्यूरो का अधिकारी उन्हीं अपराधों की जांच करता है जो भारतीय दंड संहिता की धारा 161, 162, 163, 164, 165 तथा 165ए एवं भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराधों की जांच करता है। अग्रिम जांच दो तरीकों से सम्पन्न की जाती है:

1. एक जिसमें कि शिकायत या सूचना के परिणामस्वरूप किसी लोक सेवक को रिश्वत स्वीकार करते हुए तथा रिश्वत देने वाले व्यक्ति को जाल बिछाकर पकड़ने बाबत्,
2. प्रारम्भिक जांच के दौरान उजागर किए गए दोषारोपण से सम्बन्धित तथ्यों के परिणामस्वरूप। उच्च अधिकारी को वे सभी शक्तियां प्राप्त हैं जो कि अपराध प्रक्रिया विधि के अध्याय 11 तथा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 में वर्णित हैं।

राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो- कार्यप्रणाली का निष्पति मूल्यांकन

राजस्थान में लोक सेवकों एवं राज्य कर्मचारियों के भ्रष्टाचार से सम्बन्धित परिवादों की जांच करने, अपराधों का अन्वेषण करने, सूत्र सूचनाएं एकत्रित कर उनको विकसित एवंसत्यापित करने तथा सूचना मिलने पर रिश्वत लेनेवालों को रंगे हाथों पकड़ने की कार्यवाही करने हेतु

टेबल 4 वर्षवार कुल पंजीकृत परिवाद

परिवाद	वर्ष		
	2003	**2004**	**2005**
विचाराधीन परिवाद	905	1018	1179
सत्यापन हेतु पंजीबद्ध परिवाद	549	749	531
कुल परिवाद	1454	1767	1710
निस्तारण	436	588	583
नियमित अभियोग पंजीबद्ध	17	15	5
परिवादों पर प्राथमिक जांच पंजीबद्ध	56	35	33
दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय जांच	30	16	23
आरोप जांच में अप्रमाणित पाये गये	333	522	522
वर्ष के अंत में विचाराधीन परिवाद	1018	1179	1127

स्थापित राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो (जिसका कि पूर्वनाम भ्रष्टाचार निरोधक विभाग था) की संगठनात्मक संरचना एवं कार्यात्मक प्रविधि के विशद् विवेचन के पश्चात् यह उचित होगा कि इस संस्था की निष्पत्ति का मूल्यांकन किया जाए। इसलिए आगामी पृष्ठों में इसकी प्रयोजनार्थ सम्बन्धित सरकारी दस्तावेजों एवं प्रतिवेदनों के आधार पर इसकी दर वर्ष 2003 से 2005 तक की भूमिका का मूल्यांकन किया जा रहा है।

- उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि भ्रष्टाचार के मामलों में वर्ष 2004 में वर्ष 2003 की तुलना में कमी आई। लेकिन वर्ष 2005 में इसमें कुछ प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- कुल अभियोगों में रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए पकड़े गए अधिकारियों एवं कर्मचारियों का प्रतिशत सर्वाधिक 66 रहा।
- न्यायालय द्वारा विस्तारित अभियोगों की संख्या का प्रतिशत लगभग 32 रहा।
- वर्ष के अंत में विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन मुकदमों की संख्या में उत्तरोतर वृद्धि होती जा रही है।
- भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में पंजीबद्ध परिवादों की संख्या में 2004 में वृद्धि हुई तथा 2005 में इसमें पुन: कमी आई।
- वर्ष के अंत में विचाराधीन परिवादों की स्थिति को देखा जाए तो 2004 में 2003 की अपेक्षा वृद्धि हुई, जबकि 2005 में पंजीबद्ध परिवादों में कमी आई।

राज्य की जिलेवार कार्यवाहियां:

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की श्री गंगानगर चौकी द्वारा वर्ष 2005 में हुई कार्यवाही की विशिष्टियां:

(क) वर्ष 2005 में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की चौकी श्री गंगानगर द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ की गई कुल कार्यवाहियां:
अपराध: 1. ट्रेप प्रकरण- 8 2. पद के दुरूपयोग के प्रकरण- 3
कुल- 11

(ख) वर्ष 2005 में भ्रष्टाचार के खिलाफ की गई कार्यवाहियों के अन्तर्गत पकड़ी गई कुल अनुमानित अघोषित सम्पत्ति कितनी हैं?

(ग) किस किस विभाग में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्यवाही की गई?
1. सिंचाई विभाग- 1 2. रेवेन्यू विभाग- 2 3. कारागृह- 1
4. विद्युत विभाग- 1 5. पंचायत राज विभाग- 1 6. पशुपालन विभाग- 1
7. बैंक- 1 8. वाणिज्य कर विभाग- 1 9. स्थानीय निकाय- 1
10. शिक्षा विभाग- 1

(घ) 1. कितने मामले चालान प्रस्तुत करने की अनुमति के लिए राज्य सरकार को भेजे गएं- 6

2. कितने मामलों में राज्य सरकार ने चालान प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की- 16

3. कितने मामले भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के पास लम्बित हैं- 5

4. कितने मामलों में अभियुक्त को दण्ड/दण्डमुक्ति मिली- दण्ड- 2, दण्डमुक्त- 3

कार्यालय उपअधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झुन्झुनू द्वारा प्राप्त 2005 की कार्यवाहियों की विशिष्टियां: जिले में कुल भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की कार्यवाहियां- 22

1. ट्रेप- 6 2. पद का दुरूपयोग- 3
3. आकस्मिक चैकिंग- 6 4. प्राथमिक जांच- 1 5. परिवाद- 6

कट्स का अभियान

'कट्स' इन्टरनेशनल, जयपुर द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, जयपुर के कर्मचारियों को निम्न प्रश्नों के माध्यम से पूछकर किये गये सर्वे के मुताबिक निम्न तथ्य सामने आये हैं:

क्र.सं.	**प्रश्न**	**उत्तर**
1.	आपके मतानुसार सर्वाधिक भ्रष्टाचार के मामलों में संलिप्त पाए जाते हैं?	जनप्रतिनिधि
2.	सर्वाधिक भ्रष्टाचार व्याप्त है?	तहसील मुख्यालय पर
3.	भ्रष्ट कर्मचारी को नौकरी से निलम्बित करना चाहिए या नहीं?	न्यायालय में कार्यवाही की जानी चाहिए
4.	किसी कार्य को करवाने के लिए रिश्वत न देने का क्या परिणाम होता है?	कार्य नहीं होगा
5.	शारीरिक यातना को भ्रष्टाचार की श्रेणी में रखा जा सकता है?	हाँ
6.	उपहार देना भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है?	हाँ
7.	आपके मतानुसार पिछले एक वर्ष में भ्रष्टाचार के स्तर में कमी या वृद्धि हुई है?	कमी आई है
8.	आपके मतानुसार सर्वाधिक भ्रष्ट विभाग है?	भू-राजस्व
9.	आपके मतानुसार भ्रष्टाचार बढ़ने	

के कारण हैं?	- मानव की लालची प्रवृत्ति - अमीर बनने की लालसा एवं कामचोरी - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 सरकारी कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे उनके खिलाफ कार्यवाही करना मुश्किल हो जाता है। - प्रशासनिक तंत्र में खामियां होने की वजह से। - प्रशासन में सुव्यवस्था न होने के

टेबल 5 भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में पंजीबद्ध अभियोग का वर्षवार ब्यौरा (2003 से 2005)

वर्ष	अभियोग								
	अन्वेषणाधीन अभियोग	पंजीबद्ध अभियोग	चार्जशीट/पुनः अनुसंधान हेतु खोला	अभियोगों का चालान/अंतिम प्रतिवेदन	अभियोग में लिखी गई चार्ज शीट	अभियोगों में अंतिम प्रतिवेदन लिखा गया	प्रथम सूचना रिपोर्ट उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किये गये	अभियोजन की स्वीकृति के लिए भिजवाया	अभियोजन अन्वेषणाधीन
2003	1155	335	01	301	286	93	02	396	554
2004	1110	290	04	301	234	119	--	218	543
2005	1051	309	02	340	242	114	--	252	511

वर्ष	**अभियोजन स्वीकृति हेतु विचाराधीन**	**चार्जशीट तैयार की जा रही है**	**अंतिम प्रतिवेदन तैयार किए जा रहे हैं**	**अभियोजन स्वीकृति हेतु भेजे जा रहे हैं**	**अभियोजन स्वीकृति की मनाही/एतराज पर पत्राचार में लम्बित**	**कुल**
2003	301	74	30	102	49	656
2004	219	105	37	67	80	508
2005	197	151	46	51	50	495

टेबल 6 अन्वेषणाधीन अभियोग										
वर्ष	कुल अन्वेषणाधीन अभियाग	आय से अधिक सम्पत्ति के अभियोग			रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गये			पद के दुरूपयोग के अभियोग		
		राजपत्रित अधिकारी	अराजपत्रित अधिकारी	कुल	राजपत्रित अधिकारी	अराजपत्रित अधिकारी	कुल	राजपत्रित अधिकारी	अराजपत्रित अधिकारी	कुल
2003	554	23	16	39	55	159	214	47	35	82
2004	543	05	03	08	38	175	213	32	37	69
2005	511	08	09	17	39	158	197	42	53	95

- भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में अन्वेषणाधीन अभियोगों की संख्या में निरंतर कमी यह दर्शाती है कि राज्य में भ्रष्टाचार के मामलों में प्रतिवर्ष कमी आ रही है।
- उपरोक्त विवरण से ज्ञात होता है कि राज्य में रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े जाने वाले राजपत्रित एवं अराजपत्रित अधिकारियों के मामले सर्वाधिक होते हैं।

अभियोजन स्वीकृति हेतु अभियोगों का ब्यौरा (वर्ष 2003 से 2005 तक)								
वर्ष	अभियोजन स्वीकृति विचाराधीन कुल अभियोग	राज्य सरकार में	स्वीकृति प्राप्त विभागाध्यक्षा से	कुल अभियोग	अभियोगों की मनाही/एतराज होने पर पत्राचार में	अभियोजन स्वीकृति के अभियोग		
						राज्य सरकार के पास	विभिन्न विभागाध्यक्षों के पास	कुल
2003	615	35	230	265	49	60	241	350
2004	568	38	231	269	80	58	161	299
2005	551	28	276	304	50	55	142	247

- अभियोजन की स्वीकृति हेतु विचाराधीन कुल अभियोगों की संख्या में उत्तरोत्तर वर्ष 2003 से 2005 तक कमी आई है।
- अभियोजन स्वीकृति हेतु विभागाध्यक्षों के पास अभियोग स्वीकृति बाबत् लम्बित रहते हैं, जिसकी वजह से जांच में अत्यधिक समय लगता है।

टेबल 7 अभियोजन कार्य का ब्यौरा (वर्ष 2003 से 2005 तक)

वर्ष	वर्ष के प्रारम्भ में विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन	न्यायालय में प्रस्तुत	कुल अभियोग	न्यायालयों द्वारा निस्तारण	अभियुक्त बरी किये गये	न्यायालयों द्वारा अभियुक्तों को दण्डित किया गया	वर्ष के अंत में कुल अभियोग न्यायालयों में विचाराधीन
2003	828	240	1068	143	95	48	925
2004	925	253	1178	147	90	46	1031
2005	1031	238	1269	116	77	39	1153

टेबल 8 उच्च न्यायालय में प्रस्तुत अपीलों का ब्यौरा (वर्ष 2003 से 2005 तक)

वर्ष	राज्य सरकार द्वारा पेश विचाराधीन अपीलें	वर्ष के दौरान पेश की गई अपीलें/ निगरानी	कुल अपीलें	उच्च न्यायालय द्वारा खारीज अपीलें	वर्ष के अंत में विचाराधीन अपीलें	अभियुक्तों द्वारा प्रस्तुत अपीलें द्वारा पेश	वर्ष के दौरान अभियुक्तों द्वारा पेश अपीलें	वर्ष के अंत में अभियुक्तों विचाराधीन अपीलें
2003	400	69	469	19	450	113	04	117
2004	450	60	510	06	504	117	03	120
2005	504	90	594	06	588	120	--	120

टेबल 9 उच्चतम न्यायालय में पेश एस.एल.पी. (वर्ष 2003 से 2005 तक)				
वर्ष	उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन एस.एल.पी.	वर्ष के दौरान उच्चतम न्यायालय में पेश एस.एल.पी.	उच्चतम न्यायालय द्वारा खारिज/निस्तारण	वर्ष के अंत में विचाराधीन एस.एल.पी.
2003	25	13	12	26
2004	36	--	--	36
2005	36	03	--	39

टेबल 10 विभिन्न न्यायालयों में प्रस्तुत इस्तगासे (वर्ष 2003 से 2005 तक)			
वर्ष	विचाराधीन इस्तगासे	वर्ष के दौरान पेश इस्तगासे	वर्ष के अंत में विचाराधीन इस्तगासे
2003	16	--	16
2004	16	01	17
2005	17	01	18

- उपरोक्त तालिका से दर्शित होता है कि विभिन्न न्यायालयों में दर्ज मुकदमों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है। न्यायालयों के द्वारा यदि निस्तारण का प्रतिशत देखा जाए तो वह बहुत न्यून है।
- राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की जाने वाली अपीलों की संख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि होती जा रही है।
- विभिन्न न्यायालयों में भ्रष्टाचार विरोधी इस्तगासे से प्रस्तुत मामलों की संख्या बहुत न्यून है।

टेबल 11 भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के अनुसार पिछले 5 वर्षों का वर्षवार ब्यौरा				
वर्ष	कुल केस	सरकार के पास भेजे	स्वीकृति मिली	स्वीकृति का इंतजार
2001	322	322	318	4
2002	276	276	263	13
2003	396	396	374	22
2004	218	218	171	47
2005	205	205	104	101

कारण।
- भ्रष्टाचार बढ़ाने में जनता स्वयं दोषी है।
- भ्रष्ट व्यक्ति को दण्ड न मिलने के कारण।

10. आपके विचार में ऐसा क्या किया जाए कि भ्रष्टाचार पर रोक लग सकें?

- प्रत्येक विभाग मासिक सूचनाएं प्रकाशित करें तथा खर्चे का लेखा-जोखा आम जनता के सामने रखें।
- एक ऐसा जांच दल बनाया जाए जो कि प्रत्येक विभाग में समय-समय पर चैकिंग करें, जैसा कि परिवहन विभाग में होता है।
- देश के सामरिक महत्व की गतिविधि को छोड़कर कार्य में पारदर्शिता लाई जाए।
- आम नागरिक भ्रष्टाचार एवं रिश्वत शब्द को भूल जाए एवं इसे न देने का प्रण करें।
- प्रत्येक विभाग एक ऐसी प्रक्रिया निर्मित करें कि उस विभाग में आने-जाने वाले प्रत्येक नागरिक को विभाग की कार्यपद्धति के बारे में पूर्ण जानकारी प्रदान करें, ताकि वह स्वयं प्रत्येक गतिविधि से वाकिफ हों, अर्थात् विभागीय पूछताछ केन्द्र को सुदृढ़ता प्रदान की जानी चाहिए।
- कार्य में पारदर्शिता लाकर।
- प्रशासनिक कार्य में लचीलापन लाकर।

11. आपके विचार से भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की जो तहत कार्यवाही करता है, या उसमें खामियां हैं ?

- विभाग देश में पारित अधिनियम के कार्यपद्धति है, वो सही एवं सटीक है

		इसलिए खामी होने का प्रश्न ही नहीं है। - सम्पूर्ण राजस्थान में की गई ट्रेप कार्यवाही की प्रथम सूचना रिपोर्ट जयपुर में होती है, जिसकी वजह से कार्यवाही को गति नहीं मिल पाती एवं प्रक्रिया धीमी गति से चलती है।
12.	भ्रष्टाचार निरोधक कानून कहां तक कारगर साबित हो रहा है? क्या इसमें किसी तरह के बदलाव की आवश्यकता है?	- इसके अन्तर्गत भ्रष्ट व्यक्ति के खिलाफ राज्य सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है, उसमें काफी समय लगता है जिससे जांच एवं कार्यवाही शीघ्रता से पूर्ण नहीं हो पाती। - समय के साथ बदलाव आवश्यक है। क्योंकि अपराध की प्रवृत्ति बदलती रहती है, उसके अनुरूप कानून में भी परिवर्तन होना आवश्यक है। - मामला दर्ज करने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए।
13.	आपके विचार में क्या भ्रष्टाचार का फैलाव कभी रूक पायेगा?	- भ्रष्टाचार का फैलाव रूकना संभव है, यदि सम्पूर्ण सरकारी तंत्र का कंट्रोल करने के लिए एक ऐसी कार्यप्रणाली विकसित की जाए जो समस्त कार्यविधि पर नजर रख सकें। - जनजागृति ही उसे रोकने में महत्ती भूमिका अदा कर सकती है।
14.	भ्रष्टाचार दूर करने के आवश्यक सुझाव?	- सम्पूर्ण कार्यप्रणाली में पारदर्शिता होनी चाहिए। - प्रत्येक कर्मचारी अपनी आय एवं सम्पत्ति का ब्यौरा भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को दें। - यदि स्वयं को भ्रष्टाचार विरोधी बना लिया जाए तो यह स्वत: ही

दूर हो सकता है।
- प्रशासनिक तंत्र में परिवर्तन की आवश्यकता है।
- प्रत्येक व्यक्ति लोकतंत्र में अपने वोट की अहमियत को समझते हुए केवल उसी नेता का चुनाव करें जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाए एवं इसे दूर करने को वचनबद्ध हो।
- भ्रष्ट व्यक्ति के खिलाफ कठोर कार्यवाही हो, ताकि अन्य भ्रष्टाचारी उससे सबक लेकर भ्रष्टाचार से दूर रहने का प्रयत्न करें।

(ख) राजस्थान लोकायुक्त

लोकायुक्त सचिवालय में पदस्थापित विभिन्न अधिकारियों का कार्य निर्धारण कार्य

सचिव

1. विभागाध्यक्ष के कार्य।
2. लोकायुक्त सचिवालय के राजपत्रित अधिकारियों के समस्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियों से सम्बन्धित कार्य।
3. रूपए 5001 से 10000 तक की खरीद/व्यय के मामलों से सम्बन्धित कार्य।
4. समस्त कार्यालय आदेश।
5. माननीय लोकायुक्त को प्रस्तुत की जाने वाली पत्रावलियों का परीक्षण एवं प्रस्तुतिकरण।
6. वे पत्रावलियां जिनमें परिवादी को शिकायत एवं शपथ पत्र को विहित प्रारूप में भेजने हेतु लिखा जाता हो।
7. वे पत्रावलियां जिनमें शपथ पत्र मांगा जाना हो।
8. पे पत्रावलियां जिनमें तथ्यात्मक प्रतिवेदन के अनुक्रम में विभाग से अन्य कोई जानकारी मांगी जानी हो।
9. पे पत्रावलियां जिनमें परिवादी से तथ्यात्मक प्रतिवेदन पर एतराज मांगा जाना और परिवादी के एतराज पर विभाग से पुन: टिप्पणी मांगा जाना हो।

10. माननीय लोकायुक्त महोदय द्वारा जिन प्रकरणों में प्राथमिक जांच या अन्वेषण करने हेतु अधिकृत किया जाए, उनमें जांच एवं अन्वेषण करना।

उप सचिव

1. कार्यालयाध्यक्ष के कार्य
2. रूपए 5000 तक की खरीद/व्यय के मामलों से सम्बन्धित पत्रावलियां।
3. तथ्यात्मक प्रतिवदेन की वे पत्रावलियां जिनमें स्मरण पत्र, अर्द्धशासकीय पत्र जारी किया जाना हो।
4. सम्मन जारी होने से पूर्व तथ्यात्मक प्रतिवेदन की ऐसी पत्रावलियों में निर्णय लेने के लिए जिनमें विभाग/अधिकारी से अंतरिम उत्तर प्राप्त हो जाने पर प्रतिवेदन की प्रतीक्षा किया जाना हो, प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने हेतु समय चाहा गया हो।
5. वे पत्रावलियां जिनमें नस्तीबद्ध होने के पश्चात् पत्रादि प्राप्त हों, सिवाय जिनमें पुन: जांच प्रारम्भ किये जाने का निवेदन हो।
6. परिवादी को परिवाद की कार्यवाही की स्थिति की जानकारी दिया जाना।
7. सामान्य कार्यालय आदेश।
8. माननीय लोकायुक्त महोदय द्वारा जिन प्रकरणों में प्रारम्भिक जांच या अन्वेषण करने हेतु अधिकृत किया जाए, उनमें जांच एवं अन्वेषण करना।
9. राजपत्रित अधिकारियों के वेतन-भत्तो संबंधी आहरण एवं वितरण अधिकारी के रूप में कार्य।

सहायक सचिव

1. अराजपत्रित कर्मचारियों के समस्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संबंधी मामलें।
2. तथ्यात्मक प्रतिवेदनों का परीक्षण करना।
3. संस्थापन शाखा, लेखा शाखा, परिवाद शाखा, कैश-कम-स्टोर, अभिलेखागार एवं पुस्तकालय शाखाओं का कार्य।
4. अराजपत्रित कर्मचारियों के वेतन-भत्तों संबंधी आहरण व वितरण अधिकारी के रूप में कार्य।

अनुभाग अधिकारी- प्रथम

1. प्रारम्भिक जांच एवं अन्वेषण की पत्रावलियां
2. नवीन परिवादों का प्रस्तुतिकरण।
3. सहायक सचिव के अवकाश पर होने पर संस्थापन शाखा का कार्य रूक पायेगा?

अनुभाग अधिकारी- द्वितीय

1. शपथ पत्र एवं प्रारम्भिक स्तर पर नस्तीबद्ध होने वाली पत्रावलियां
2. नवीन परिवादों का प्रस्तुतिकरण

संस्थापन अनुभाग संबंधी कार्य

लोकायुक्त सचिवालय में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के संस्थापन संबंधी कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां सहायक सचिव को प्रस्तुत की जाती है। जिनमें माननीय लोकायुक्त, सचिव, उप सचिव एवं सहायक सचिव के स्तर पर प्रकृति के अनुसार निर्णय लिया जाता है। केवल नियुक्ति एवं पदोन्नति आदि महत्वपूर्ण प्रकरण माननीय लोकायुक्त महोदय के अनुमोदन के पश्चात् निस्तारित होते हैं।

लेखा शाखा संबंधी कार्य

इस शाखा से सम्बन्धित विभिन्न मामलों में निर्णय माननीय लोकायुक्त, सचिव, उप सचिव एवं सहायक सचिव के स्तर पर निर्णित होते हैं। वेतन एवं भत्तों से सम्बन्धित कार्य इस शाखा द्वारा किये जाते हैं।

पुस्तकालय

लोकायुक्त सचिवालय में विधि एवं अन्य विषयों से सम्बन्धित लगभग 3000 पुस्तकें हैं। पुस्तकालय प्रात: 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक खुला रहता है। पुस्तकालय लोकायुक्त सचिवालय के उपयोगार्थ है। पुस्तकालय में पुस्तकों का संधारण सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा किया जाता है।

अभिलेखागार

अभिलेखागार में इस सचिवालय की नस्तीबद्ध की गई पत्रावलियों को रखा जाता है। प्रारम्भिक स्तर पर नस्तीबद्ध पत्रावलियों, शपथ पत्र के अभाव में नस्तीबद्ध पत्रावलियों, तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् नस्तीबद्ध की गई पत्रावलियों का नाशन, नस्तीबद्ध किये जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के पश्चात् किया जाता है। प्रारम्भिक जांच के पश्चात् आरोप प्रमाणित नहीं पाये जाने के कारण नस्तीबद्ध की गई पत्रावलियों एवं धारा 10 के अन्तर्गत अन्वेषण के पश्चात् आरोप प्रमाणित न पाये जाने के कारण नस्तीबद्ध की गई पत्रावलियों का नाशन नस्तीबद्ध किये जाने की तारीख से सात वर्ष की अवधि के पश्चात् किया जाता है।

परिवाद शाखा

परिवाद शाखा में विभिन्न विभागों में कार्यरत मंत्री से लेकर निम्न कैडर के लोकसेवकों के विरूद्ध प्राप्त होने वाले परिवादों का संधारण किया जाता है। शिकायतों को निम्न समूहों में बांटा हुआ है:

1. प्रारम्भिक स्तर पर नस्तीबद्ध की गई शिकायतें।
2. वे शिकायतें, जिनमें शपथ पत्र नहीं होने पर शपथ पत्र मांगा गया है।
3. वे शिकायतें, जिनमें सक्षम अधिकारियों से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगे गए हैं।
4. वे शिकायतें, जिनमें प्रारम्भिक जांच की जा रही हैं।
5. वे शिकायतें, जिनमें तथ्यात्मक प्रतिवेदन या प्रारम्भिक जांच के पश्चात् अथवा सीधे ही धारा 10 के अन्तर्गत अन्वेषण किया जा रहा है।
6. वे शिकायतें, जिनमें जांच के पश्चात् सक्षम अधिकारियों को अनुशंसा की गई है।

कैश-कम-स्टोर शाखा

भंडार शाखा में लोकायुक्त सचिवालय के कार्यालय संचालन हेतु आवश्यक स्टेशनरी आदि की सामग्री रखी जाती है। इससे सम्बन्धित समस्त पंजिकाओं, पत्रावलियों का संधारण तथा कैशबुक व अन्य पंजिकाओं का संधारण स्टोरकीपर-कम-कैशियर द्वारा किया जाता है।

लोकायुक्त को अन्वेषण की अधिकारिता

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 में लोकायुक्त को कतिपय मामलों में मंत्रियों तथा लोकसेवकों के विरूद्ध अभिकथनों का अन्वेषण करने की अधिकारिता दी गई है। अधिनियम की धारा 2(प) में दी गई लोकसेवक की परिभाषा के अनुसार लोकायुक्त को निम्न के विरूद्ध अन्वेषण करने की अधिकारिता है:

- राजस्थान राज्य की मंत्रीपरिषद का कोई सदस्य (मुख्यमंत्री के अतिरिक्त) जो चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, अर्थात् मंत्री, राज्य मंत्री य उप मंत्री।
- राजस्थान राज्य के कार्यकलापों के संबंध में किसी लोक सेवक में या लोक पद पर नियुक्त व्यक्ति।
- जिला परिषद का प्रत्येक प्रमुख और उप-प्रमुख, प्रचायत समिति का प्रधान तथा उप-प्रधान और राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम, 1959 (1959 का राजस्थान अधिनियम 37) के अधीन या उसके द्वारा गठित किसी भी स्थाई समिति का सदस्य।
- नगरपालिका परिषद का प्रत्येक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, नगरपालिका बोर्ड का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 (1959 का राजस्थान

अधिनियम 38) के अधीन या उसके द्वारा गठित किसी समिति का अध्यक्ष।

- प्रत्येक वह व्यक्ति जो निम्नलिखित की सेवा में है या उनका वेतनभोगी है, अर्थात्-

(क) राजस्थान राज्य में कोई भी स्थानीय प्राधिकरण, जिसे राजपत्र में राज्य सरकार द्वारा, इस निमित्त अधिसूचित किया जाए,

(ख) किसी राज्य अधिनियम के अधीन या द्वारा स्थापित और राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित कोई भी निगम (जो स्थानीय प्राधिकरण न हो),

(ग) राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम 28) के अधीन8 रजिस्ट्रीकृत कोई भी सोसायटी, जो राज्य

सरकार के नियंत्रण के अधीन है और जिसे राज्य पत्र में उस सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया गया है।

लोकायुक्त को निम्न के संबंध में अन्वेषण की अधिकारिता नहीं है:

1. धारा 8(1) के अनुसार ऐसी कार्यवाहियों के संबंध में, जिनके संबंध में लोकायुक्त की पूर्व सहमति से पब्लिक सर्वेन्ट्स (इन्कायरीटीज) एक्ट, 1850 (1850 का केन्द्रीय अधिनियम 37) के अधीन किसी औपचारिक और सार्वजनिक जांच के आदेश दे दिये गये हैं, या जो ऐसे मामले के संबंध में है जो लोकायुक्त की पूर्व सहमति से कमीशन्स ऑफ इन्कायरी एक्ट, 1952 (1952 का केन्द्रीय अधिनियम 60) के अधीन जांच के लिए निर्देशित कर दिया गया है।
2. धारा 8(3) के अनुसार वह शिकायत जो उस तारीख के पांच वर्ष व्यतीत होने के पश्चात् की गई हो, जिसको कि उस कार्यवाही, जिसके कि विरूद्ध शिकायत की गई है, का किया जाना अभिकथित है।
3. धारा 9(1) के अनुसार यदि शिकायत किसी लोकसेवक द्वारा की गई है।
4. राजपत्रित श्रेणी के लोकसेवकों के सिवाय लोकसेवकों का वह वर्ग, जिसके विरूद्ध की गई शिकायत को धारा 19 के अधीन जारी की गई अधिसूचना के फलस्वरूप अधिकारिता से अपवर्जित कर दिया गया है।

5 (अ) संविधान के अनुच्छेद 236 के खण्ड (ख) में मुख्य न्यायाधिपति या उच्च न्यायालय का संविधान के अनुच्छेद 236 के खण्ड (ख) में परिभाषित कोई भी न्यायाधीश या न्यायिक सेवा का कोई सदस्य,

(ब) भारत में किसी भी न्यायालय का कोई भी अधिकारी,

(स) महालेखाकार, राजस्थान,

(द) राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या कोई सदस्य,

(य) संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्दिष्ट मुख्य निर्वाचर आयुक्त, निर्वाचन आयुक्त और प्रादेशिक आयुक्त तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान राज्य,

(र) राजस्थान विधानसभा के सचिवालय स्टाफ का कोई भी सदस्य।

शिकायत कैसे करें

राज्य का कोई भी व्यक्ति, जो स्वयं लोक सेवक न हों, लोकायुक्त के कार्यालय में किसी मंत्री या पदाधिकारी के विरूद्ध यदि सम्बन्धित लोक सेवक राजस्थान राज्य सेवा में हो एवं सेवानिवृत न हुआ हो, तो लोकायुक्त सचिवालय के सचिव को अपनी शिकायतविहित प्रपत्र (परिशिश्ट-1) में तस्दीकशुदा शपथ पत्र विहित प्रपत्र (परिशिष्ट-2) के साथ स्वयं उपस्थित होकर अथवा डाक द्वारा प्रस्तुत कर सकता है। शिकायत में शिकायतकर्ता का पूरा नाम, पता, व्यवसाय के साथ हर एक आरोप पूर्ण विवरण के साथ अंकित होना चाहिए। शिकायत में जिस लोक सेवक के खिलाफ शिकायत है, उसका नाम व पदनाम तथा जो शहादत शिकायत के मुद्दों को साबित करने के लिए पेश होगी, उसका ब्यौरा अंकित होना चाहिए।

यदि व्यक्ति अथवा शिकायतकर्ता की मृत्यु हो जाए या किसी कारणवश वह स्वयं के लिए कार्यवाही करने में असमर्थ हो, तो शिकायत किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जा सकती है जो इस कार्य के लिए शिकायतकर्ता द्वारा अधिकृत किया गया हो। पुलिस की हिरासत में या जेल में या विक्षिप्त व्यक्तियों के आश्रय स्थान से भी लोकायुक्त को शिकायत की जा सकती है। पुलिस अधिकारी जेल अथवा आश्रय स्थान के अधिकारी को इस शिकायत को बिना खोले फोरन ही लोकायुक्त सचिवालय को भेजना पड़ता है।

जानकारी की गोपनीयता

धारा 10(2) के प्रावधान के अनुसार प्रत्येक अन्वेषण प्राइवेट तौर पर किया जाना आवश्यक है और अन्वेषण के पूर्व, दौरान या पश्चात् शिकायतकर्ता तथा अन्वेषण से प्रभावित लोक सेवक का परिचय, जनता या प्रेस के समक्ष प्रकट नहीं किया जा सकता, जब तक कि लोकायुक्त या कोई उप-लोकायुक्त किसी निश्चित लोक महत्व के मामले से सम्बन्धित कोई भी अन्वेषण सार्वजनिक रूप से कर सकेगा। यदि यह लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से ऐसा करना उचित समझें। धारा 15(1) के प्रावधान के अनुसार अन्वेषण के दौरान या किसी अन्वेषण के प्रयोजनार्थ लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त या उनके कर्मचारियों द्वारा अभिप्राप्त जानकारी तथा ऐसी जानकारी के संबंध में अभिलिखित या एकत्रित साक्ष्य, धारा 10 की उपधारा (2) के परन्तुक के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए गोपनीय मानी गई है।

शिकायतों का प्रबन्धन एवं निस्तारण

सचिवालय में प्राप्त होने वाली शिकायतों का प्रबन्धन एवं निस्तारण एफ.एम.एस. सॉफ्टवेयर के जरिये किया जाता है, जिसके द्वारा रिसीट-डिस्पेच के कार्य के अतिरिक्त पत्रावली के सृजन से लेकर तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाने, स्मरण पत्र जारी करने, अर्द्धशासकीय पत्र जारी करने एवं सम्बन्धित व्यक्ति को आहूत किये जाने हेतु सम्मन जारी करने की सुविधा है। पत्रावलियों के हैड नंबर का सृजन सॉफ्टवेयर द्वारा आंकड़े डाले जने के बाद अपने आप किया जाता है। पत्रावलियां भी एक अधिकारी/कर्मचारी से दूसरे अधिकारी/कर्मचारी को इसकी सॉफ्टवेयर के जरिये प्रेषित की जाती है। परिवादों के संबंध में लगभग सभी प्रकार के आंकड़े भी इस साफ्टवेयर के जरिये किसी भी समय प्राप्त किये जा सकते हैं।

नवीन परिवाद प्राप्त होने पर की जाने वाली कार्यवाही

प्रत्येक प्राप्त होने वाले पत्र एवं शिकायत को कम्प्यूटर द्वारा रिसीट किया जाता है। तत्पश्चात् पत्र को सम्बन्धित लिपिक को प्रेषित कर दिया जाता है। शिकायत को नवीन पत्रावली का सृजन करने हेतु सम्बन्धित लिपिक को दिया जाता है जो सोफ्टवेयर के द्वारा नवीन परिवाद खोलकर उसकी समरी बनाने हेतु सम्बन्धित अनुभाग अधिकारी को देते हैं।

सम्बन्धित अनुभाग अधिकारी द्वारा परिवाद का राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 एवं कार्यवाहियां अधिनियम, 1974 के परिप्रेक्ष्य में परिशीलन किया जाकर समरी/टिप्पणी बनाकर पत्रावली को उपसचिव को प्रस्तुत किया जाता है, जो अपनी टिप्पणी दर्ज करके पत्रावली सचिव को प्रस्तुत करता है। सचिव द्वारा पत्रावली को अपनी टिप्पणी के साथ आदेशार्थ माननीय लोकायुक्त के समक्ष रखा जाता है। वर्तमान में जो प्रक्रिया परिवादों/शिकायतों के निपटाने के संबंध में अपनाई जा रही हैं, उसके अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यवाही की जाती है:

1. यदि परिवाद इस सचिवालय को सम्बोधित नहीं है एवं अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, तो उसे नस्तीबद्ध किये जाने हेतु प्रस्ताव किया जाता है।
2. यदि परिवाद उस सचिवालय को सम्बोधित नहीं है, परंतु अधिकार क्षेत्र में आता है और यदि उसमें लगाये गये आरोप गंभीर प्रकृति के हैं, तो परिवादी को विहित प्रपत्र में शिकायत एवं शपथ-पत्र प्रस्तुत करने हेतु लिखा जाता है।
3. यदि मामला गंभीर प्रकृति का हो एवं इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत लगे, तो उन शिकायतों में बिना किसी औपचारिकता की पूर्ति करवाये धारा 10(1) के अन्तर्गत स्वविवेकानुसार कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव किया जाता है।
4. जो शिकायत विहित प्रपत्र में शपथ-पत्र के साथ प्राप्त होती है तथा यदि वह अधिकार क्षेत्र में आती है, तो ऐसे परिवादों में सम्बन्धित प्राधिकारी से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगे जाने या इस सचिवालय स्तर पर प्राथमिक जांच किये जाने का प्रस्ताव किया जाता है।

तथ्यात्मक प्रतिवेदन

जिन शिकायतों में तथ्यात्मक प्रतिवेदन मंगवाये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं, उनमें पत्रावली में कम्प्यूटर के जरिये एवं वास्तविक रूप में सम्बन्धित लिपिक के पास पहुंचने पर उसके द्वारा कम्प्यूटर के जरिये सम्बन्धित प्राधिकारी को प्रथम पत्र जारी किया जाता है, जो अपने आप डिस्पेच होकर मुद्रित हो जाता है। इस पत्र में तथ्यात्मक प्रतिवेदन एक माह की अवधि में प्रस्तुत करने हेतु लिखा जाता है। यदि एक माह में तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होता है, तो सम्बन्धित प्राधिकारी का कम्प्यूटर के द्वारा ही 15 दिन का समय देते हुए स्मरण-पत्र जारी किया जाता है। उक्त 15 दिन में भी यदि वांछित तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होता है, तो फिर सम्बन्धित प्राधिकारी को कम्प्यूटर द्वारा अर्द्धशासकीय पत्र जारी किया जाता है। इसमें भी 15 दिन की अवधि दी जाती है। यदि फिर भी तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होता है, तो फिर सम्बन्धित प्राधिकारी को वांछित तथ्यात्मक प्रतिवेदन के साथ व्यक्तिश: आहूत किये जाने हेतु माननीय लोकायुक्त महोदय के समक्ष पत्रावली पर प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है।

सचिव द्वारा पत्रावली को माननीय लोकायुक्त के समक्ष आदेशार्थ प्रस्तुत किया जाता है। माननीय लोकायुक्त द्वारा प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन के आधार पर यदि आरोप असत्य एवं अप्रमाणित पाए जाए तो शिकायत को नस्तीबद्ध किया जाता है। यदि आरोप प्रमाणित हो जाते हैं तो सम्बन्धित लोकसेवक/लोकसेवकों के विरूद्ध समुचित कार्यवाही करने की अनुशंसा की जाती है या किन्हीं विशिष्ट शिकायतों में, जिनमे उचित निर्णय पर पहुंचने हेतु प्रारम्भिक जांच किया जाना आवश्यक समझा जाए, उनमें प्रारम्भिक जांच किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं।

जाँच/अन्वेषण प्रक्रिया

अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय लोकायुक्त अथवा उप-लोकायुक्त धारा 12 के अधीन सरकार को दिए जाने वाले प्रतिवेदनों के सिवाय उनको प्रदत्त किन्हीं भी शक्तियों अथवा उन पर अधिरोपित किन्हीं भी कर्तव्यों का प्रयोग या पालना धारा 14 में निर्दिष्ट अधिकारियों, कर्मचारियों अथवा एजेन्सियों द्वारा किये जाने हेतु किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा निर्देश दे सकते हैं। अत: जिन शिकायतों के संबंध में प्रारम्भिक जाँच अथवा अन्वेषण किया जाना आवश्यक समझा जाए, उनमें माननीय लोकायुक्त द्वारा धारा 20 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए सचिव अथवा उपसचिव को जाँच/अन्वेषण किये जाने हेतु अधिकृत किया जाता है जो स्वतंत्र रूप से जांच करके अपना प्रतिवेदन माननीय लोकायुक्त के समक्ष आदेशार्थ प्रस्तुत करते हैं।

जाँच रिपोर्ट के आधार पर यदि आरोप प्रमाणित नहीं पाए जाए तो प्रकरण बंद किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। यदि प्रकरण में किसी लोकसेवक के विरूद्ध अन्वेषण प्रारम्भ

किए जाने के पर्याप्त आधार पाये जाए, तो उस लोक सेवक के विरूद्ध धारा 10 के अन्तर्गत अन्वेषण किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। अन्वेषण करने हेतु धारा 20 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुन: सचिव या उपसचिव को अधिकृत किया जाता है। यदि किसी भी लोकसेवक के विरूद्ध कोई अन्वेषण किये जाने के पर्याप्त आधार न हों, परंतु ऐसी कोई रीति या कार्यवाही, जिससे राज्य को हानि हो रही है अथवा नागरिकों को हानि हो रही हो, तो उसके संबंध में अनुशंसा की जा सकती है।

अन्वेषण के दौरान लोकसेवक को अपना जवाब/स्पष्टीकरण एवं उसके समर्थन मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया जाता है तथा जिरह करने का अवसर प्रदान किया जाता है। अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात् प्रतिवेदन माननीय लोकायुक्त के समक्ष आदेश प्रस्तुत किया जाता है। अन्वेषण रिपोर्ट के आधार पर यदि लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं होते हैं, तो अन्वेषण प्रकरण को बंद कर दिया जाता है। यदि किन्हीं लोकसेवकों के विरूद्ध आरोप प्रमाणित होते हैं, तो धारा 12(1) के अन्तर्गत उनके विरूद्ध समुचित कार्यवाही किये जाने की अनुशंसा की जाती है। यदि किसी लोकसेवक के विरूद्ध कोई अनुशंसा किये जाने के आधार नहीं पाये जावे, परंतु ऐसी कोई रीति या कार्यवाही जिससे राज्य को हानि हो रही हो अथवा नागरिकों को हानि हो रही हों, तो उसके संबंध में अनुशंसा की जा सकती है।

गवाही

1. लोकायुक्त द्वारा प्राप्त शिकायत के संबंध में किसी भी ऐसे अधिकारी या अन्य व्यक्ति से, जो उनकी राय में जांच पड़ताल संबंधी सूचना देने या सम्बन्धित कागजात प्रस्तुत करने में समर्थ है, उसे सूचना देने या कागजात प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जाता है।
2. शिकायतों की जांच पड़ताल के संबंध में लोकायुक्त को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अन्तर्गत सिविल न्यायालय की समस्त शक्तियां प्राप्त हैं, जिनके अनुसार वे किसी भी व्यक्ति को बुला सकते हैं और उनके शपथ-पत्र पर बयान ले सकते हैं। किसी दस्तावेज को पेश कराना तथा उस पर कार्यवाही की आज्ञा देना, शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना, किसी भी न्यायालय या कार्यालय से किसी अभिलेख की प्रति या उसकी प्रतिलिपि प्राप्त करना, साक्ष्यिों या दस्तावेजों की जांच के लिए कमीशन जारी करना आदि सभी अधिकार उन्हें प्राप्त हैं।
3. लोकायुक्त के समक्ष कोई भी कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) की धारा 193 के अन्तर्गत एक न्यायिक कार्यवाही है।

अनुशंसा

धारा 12(1) के अन्तर्गत राज्य सरकार/सक्षम प्राधिकारी को अनुशंसा किये जाने पर

सक्षम प्राधिकारी के लिए धारा 12(2) के प्रावधान के अनुसार यह आवश्यक है कि वह उप-धारा (1) के अधीन उसे भेजे गये प्रतिवेदन की परीक्षा कर प्रतिवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीन मास के भीतर माननीय लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त को, जैसी भी स्थिति हो, प्रतिवेदन के आधार पर की गई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही की सूचना दें।

यदि माननीय लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त उनकी सिफारिशों या निष्कर्षों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही से संतुष्ट हो तो वे शिकायतकर्ता, लोकसेवक या सक्षम प्राधिकारी को सूचित करते हुए मामले को बंद कर सकते हैं। परंतु जहां ऐसा नहीं हो, तो वह राज्यपाल को उसके बारे में एक विशेष प्रतिवेदन भेज सकते हैं।

वार्षिक प्रतिवेदन

धारा 12(4) के प्रावधान के अनुसार माननीय लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त को इस अधिनियम के अधीन अपनी कृत्यों के सम्पादन के संबंध में एक समेकित प्रतिवेदन प्रतिवर्ष महामहिम राज्यपाल को प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अब तक 22 वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जा चुके हैं, जिनमें से 19 वार्षिक प्रतिवेदनों को राज्य विधान मंडल के सदन के समक्ष रखा जा चुका है। 20वें, 21वें तथा 22वें प्रतिवेदन को विधान मंडल के सदन के समक्ष रख दिया गया अथवा नहीं, इसकी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। 1 अप्रेल 2004 से 31 फरवरी, 2005 की अवधि का 23वां वार्षिक समेकित प्रतिवेदन माननीय लोकायुक्त का पद रिक्त होने के कारण प्रस्तुत किया जाना शेष है।

लोकायुक्त सचिवालय के लोकसूचना अधिकारी

1. सचिव- अपील अधिकारी, 2. उप सचिव- लोक सूचना अधिकारी, 3. सहायक सचिव- सहायक लोक सूचना अधिकारी

लोकायुक्त सचिवालय का पता

लोकायुक्त सचिवालय, विकास खण्ड, प्रथम मंजिल, शासन सचिवालय परिसर, जयपुर

टेलीफोन नंबर

माननीय लोकायुक्त: 0141-2227284
सचिव: 0141-2227975
उपसचिव: 0141-2227444
फैक्स: 0141-2227284

राजस्थान लोकायुक्त की कार्यपद्धति में सुधार हेतु सुझाव

1. भ्रष्टाचार निरोधक विभाग तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की तरह छापा मारने का अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए, जैसा कि मध्यप्रदेश के लोकायुक्त को प्राप्त है।
2. शिकायत करने पर जांच केवल विभागीय स्तर पर ही होती है, जिससे अन्वेषण में विश्वसनीयता नहीं रह पाती है।
3. लोकायुक्त को सीमित अधिकार प्राप्त है। इसे भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए।

शिकायत का प्रारूप

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत प्रस्तुत किए जाने वाले शिकायत पत्र का प्ररूप

प्रेषिति:

सचिव,

यहां पचास पैसे का न्यायशुल्क का टिकट लगाएं

लोकायुक्त सचिवालय,
शासन सचिवालय परिसर,
जयपुर

1. शिकायतकर्ता का नाम एवं पिता/पति का नाम
2. व्यवसाय (यदि आप नौकरी में हैं तो पद एवं विभाग/संस्था का नाम)
3. पत्र व्यवहार का पूर्ण पता (यदि टेलीफोन नंबर, फैक्स, ई-मेल की सुविधा हो तो उसका विवरण)
4. लोक सेवक जिसके विरूद्ध शिकायत की जा रही है, उसका नाम, पद एवं कार्यालय का पता
5. शिकायत का सम्पूर्ण बिन्दुवार विवरण (यदि विवरण विस्तृत हो तो अपने पूर्ण हस्ताक्षर कर पृथक से पृष्ठ संलग्न किया जा सकता है)
6. चाहे गए समाधान/राहत का विवरण (यदि विवरण विस्तृत हो तो अपने पूर्ण हस्ताक्षर कर पृथक से पृष्ठ संलग्न किया जा सकता है)
7. शिकायत के संबंध में यदि दस्तावेजी साक्ष्य है, तो उसकी सूची वर्णित करें एवं प्रतियां संलग्न करें

8. शिकायत के संबंध में यदि कोई गवाह प्रस्तुत करना चाहे तो गवाहों का नाम व पूर्ण पता अंकित करें (यदि विवरण विस्तृत हो तो अपने पूर्ण हस्ताक्षर कर पृथक से पृष्ठ संलग्न किया जा सकता है)
9. यदि इस संबंध में किसी अन्य अधिकारी/विभाग/आयोग/जांच एजेंसी आदि के समक्ष शिकायत की गई है तो उसका विवरण
10. यदि विवादित मामला किसी न्यायालय/ट्रिब्यूनल/जिला मंच/राज्य आयोग आदि में विचाराधीन है अथवा निर्णित हो गया है, तो उसका विवरण (यदि विवरण विस्तृत हो तो अपने पूर्ण हस्ताक्षर कर पृथक से पृष्ठ
संलग्न किया जा सकता है)

स्थान:
दिनांक:
कुल पृष्ठों की संख्या:
शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर

परिशिष्ट- 2
दस रुपए के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर लोकायुक्त सचिवालय में प्रस्तुत परिवाद के संदर्भ में शपथ-पत्र

मैं ....
पुत्र/पुत्री/पत्नी
....
उम्र ....
जाति... निवासी
....
सशपथ कथन करता/करती हूँ कि:

1. मेरे द्वारा .... विभाग के लोकसेवकगण सर्वश्री
....
के विरूद्ध लोकायुक्त सचिवालय में प्रस्तुत संलग्न शिकायत में अंकित सभी तथ्यों को मैंने पढ़

लिया है, जो मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सही हैं।

2. मेरे द्वारा जिस मामले के संबंध में शिकायत की गई है, उसे प्रस्तुत किए जाने की दिनांक से पांच वर्ष के अधिक का समय व्यतीत नहीं हुआ है।

शपथगृहिता

सत्यापन

मैं, उपरोक्त शपथगृहिता सत्यापित करता हूँ कि उक्त शपथ-पत्र में पैरा नं. 1 व 2 तथा शिकायत में वर्णित सभी तथ्य मेरे विश्वास एवं निजी जानकारी के अनुसार सही हैं और इसमें कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है।

शपथगृहिता

1.4. 2000 से 31.3.2001 की कालावधि के दौरान लम्बित, संस्थित एवं निपटाई गई प्रारंभिक जांचों की संख्या दर्शाने का विवरण

क्र. सं.	**विवरण**	**संख्या**
1.	1.4.2000 को लम्बित प्रारंभिक जांच	39
2.	1.4.2000 से 31.03.2001 की कालावधि के दौरान	
	संस्थित की गई प्रारंभिक जांच	76
3.	योग (पंक्ति संख्या 1 व 2)	
4.	जिनमें अभिकथन सिद्ध नहीं हो सकें।	9
5.	जिनमें विभाग द्वारा पहले की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई।	2
6.	लोकसेवक सेवानिवृत्त हो गया।	-
7.	जिनमें अन्वेषण के पर्याप्त आधार विनिर्मित होना नहीं पाये गये।	4

8.	अन्य कारण	7
9.	निपटाई गई प्रारंभिक जांच की संख्या (4+5+6+7+8)	22
10.	जिन्हें अन्वेषण प्रारंभ किये जाने के कारण स्थानांतरित किया गया।	15
11.	31.3.2001 को लम्बित प्रारंभिक जांच	78

1.4.2000 से 31.3.2001 की कालावधि के दौरान लम्बित, संस्थित एवं निपटाये गये अन्वेषण प्रकरणों की संख्या दर्शाने का विवरण

क्र.	विवरण	संख्या
1.	1.4.2000 को लम्बित अन्वेषण प्रकरण	4
2.	1.4.2000 से 31.3.2001 की कालावधि के दौरान संस्थित किये गये	15
3.	योग (पंक्ति संख्या 1 व 2)	19
4.	जिनमें अभिकथन सिद्ध नहीं हो सके।	3
5.	जिनमें अभिकथन सिद्ध होने पर दोषी लोकसेवक के विरुद्ध संबंधित सक्षम	
	प्राधिकारी को अधिनियम की धारा 12(1) के अन्तर्गत सिफारिशें भेजी गई	5
6.	31.3.2001 को लम्बित अन्वेषण प्रकरण	11

1.4.2000 से 31.3.2001 तक की कालावधि के दौरान लंबित, प्राप्त शिकायतों, निपटाई गई शिकायतों एवं 31.3.2001 को लम्बित रही शिकायतों को दर्शित करने वाला विवरण

शीर्ष	विभाग का नाम	1.4.2000	1.4.2000	योग	1.4.2000	31.3.2001
1.	2	3	4	5	6	7
1.	कृषि	5	17	22	12	10
2.	पुलिस	29	136	165	68	97
3.	सहकारिता	3	17.	20	10	10
4.	शिक्षा	16	48	64	31	33
5.	कॉलेज शिक्षा	1	10	11	4	7
6.	खाद्य एवं आपूर्ति	4	2	6	4	2
7.	चिकि. एवं स्वा.	10	55	65	20	45
9.	सा.नि.वि.	4	19	23	8	15

10.	रा.रा.वि. मण्डल	3	26	29	13	16
11.	राजस्व	39	155	194	80	114
12.	ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज	6	75	81	32	49
13.	अकाल एवं राहत	-	-	-	-	-
14.	यातायात	2	10	12	7	5
15.	वन	4	34	38	11	27
16.	यूडीएच/जविप्रा	69	189	258	82176	
	/एलएसजी					
17.	जनसंपर्क	-	-	-	-	-
18.	आबकारी	5	10	15	9	6
19.	उद्योग	3	7	10	3	7
20.	मुद्रण एवं लेखन	-	-	-	-	-
21.	पशुपालन	-	2	2	2	-
22.	भेड़ एवं ऊन	-	-	-	-	-
23.	सिंचाई.	3	29	32	10	22
24.	ई.गा.नहर परि.	1	11	12	15	7
25.	राणा.प्र. सागर/	-	-	-	-	-
	जवाहर सागर					
26.	उपनिवेशन	1	4	5	2	3
27.	न्याय	1	18	19	14	5
28.	जेल					
29.	श्रम	2	2	4	2	2
30.	पी.एच.ई.डी.	2	19	21	10	11
31.	समाज कल्याण	2	8	10	3	7
32.	भू.प्रबन्ध	2	5	7	2	5
33.	सचिवालय	10	21	31	15	16
34.	विविध	12	105	117	53	64
35.	भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो	-	-	-	-	-
36.	आयुर्वेद	4	9	13	4	9
37.	देवस्थान	3	5	8	-	8
38.	रा.रा.प.प.निगम	3	9	12	4	8
39.	वाणिज्यिक कर	1	10	11	3	8
40.	खान एवं भूविज्ञान	-	13	13	4	9
41.	संस्कृत शिक्षा	1	3	4	2	2

42.	बीमा एवं प्रा.निधि	3	11	14	4	10
43.	तकनीकी शिक्षा	-	3	3	1	2
	योग	254	1101	1355	535	820

1.4.2000 से 31.3.2001 तक की कालावधि के दौरान स्व-प्रेरणा के आधार पर जांच हेतु प्रारंभ किये गये प्रकरणों को दर्शित करने वाला विवरण

क्र.	पत्रावली संख्या	लोकसेवक/विभाग का नाम, जिसके विरुद्ध जांच प्रारंभ की गई	शिकायत का विषय /विवरण
1.	5(5)लोआस/2000	निदेशक, शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर	जीप घोटाले की जांच के संबंध में
2.	6(10)लोआस/2000	निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर	व्याख्याताओं के अनियमित स्थानान्तरणों के संबंध में।
3.	9(2)लोआस/2000	अतिरिक्त जिला कलेक्टर (पुनर्वास), अजमेर	वैकल्पिक मार्ग निर्माण में घोटाला होने के संबंध में।
4.	11(88)लोआस/2000	अतिरिक्त जिला कलेक्टर (पुनर्वास), अजमेर	बीसलपुर विस्थापितों से अवार्ड खरीदकर अपने रिश्तेदारों के नाम करवाने के संबंध में।
5.	16(81)लोआस/2000	अधिकारीगण, नगर निगम, जयपुर।	विकलांग (लकवाग्रस्त)सेवानिवृत्त कर्मचारी को पेंशन स्वीकृत न करने के संबंध में।
6.	16(106)लोआस/2000	अधिकारीगण, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	करोड़ों रुपए मूल्य की अवाप्तशुदा भूमि को गोल्फ हेतु छोड़ने के संबंध में।
7.	16(157)लोआस/2000	अधिकारीगण, जयपुर	नेहरु बालोद्यान, जयपुर की भूमि में

		विकास प्राधिकरण जयपुर	अवैध रूप से प्लाट विक्रय करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं करने बाबत्।
8.	16(157)लोआस/2000	अधिकारीगण, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	अवैध भवन निर्माण विनियम जारी करने के संबंध में।
9.	18(2)लोआस/2000	अधिकारीगण, आबकारी विभाग।	शराब के ठेकों में 250 करोड़ का घोटाला करने बाबत्।
10.	34(2)लोआस/2000	वनमंत्री, राजस्थान सरकार।	कोयले का ट्रक बिना शुल्क के नाके के पास करवाने बाबत्।
11.	35(5)लोआस/2000	अधिकारीगण, वित्त विभाग।	विभिन्न विभागों में हुए 1.50 अरब के घोटालों के संबंध में।

जन-अभाव अभियोग निराकरण समिति

राज्यपाल राजस्थान राज्य के प्रत्येक जिले में, जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समिति के गठन की स्वीकृति प्रदान करते हैं। इस समिति में निम्न सदस्य होते हैं -

1. कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट - अध्यक्ष
2. जिला पुलिस अधीक्षक - सदस्य
3. जिले के समस्त संसद-सदस्य और विधान सभा सदस्य - सदस्य
4. जिला प्रमुख - सदस्य
5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति में से प्रत्येक का एक व्यक्ति जिले से जिसे राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जाएगा। - सदस्य
6. क्षेत्रीय/जोनल अधिकारी, जिन्हें जब भी आवश्यक होगा, अध्यक्ष द्वारा सहयोजित किया जाएगा।
7. सहकारी बैंक/भूमि बन्धक बैंक/भूमि विकास बैंक का प्रतिनिधि, जिसे जब आवश्यक होगा अध्यक्ष द्वारा सहवृत्त किया जायेगा। - सदस्य
8. एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता जिसे राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जाएगा। - सदस्य
9. सचिव नगर सुधार न्यास (यदि कोई हो) - सदस्य
10. प्रशासक/अध्यक्ष, नगर परिषद/बोर्ड - सदस्य
11. सम्बन्धित विभाग/स्वशासी निकाय का जिला स्तरीय अधिकारी, जिसे अध्यक्ष द्वारा सहवृत किया जायेगा। - सदस्य

12. अपर जिला मजिस्ट्रेट एवं कलक्टर (जब कोई अपर जिला मजिस्ट्रेट नहीं हो तो अपर जिला विकास अधिकारी) जिसे अध्यक्ष द्वारा सहवृत्त किया जायेगा।
- सदस्य-सचिव

2. जयपुर, सवाई माधोपुर, अलवर और भरतपुर जिले में पूर्वोक्त समिति के अध्यक्ष अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों पर की गई ज्यादतियों की समस्या के संबंध में कार्यवाही करने के लिए उप समितियों का गठन कर सकेंगे।
3. आयुक्त, जन अभियोग निराकरण या उसका नाम - निर्देशिती जो उपायुक्त से नीचे के स्तर का कानून हो, जब कभी भी आवश्यकता हो तो जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समितियों की बैठकों में उपस्थित हो सकेगा किन्तु आयुक्त (जन अभियोग निराकरण) के बैठक में उपस्थित होने की दशा में वे ही समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
4. इस समिति के निम्न कृत्य होंगे, भ्रष्टाचार और जन अभियोगों जैसे- विद्युत कनेक्शनों को मंजूरी में और विद्युत वितरण में विलम्ब, अपराधिक मामलों के पंजीकरण तथा उनके अन्वेषण, पुलिस स्टेशनों में मामलों को रजिस्टर नहीं करने, नामान्तरणों व जल-वितरण में अनियमितताओं, अन्वेषण प्राधिकारियों द्वारा वाहनों के अधिकथित दुरुपयोग और विभिन्न विभागों द्वारा ठेके देने में और उनके निष्पादन में अनियमितताओं, महिलाओं पर ज्यादत्तियों आवश्यक वस्तुओं के प्रदाय और वितरण तथा विभिन्न विभागों द्वारा ऋण मंजूर किये जाने और उसके वितरण में अनियमितताओं से संबंधित शिकायतों के संबंध में कार्यवाही किये जाने और उन्हें निपटाने में विलम्ब अलिप्त हो।

समिति निम्न प्रकार कार्य सम्पादन करेगी

(क)प्रत्येक माह में कम से कम एक बार यह समिति किसी ऐसी नियत तारीख पर, जो पर्याप्त समय पूर्व निर्धारित की जाएगी, शिकायतकर्ताओं को सूचित करते हुए बैठकें आयोजित करेंगी। ये बैठकें जिला मुख्यालय या जिले के भीतर किसी भी अन्य स्थान पर, आयोजित की जायेगी ताकि जनता और अन्य समस्त हितबद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर मिल सके।

(ख)यह समिति अपराधों, कानून और व्यवस्था की स्थिति तथा जिले के यातायात नियंत्रण से संबंधित सम्स्याओं का पुनर्विलोकन करेगी। वैयक्तिक या जन अभियोगों में विलम्ब पुलिस स्टेशनों में मामले रजिस्टर नहीं करने, अनुसूचित जाति/जनजातियों के लोगों, समाज के कमजोर वर्गों और महिलाओं पर ज्यादतियों सहित उपर्युक्त विभागों के संबंध में निवारक और सुधारात्मक उपाय सुझाने के लिए सक्षम होगी।

(ग) यह समिति ऐसी शिकायतों की जांच पड़ताल करने में सक्षम होगी जिनमें वैयक्तिक या जन अभियोगों हेतु यदि वे विभाग आपस में सहमत नहीं हों, वहां यह समिति समस्त जिला

स्तरीय विभागों के क्रियाकलापों को समन्वित करने के लिए उत्तरदायी होगी।

(घ) भ्रष्टाचार, सद्भावपूर्ण आचरण, पद या परिस्थिति के दुरुपयोग निष्क्रियता अथवा अधिकार से परे कार्य करने के विनिर्दिष्ठ अभिकथनों के मामले में, समिति जिला स्तरीय अधिकारी के सुसंगत अभिलेख को परीक्षा करने के लिए सक्षम होगी और यदि समुचित आधार हों तो आगे और जांच कर सकेगी।

(ड़) यह समिति, राज्य सरकार/जन अभियोग निराकरण विभाग द्वारा उसे सौंपी गई किसी विनिर्दिष्ट शिकायत का अन्वेषण करने के लिए भी सक्षम होगी।

(झ) यह समिति जिला अधिकारियों के अपने क्षेत्र में सर्वाधिक दोरों, तहसीलों, स्टेशनों आदि के निरीक्षणों के संबंध में सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों की अनुपालना का पुनर्विलोकन भी करेगी ताकि जन अभाव अभियोगों का समुचित निराकरण हो सके।

अध्याय-8

गैर-सरकारी भ्रष्टाचार निरोधक तंत्र

(अ) स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका

भ्रष्टाचार निरोधन में 'कट्स' ने अपने प्रकाशनों के माध्यम से एवं समय-समय पर करवाये गये सर्वेक्षणों के माध्यम से इसे उजागर किया तथा रोकथाम के लिए आवश्यक सुझाव जनता व सरकार को दिए। 'कट्स' का प्रमुख प्रकाशन 'ग्राम गदर' जो राजस्थान का पहला वॉल पेपर है, विशेषत: ग्रामीण जनता को सन् 1983 से सेवा देता आ रहा है। इसी क्रम में 'आपके नाम चिट्ठी' (सन् 1998 से) तथा 'पाँचवा स्तम्भ' (सन् 2001 से) जनता की सेवा में निरन्तर सेवारत है।

कुछ महत्वपूर्ण गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए सुझाए गए सुझाव:

1. गांवों में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भ्रष्टाचार के खिलाफ जन जागृति पैदा करना।
2. प्रचार-प्रसार व भित्ती-लेखन, पद यात्रा, जन जागृति शिविर लगाकर लोगों को जागरूक कर भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है।
3. गांवों में महिलाओं व पुरूषों के ग्रुप बनाकर उनके द्वारा प्रचार-प्रसार करवाना।
4. समय-समय पर कार्यशालाओं का आयोजन करके सरकारी पदाधिकारियों द्वारा लोगों को जानकारी मुहैया करवाकर भ्रष्टाचार कम किया जा सकता है।
5. गैर-सरकारी संगठनों की सूचना पर भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा कार्यवाही करना।
6. गैर-सरकारी संगठनों को सशक्त बनाना।
7. गैर-सरकारी संगठनों की सुनवाई की पुख्ता व्यवस्था करना।
8. गैर-सरकार संगठनों द्वारा सरकारी अधिकारियों पर अंकुश रखना।

(ब) संचार माध्यमों की भूमिका

अखबार, पत्रिकाएं तथा दूसरे संचार माध्यमों द्वारा प्रचार, भ्रष्टाचार रोकने का सबसे बड़ा साधन है। भ्रष्ट मंत्रियों, विधायकों व जनसेवकों का प्रकाशन अखबारी उत्तरदायित्व का

महत्वपूर्ण भाग है, विशेषकर क्षेत्रीय व स्थानीय समाचार पत्रों का। भ्रष्टाचार विरोधी संस्थाओं की सूचना जनता को दी जानी चाहिए। अमेरिका में वाटरगेट कांड का भंडाफोड़ 'वाशिंगटन पोस्ट' अखबार के दो नवयुवक संवाददाताओं ने किया था। जो तमाम बाधाओं के उपरांत तथा व्हाईट हाउस की धिक्कार एवं गालियों के बाद भी उसी रास्ते पर चलते रहे जो उन्होंने और उनके सम्पादक ने अमेरिका तथा उसकी संस्थाओं के लिए ठीक समझा। वाटरगेट, भंडाफोड़ में भारत के लिए एक सबक है।

राजगोपाल अयंगर प्रतिवेदन ने सही कहा है कि 'एक सतर्क, प्राणवान तथा निडर समाचार-पत्र, जो सार्वजनिक जीवन में स्वच्छता हेतु पक्षपातहीन दृष्टिकोण रखता है, सज्ञान, बुद्धिमान तथा सतर्क जनता का विचार भ्रष्टाचार रोक सकता है।' भारत में समाचार पत्रों का स्वामित्व बहुत दोषपूर्ण है। देश के कुछ मुख्य समाचार पत्रों पर भ्रष्ट व्यापारिक समूहों ने नियंत्रण कर लिया है। अब तो धनी समूह, सम्पादकों को कंपनी का निदेशक बनाकर उन्हें खरीद लेते हैं। निर्बल सम्पादक समाचार पत्र के मालिकों के भोंपू बन जाते हैं। टी.वी. और पत्र-पत्रिकाओं को हम आजादी से काम करने दें तो वे लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ का धर्म अच्छी तरह निभा सकते हैं। 'ऑपरेशन दुर्योधन' में पकड़े गए सांसदों को जिस तत्परता के साथ निष्कासित किया गया, उससे भी यह साबित हुआ है कि मीडिया के प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता।

समय पहले 'तहलका' हुआ था। सांसद कोटे से कमाई होती है, दागी मंत्रियों का मामला उठता है और यह सब कुछ टी.वी. और अखबारों की पहरेदारी से ही सामने आया है।

समाचार पत्रों के लिए सुझाव

प्रत्येक समाचार पत्र के पास भ्रष्टाचार निरोधक विभाग होना चाहिए, जिससे कि आम नागरिक भ्रष्टाचार संबंधी सूचनाएं दे सके तथा समाचार पत्र उन्हें उजागर कर देश की अखण्डता में सहयोगी बन सकें। सिटी भास्कर ने बानगी के रूप में लोगों की सावचेती के लिए बात की, तो पता चला कि सरकारी फीस तो नाम मात्र की है, लेकिन बिचौलियों की फीस का अंदाजा ही नहीं है। सिटी भास्कर ने बिचौलियों की फीस को 'स्पीड मनी' का नाम देते हुए सर्वे कर लोगों द्वारा विभिन्न कार्य के लिए फीस का मालूम किया:

क्र.सं.	कार्य	निर्धारित शुल्क	लोगों का कहना है
1.	अतिक्रमण	-	पार्टी देखकर, वैसे 100 रुपए
2.	हाउस टैक्स	एरियानुसार	10-20 प्रतिशत तक
3.	जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र	50 रुपए	50 रुपए
4.	रोड़लाइट मरम्मर	--	20 रुपए
5.	प्लाट ट्रांसफर	5-6 हजार रुपए (एरियानुसार)	2-3 हजार रूपए
6.	नया पट्टा	--	1000 रुपए

7.	90बी कन्वर्जन	5 हजार रुपए	10 हजार रुपए से अधिक
8.	नक्शा	2 रुपए पेज	100 रुपए और अधिक
9.	स्टे ऑर्डर	2 रुपए पेज	50 रुपए
10.	बेल ऑर्डर	2 रुपए पेज	100 रुपए
11.	जजमेंट	2 रुपए पेज	100 रुपए
12.	रजिस्ट्री	9 प्रतिशत	500 रुपए
13.	मूल निवास	10 रुपए	50 रुपए
14.	जाति प्रमाण पत्र	10 रुपए	10 रुपए
15.	नकल कलेक्ट्रेट से	2 रुपए पेज	50 रुपए
16.	डेथ सर्टिफिकेट	10 रुपए	50 रुपए
17.	मैरिज सर्टिफिकेट	400 रुपए	एक या दो हजार रुपए
18.	थाने से नकल	--	100 रुपए
19.	एफ.आई.आर.	स्टेशनरी के नाम	पार्टी देखकर, वैसे 100 रुपए
20.	गाड़ी छुड़ाने के	जुर्माना अलग-अलग	100 रुपए

भ्रष्टाचार निरोधन में जनजागृति लाने के लिए मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण दिवस:

1. अन्तर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस- 9 दिसम्बर, 2. सतर्कता सप्ताह- 29 अक्टूबर से 05 नवम्बर

भ्रष्टाचार और आम जनता

आमजन और बेईमानियां:

1. सब्जी वाले को दो-चार रुपए कम दे दिये तो क्या फर्क पड़ जाएगा, वह भी तो कम तौलता है।
2. दूध वाले का 1-2 किलो दूध कम तो बताना ही पड़ता है, वह भी तो पानी मिलाता है।
3. गरीब मजदूर को पूरे काम के बदले 10-20 रुपए कम इसलिए दिए कि हमारे हिसाब से उसने मक्कारी की।
4. बस वाले ने किराया नहीं मांगा तो हम भला अपने आप क्यों देने लगें?
5. फल वाले के ठेले पर भाव पूछने के बहाने दो-चार फल मुफ्त में खा लिए तो क्या हुआ?
6. पेट्रोल तो पूरा भरवा लिया, पर सामने वाले ने कम पैसे लिए तो हमारी क्या गलती?
7. बिल में दो-चार सामान नहीं जुड़े तो भला हम क्यों बताए?
8. दुकानदार की व्यवस्तता देखकर बिना पैसे देकर ही निकल आये।
9. रसोई गैस समय पर बुक नहीं करवाई तो क्या फर्क पड़ता है, हॉकर को 50 रुपए अधिक देकर मंगवा लेंगे।
10. बैंक स्टेटमेंट चाहिए था, क्लर्क को 100 रुपए ऊपर के दिए, बस काम बन गया।

11. फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना है तो 75 रुपए का टिकट 150 रुपए में ब्लैक में खरीदना कोई बुराई नहीं।
12. गलती से आया फटा नोट बैंक में कौन जमा कराए? अच्छी साइड से मोडो और भीड़ वाली दुकान पर चला दो।
13. कॉलोनी में सड़क बन रही थी, ठेकेदार को 500 का नोट दिया और अपने घर के सामने भी पट्टी बन गई।
14. पन्द्रह दिन बाद दवा की एक्सपायरी डेट है, इस बेचारे गांव के अनपढ़ को क्या पता, चुपचाप निकाल दो।
15. सरकारी अस्पताल के कर्मचारी को सेट किया। दवाईयां और कॉटन के बंडल की डिलेवरी सीधे दुकान पर मिली।
16. घूमने गए थे मुम्बई, 1000 की रेशमी साड़ी 1500 में पड़ौसी को बेच दी। चलो, एक तरफ का किराया ही निकला।
17. मुन्ने ने खिलौना घर पर तोड़ दिया। दुकान पर गये और इसका दोष दुकानदार पर मढ़कर पैसे वापस ले आए।
18. रद्दी वाले को बातों में लगाकर ऊपर नीचे अच्छी और बीच में खराब कतरने जमाकर पूरे पैसे वसूल लिए।
19. बिजली के बिल वाले को सेट किया। 200 यूनिट की बजाय 100 यूनिट करवाने में क्या देर लगी?
20. फुटपाथ से डुप्लीकेट चश्मा खरीदा और दोस्त को असली बताकर चार गुना कीमत में बेच दिया।
21. रिजर्वेशन तो हम कभी करवाते नहीं। कुली या टी.टी. को सौ-पचार रुपए देंगे तो दुआएं भी मिलेंगी और आराम से जगह भी।
22. रोज का आना-जाना है भाईसाहब, टिकट कौन लें? कंडक्टर साहब का भी तो कुछ फायदा होना चाहिए।10 रुपए की बजाय 5 रुपए में शुभ यात्रा हो गई।
23. भई, दो दिन तो हम घर नहीं थे और तीन दिन तुम्हारे हॉकर ने पेपर नहीं डाला। अब बिल तो 25 दिन का ही देंगे ना, झूठ थोड़े ही बोल रहे हैं?
24. भई, घर पर भी तो ऑफीस का ही काम करते हैं। दफ्तर की थोड़ी बहुत स्टेशनरी घर ले आए तो क्या हो गया? मेरे न सही, बच्चों के काम आ रही हैं।
25. अजी, हम आपकी आंटी के पड़ौसी है। जरा ये बिल अंदर से जमा करवा दीजिए, बाहर लंबी लाईन लगी है।
26. साहब, ये हमारे गांव की स्पेशल रबड़ी है, आप ही के लिए लाया हूँ। जरा बच्चे की फाईल आगे बढ़वा दीजिए ना।

27. अब आप इतना कह रहे हैं तो लिफाफा रख लेता हूँ, वरना आप तो जानते हैं मेरी छवि कितनी साफ है। जाइए, बिल पास हो जाएगा।

ईनाम के रूप में ली जाने वाली धनराशि:

1. नया टेलीफोन, बिजली व पानी कनेक्शन मिलने पर।
2. अस्पताल में बच्चे का जन्म होने पर।
3. पुलिस वेरीफिकेशन पर।
4. मकान या जमीन की रजिस्ट्री होने पर।
5. गृहकर की गणना पर।
6. डाक द्वारा नियुक्ति पत्र, पासपोर्ट व मनीऑर्डर आदि आने पर।

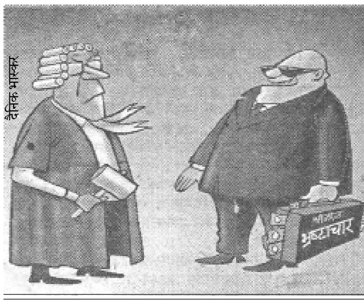

अध्याय-9

भ्रष्टाचार रोकथाम में न्यायालयों की भूमिका

भ्रष्टाचार निवारण हेतु भारतीय गणराज्य के39वें वर्ष में संसद द्वारा पास किया गया भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988, जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में लागू होता है। इस अधिनियम के तहत एक विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है जो कि सेशन न्यायाधीश, सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत निम्न स्थानों पर नियुक्त है:

1. जयपुर, 2. जोधपुर, 3. अजमेर, .
4. बीकानेर, 5. उदयपुर, 6. कोटा

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत महत्वपूर्ण धाराएं जिनके अन्तर्गत प्राय: कार्यवाही की जाती है, वे हैं:

धारा 5(1)डी2- पद का दुरूपयोग करते हुए किसी कार्य को सम्पादित करना।

धारा 5(1)ई2- आय से अधिक सम्पत्ति रखना।

धारा 12- किसी राज्यकर्मी को रिश्वत देने वाले के खिलाफ कार्यवाही।

धारा 13(7)1डी2- रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार करना।

भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अन्तर्गत वे महत्वपूर्ण धारा जो भ्रष्टाचार में संलिप्तता के विरूद्ध कार्यवाही में सहायक हैं:

धारा 161- वैध पारिश्रमिक से भिन्न पारितोषण का लोक सेवक द्वारा पदीय कार्य के लिए लिया जाना।

धारा 162- लोक सेवक पर भ्रष्ट या अवैध साधनों द्वारा असर डालने के लिए पारितोषण लेना।

धारा 163- लोक सेवक पर वैयक्तिक असर डालने के लिए पारितोषण लेना।

धारा 164- धारा 162 या 163 में परिभाषित अपराधों में लोक सेवक द्वारा दुष्प्रेरण के लिए दण्ड।

धारा 165- लोक सेवक, जो ऐसे सेवक द्वारा की गई कार्यवाही या कारबार से सम्पृक्त

व्यक्ति से, प्रतिफल के बिना मूल्यवान चीज अभिप्राप्त करता है।

धारा 165(क)- धारा 161 या 165 में परिभाषित अपराधों के दुष्प्रेरण के लिए दण्ड।

धारा 409- लोक सेवक द्वारा या बैंकर, व्यवसायी या अभिकर्ता द्वारा आपराधिक न्यासभंग।

धारा 420- छल करना और सम्पत्ति परिदत करने के लिए बेईमानी से उन्प्ररित करना।

धारा 467- मूल्यवान प्रतिभूति, बिल इत्यादि की कूट रचना।

धारा 468- छल के प्रयोजन से कूटरचना।

धारा 471- कूटरचित दस्तावेज का असली के रूप में उपयोग में लाना।

विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम, जयपुर शहर, जयपुर

वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2005 (माह जनवरी से दिसम्बर)

धारा जिसके तहत कार्यवाही की गई है	पिछले माह के मुकदमे दिसम्बर, 2004	दायर मुकदमे	योग	सजा	बरी	अन्य ढ़ंग से (चार्ज नहीं बनता हो)	कुल निर्णित फैसले	योग	लम्बित मुकदमे
13(7)1डी2 झउ अर्ली (रिश्वत लेते हुए)	83	13	96	5	4	-	9	9	87
409,420,467, 468,471 भादसं 5(1)डी2झउ अर्ली (पद का दुरूपयोग)	32	6	38	1	3	1	5	5	33
12 झउ अर्ली (रिश्वत देना)	7	-	7	-	-	-	-	-	7
5(1)ई2झउ अर्ली (आय से अधिक सम्पत्ति)	9	1	10	-	-	-	-	-	10
योग	131	20	151	6	7	1	14	14	137

CUTS International

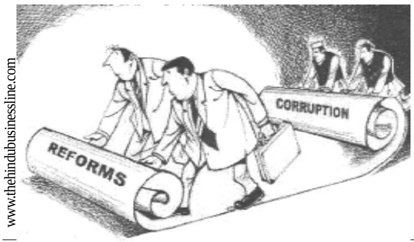

अध्याय-10

भ्रष्टाचार निरोधन के लिए कारगर सुझाव

विद्यमान प्रशासकीय तंत्र: मूल्यांकन तथा सुझाव

अनुच्छेद 311 सरकारी कर्मचारियों को इतनी सुरक्षा प्रदान करता है कि उनकेभ्रष्ट कार्यों के खिलाफ सही समय पर कार्यवाही कर पाना मुश्किल होता है।

इस कमी को दूर करने के लिए जनहित याचिका दायर कर न्यायालय को सक्रिय बनाया जाए ताकि इससे सम्बन्धित व्यक्तियों के पास इसे लागू करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं रह जाए। इसका एक अच्छा उदाहरण है सी.वी.सी. अधिनियम लागू करना जिसके कारण उम्मीदवारों को नामांकन भरते समय अपना आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में भी जानकारी देनी पड़ती है। दूसरा तरीका है टेक्नोलॉजी। जिस के प्रयोग ने भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, पासपोर्ट जारी करने के काम में कम्प्यूटराइजेशन ने भ्रष्टाचार को कम करने में मदद की है। इसलिए आई.टी. का अधिक उपयोग और प्रक्रियाओं में सुधार व उन्हें अधिक आसान बनाने से भी यह स्थिति बनाई जा सकती है।

हमारे यहां भ्रष्टाचार पर कई समितियां एवं आयोग बने हैं। आचार्य कृपलानी की अध्यक्षता में रेलवे भ्रष्टाचार जांच समिति (1945-55), विवियन बोस आयोग (1962), संथानम की अध्यक्षता में भ्रष्टाचार निरोधक समिति (1964) तथा काले धन पर वांचू समिति (1971) बनी। हमने विशेष पुलिस संस्थान तथा प्रशासकीय विभागों में सतर्कता इकाईयां बनाई। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 161 को 1958 के अपराधी कानून संशोधन विधेयक तथा सरकारी कर्मचारियों के व्यवहार नियमों द्वारा पुष्ट किया गया। हमारे यहां राजनीतिक दलों को चंदा देने के विरूद्ध कानून है, परंतु ये कानून भ्रष्टाचार को मिटाने की बात तो दूर, उसे कम भी नहीं कर पाये। इसके विपरीत भ्रष्टाचार बढ़ रहा है।

भ्रष्टाचार विरोधी उपाय

भ्रष्टाचार मिटाने के उद्देश्य की किसी भी योजना में सामान्य नैतिकता का स्तर आवश्यक है। जिन परिस्थितियों में मूल्यों में विरोध होता है, उनके लिए राल्फ ब्रेवान्ती का कहना है कि

'सामान्य नौकरशाही की नैतिकता का प्रभाव ही सरकार के लिए असामान्य बोझ हो जाता है। नौकरशाही कवच धारण करके ही समाज के अन्य नैतिक सिद्धांतों की मार से बच सकती है। इसे स्वयं को शक्तिशाली बनाने तथा कमजोर बनाने वाले प्रभावों से बचने हेतु भागीरथ प्रयत्न करने होंगे। ऐसी स्थिति में न्यायालय एक असाधारण दायित्व ग्रहण कर लेते हैं, जब वे अपनी नैतिकता को समाज में प्रचलित एवं प्रसारित करने का प्रयत्न करते हैं।' नौकरशाही की स्थिति में सुधार हेतु ध्यानपूर्वक प्रशिक्षण, नियमों तथा प्रक्रियाओं का ज्ञान, सभी अधिकारी स्तरों पर स्वीकृत एवं मान्य नैतिक संहिता का पालन सम्यक होता है।

भ्रष्टाचार निवारण समिति ने सुझाव दिया कि उनके द्वारा जनसेवकों के लिए सम्पत्ति प्राप्त करने, भेंट स्वीकार करने, लेन-देन का विवरण देने संबंधी प्रावधानों को सम्मिलित करते हुए मंत्रियों के लिए एक आचार संहिता बनाई जाए तथा प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री इस आचार संहिता के पालन के लिए स्वयं का उत्तरदायित्व माने। विधायकों के संबंध में समिति की राय थी कि विधायकों के लिए आचार संहिता के निर्माण में उपरोक्त प्रावधानों तथा सिद्धांतों को सम्मिलित करते हुए उसे एक विशेष समिति द्वारा निर्धारित किया जाए जिसमें लोकसभा के प्रतिनिधि तथा विधानसभा के अध्यक्ष एवं सभापति द्वारा नामजद विधायक हो। इस संहिता को लोकसभा एवं विधानसभा के प्रस्तावों द्वारा स्वीकार किया जाए तथा संहिता के उल्लंघन को विशेषाधिकार हनन मानते हुए विशेषाधिकार समिति द्वारा जांच की जाए।

नागरिकों द्वारा पहल

सरकार आचार संहिता का निर्माण या उस पर अमल नहीं करेगी, क्योंकि इससे तो यह जहाज ही डूब जाएगा जिस पर मंत्रीगण एवं विधायक यात्रा कर रहे हैं। अत: पहल जनसामान्य को करना होगा। हमें बेदाग छवि वाले नेता के छत्र-छाया में संगठित आंदोलन चलाना होगा, ताकि सरकार को बाध्य किया जा सके कि मंत्रियों, विधायकों तथा अधिकारियों द्वारा सत्ता के दुरूपयोग के प्रकरण के सक्षम अधिकारी बनाए। यह अधिकारी केन्द्र या राज्यों की सरकारों के पक्षपात की परिधि से पूर्ण रूप से बाहर हो सकें। ऐसे अधिकारी सम्पत्ति का ब्यौरा देने के उपरांत ही कार्यभार संभाले। श्री ए.डी. गोरवाला ने 1951 में अपनी रिपोर्ट 'पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन' में जोर दिया है कि उच्चतम स्तर पर आसीन व्यक्ति को भी जांच की परिधि से बाहर नहीं रखना चाहिए। भ्रष्टाचार का सही उपचार जनचेतना में ही है। लेकिन तात्कालिक आवश्यकता ऐसी निष्पक्ष वैधानिक संस्था के निर्माण की है जो भ्रष्टाचार की शिकायतों पर कार्यवाही कर सके।

पूर्व लोकसभा सदस्य मधु लिमये ने भ्रष्टाचार मिटाने तथा सार्वजनिक जीवन को स्वच्छ करने के लिए राष्ट्रीय परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया है। मधु लिमये के अनुसार परिषद भेजे गये सभी तथ्यों/जानकारी को एकत्र कर उसकी जांच करें। विशिष्ट अभियोगों की

प्राथमिक जांच हेतु दल बनाए जाए। यदि जांच में मामला प्रथम दृष्टि में बनता है, तो दल की जांच प्रकाशित करें तथा आंदोलन चलाकर सरकार को नियमित जांच आयोग बिठाने हेतु बाध्य किया जाए। परिषद चुनाव नियमों, भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों तथा अन्य उपयुक्त मामलों में संशोधन हेतु सलाह भी दें। इसी प्रकार विधायिका के अंदर तथा बाहर यथेष्ट प्रभाव उत्पन्न कर भ्रष्टाचार का मुकाबला किया जा सकता है।

भ्रष्टाचार निवारण समिति ने सन् 1964 में सुझाव दिया था कि सभी राजनीतिक दल आय-व्यय का लेखा रखें वार्षिक जांच कराकर प्रकाशित करावें कि प्रत्येक प्राप्ति कहां से हुई। समिति का प्रतिवेदन था कि 'हमें समझ नहीं आता कि किसी राजनीतिक दल को इस प्रावधान से क्यों आपत्ति हों? चूँकि स्वैच्छिक रूप से इसका पालन संभव नहीं है, अत: साधारण कानून द्वारा यह प्रावधान अनिवार्य कर दिया जाए। यदि राजनीतिक दल इसकी पालना नहीं करें तो चुनाव आयोग, डाक अधिकारी तथा बैंकों द्वारा उसकी मान्यता समाप्त कर दी जाए। जो व्यक्ति राजनीतिक दलों या स्वयं के लिए राजनीतिक कारणों से चंदा लें तो वे यह राशि व्यक्तिगत हिसाब में रखें तथा आयकर हेतु दिखाए। नियमित रूप से हिसाब रखना तथा उसे प्रदर्शित करने मात्र से ही राजनीतिक दलों पर सही व्यवहार करने की न्यूनतम मात्रा लागू हो जाएगी।' राजनीतिक दलों के कोष के सार्वजनिक प्रकाशन से भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी।

चुनाव फण्ड के लिए भ्रष्टाचार से धन प्राप्ति रोकने के लिए भ्रष्टाचार निवारण समिति ने छोटे संग्रहों पर निर्भर रहने का सुझाव दिया। लेकिन यह सुझाव व्यावहारिक नहीं लगता। सरजू प्रसाद आयोग ने सुझाव दिया कि चुनाव क्षेत्र छोटे नहीं बनाए जाए। प्रतिवेदन के अनुसार ''यह सब जानते हैं कि कानून द्वारा चुनाव व्यय सीमित कर दिये जाने के उपरांत भी लोग अपने चुनाव-प्रसार तथा चुनाव कार्यकर्ताओं के भोजन आदि पर बड़ी धनराशि व्यय करते हैं। बड़े चुनाव क्षेत्रों से चुनाव लड़ने के कारण ऐसा होना स्वाभाविक है तथा दल के नाम पर चंदा एकत्र करने में खुद के कोष को भरने का लालच रोका नहीं जा सकता, क्योंकि उनका भविष्य अनिश्चित होता है।

वर्तमान स्थिति में ऐसे कानून की नितांत आवश्यकता है जो राजनीतिक दलों को अपने कोष के जांचे हुए लेखे प्रकाशित करने के लिए बाध्य कर सकें। इससे चंदे तथा वास्तविक खर्च की तुलना की जा सकेगी। इससे चंदा एकत्रित करने वालों की यह आदत रूकेगी कि एकत्रित राशि का एक बड़ा हिस्सा वे अपनी जेब में रख लें। यदि कंपनियों द्वारा राजनीतिक दलों को चंदा देने के प्रतिबंध को हटा दिया जाए तो एक से दूसरे की जांच और सरल हो जाएगी।

दल-बदल विरोधी विधेयक

दल बदलने पर स्वयं ही विधानसभा की सदस्यता की समाप्ति पर उप चुनाव में होने वाले खर्चे को आधार मानकर आपत्ति की जा सकती है कि करदाता को यह अतिरिक्त भार सहन नहीं होगा। अत: सुझाव दिया गया कि दल-बदल वाला विधायक उस उपचुनाव का खर्चा वहन करें। इस प्रावधान के प्रयोग की आवश्यकता शायद ही हों, क्योंकि यदि विधायक को दल-बदल करने पर भारी दण्ड का ज्ञान हो तो वह अपना दल शायद ही छोड़े। यह भी सुझाव दिया गया कि दल-बदल करने वाले विधायक का सामाजिक बहिष्कार किया जाए।

प्रशासन में विधायकों के हस्तक्षेप से सुरक्षा

क्या प्रशासनिक मशीनरी विधायकों के हस्तक्षेप से पूर्णत: अलग रखी जाए? जर्मनी तथा कुछ सीमा तक यू.के.में विधायकों द्वारा शुद्धत: प्रशासनिक मामलों में हस्तक्षेप को बुरी तरह से अनुत्साहित किया जाता है।

भारत में यह तथ्य सभी को ज्ञात है कि हमारे बहुत से विधायक प्रशासनिक मामलों में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करते हैं। ऐसी स्थिति में इन विधायकों को अपने वास्तविक कार्य के लिए न तो समय होता है न रूचि। यदि कोई सज्जन अधिकारी किसी प्रभावशाली विधायक को नाराज कर देता है तो मामला उच्चतम स्तर तक ले जाया जाता है। संभावना यही है कि या तो अधिकारी को दण्ड देकर स्थानान्तरित कर दिया जाता है या धमकाया जाता है कि समुदाय के लोकप्रिय नेताओं के साथ सहयोग नहीं करता है। कई उदाहरण हैं जहां विधायकों ने जिला अधिकारियों को घर बुलाकर उनको काम नहीं करने के लिए डांटा है। कमजोर एवं नर्म अधिकारी स्थानीय विधायक की ऊंगली के इशारे पर नाचते हैं

नौकरशाही को समाज के दबावों से अलग रखना

भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, घूंस पर निरोधात्मक नियंत्रण में नौकरशाही को समाज के दबावों से अलग रखना सहायक होता है। इससे कर्मचारी उन झंझटों में उलझने से बच जाते हैं जो उन्हें समूह विशेष का पक्षधर बनाकर उनकी निष्पक्षता एवं स्वतंत्रता धूमिल कर देते हैं। अमेरिका में जहां समूह या परिवार का प्रभाव न्यूनतम है, वहां भी नौकरशाही को अलग रखना आवश्यक पाया गया है। इसी कारण 19वीं सदी के चतुर्थांश में उस देश में ऐसी नियामक संस्थाएं सामने आई जिन्होंने नौकरशाही को राजनीतिक प्रभाव तथा समाज के दबावों से दूर रखा। जिस अधिकारी को जितनी अधिक स्व-विचार की शक्ति हो, उसे समाज से उतना ही अलग रखने की आवश्यकता होती है। संभव है कि यह एकान्तता अधिकारियों में घमण्ड उत्पन्न कर दें। अत: दूरी तथा जनता के प्रति संवेदना के मध्य दूरी बनाए रखने की आवश्यकता है। भारतीय

नौकरशाही सामाजिक एवं राजनैतिक प्रभावों के भंवर में फंसी है, अत: कुछ हद तक एकान्तता नितान्त आवश्यक है।

विशेषाधिकारों की समाप्ति

मंत्रीगण एवं सरकारी अधिकारियों को कुछ विशेषाधिकार तथा परिलाभ हैं जो नागरिकों को नहीं दिये जाते तथा समान्यत: जिन्हें राज्य की सामान्य सेवा शर्तों में नहीं होना चाहिए। सरकारी नौकर कई क्षेत्रों में इन विशेषाधिकारों का उपयोग करते हैं।

अत: विशेषाधिकार और सम्पत्ति की इस भूख को रोकने के लिए कोई बड़ा कदम उठाना होगा। जितना सम्पत्ति का मोह बढ़ेगा, मंत्री तथा सरकारी नौकर उतने ही बड़े व्यापारियों से अनुदानित होंगे और जनता की आर्थिक उन्नति में उनकी रूचि उतनी ही कम होगी। अत: विरोधहीन नैतिक चरित्र वाले व्यक्ति के नेतृत्व में संगठित आंदोलन की आवश्यकता है जो अधिकारी, मंत्रियों, विधायकों तथा सरकारी नौकरों के ऐश्वर्यशाली जीवन स्तर तथा सत्ता के दुरूपयोग के प्रश्न पर कार्यवाही कर सकें।

तुरंत तथा निष्पक्ष जांच

भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए आवश्यक है कि मामलों की तुरंत और निष्पक्ष जांच की जाए। वर्तमान में भ्रष्टाचार निरोधन संस्थाएं प्रभावहीन हैं, क्योंकि कार्यविधि की कठिनाइयों के कारण वे चालान नहीं कर पाती। जहां प्रथम दृष्टि में मामला बनता है, वहां भी मामला प्रशासन को प्रेषित कर दिया जाता है। जांच का आधारभूत सिद्धांत यह है कि इसे शीघ्रताशीघ्र प्रारम्भ कर पूरा करना चाहिए। जांच भ्रष्टाचार समस्या की जड़ है। इसे तात्कालिक निष्पक्ष एवं प्रभावी होना चाहिए। इसलिए साक्ष्य अधिनियम (एवीडेन्स एक्ट) के भारी नियंत्रण से अलग हटकर इसकी सरल विधि बनाई गई है। इसके विरूद्ध आपत्तियों में सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि प्रारम्भिक जांच के आधार पर निर्णय लेने में असाधारण देरी होती है। इसके अलावा जांच आयोग की नियुक्ति में भी देरी की जाती है।

हम जांच कार्यवाही शीघ्रताशीघ्र पूर्ण करने के लिए इस कारण जोर देते हैं कि ज्यादा देरी से सबूत बिगाड़ने के साथ ही अभियुक्त के लिए भी यह अनुचित है। एक ओर जांच महीनों-वर्षों में घिसटती रहती है, दूसरी ओर अभियुक्त तथा उसके परिवार को जीवन निर्वाह भत्ते पर गुजारा करना पड़ता है। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि जांच कार्यवाही जल्द से जल्द पूरी की जानी चाहिए।

जो बात लोक सेवकों के लिए कही गई है, वहीं मंत्रियों तथा विधायकों पर भी लागू होती है। केन्द्रीय मंत्रियों के विषय में भ्रष्टाचार या भाई-भतीजावाद के सभी मामले प्रधानमंत्री के पास तथा राज्यों के मामले मुख्यमंत्री के पास भेजे जाते हैं। यह प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, जैसी

भी स्थिति हो, का निर्णय होता है कि जांच आयोग की नियुक्ति की जाए या नहीं। भारत में यही अनुभव रहा है कि शासन बहुधा ऐसी जांच के प्रति उदासीन रहता है। कई बार प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्रियों ने भ्रष्ट मंत्री के विरूद्ध प्रथम दृष्टया मामला साबित नहीं होने की क्लीन चिट दी है।

नियंत्रणों को कम करना

अधिक संख्या में नियंत्रण लागू करने में भ्रष्टाचार होना एक समान्य स्वीकृत बात हो गई है। महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता के उपरांत द्वितीय विश्व युद्ध के समय लागू नियंत्रणों का विरोध किया था जो सरकार द्वारा युद्ध के बाद भी जारी थे। उनके विरोध के कारण जन चेतना जागृत हुई तथा बिना दुष्परिणामों के नियंत्रण समाप्त कर दिये गये। सरकारी वक्ताओं ने सदैव इस कथन को अस्वीकार किया है कि नियंत्रण ही भ्रष्टाचार का मुख्य कारण थे। उनका तर्क था कि योजनाबद्ध अर्थतंत्र में ये आवश्यक है। यदि यही सत्य है तो मुकदमा चलाने से यह बुराई नहीं मिट सकती, जब तक कि नियंत्रणों को कम हानिकारक नहीं बना दिया जाता। प्रस्पर्दात्मक कार्य दशाओं के लिए नियंत्रण में कांट-छांट, नियमों को परिणामोन्मुखी बनाने हेतु सरलीकरण, शक्ति का विवेकपूर्ण विकेन्द्रीकरण जिसमें देरी कम हो तथा अन्य ऐसे उपायों से प्रशासन को कुछ सीमा तक साफ-सुथरा बनाया जा सकता है।

मुद्रा स्फीति विरोधी उपाय

मुद्रा स्फीति से आय के बंटवारे में विषमत बढ़ती है। इससे धन की मांग बढ़ती है तथा पूंजी, जमाखोरी और कालाबाजारी जैसे अनावश्यक उद्देश्यों में लग जाती है जो भ्रष्टाचार को जन्म देती है। मुद्रा स्फीति की समस्या के हल हेतु लगाये नियंत्रण एवं नियम टूट जाते हैं। व्यापारी समुदाय जानबूझ कर व्यापारिक नैतिकता का उल्लंघन करता है।

सरकारी कर्मचारियों का कार्य मूल्यांकन

हमें आवश्यकता है कि वैज्ञानिक ढ़ंग से कार्य करने में लगने वाले समय की जांच तथा समय पर कार्य सम्पादन, दैनन्दिनी तथा समय-पुस्तिकाओं की भ्रमणशील जांच दलों द्वारा आकस्मिक जांच की जिससे की फाईलों का शीघ्र निपटारा हो सकें। यह तभी संभव है जब शक्तिशाली संगठन एवं प्रक्रिया (ओ एण्ड एम) इकाईयां या विशिष्ट जांच दल स्थापित किया जाए। निर्धारित अवधि समाप्त होने पर मामला स्वत: उच्च अधिकारी के पास चले जाना लाभदायक प्रक्रिया सिद्ध हो सकती है। विशिष्ट जांच दल को दोषी सरकारी कर्मचारी के विरूद्ध प्रभावी कदम उठाने की शक्ति दी जानी चाहिए। निकिता खुश्चेव द्वारा 1957 में रूस में भ्रष्टाचार के विरूद्ध उठाये गये कदमों के अध्ययन से हमारे उद्देश्य के लिए सहायक सूत्र मिल

सकते हैं। लाल फीताशाही के जंगल को काटते हुए सरकारी ढ़ंग को सुनियोजित एवं विवेकपूर्ण बनाना नितांत आवश्यक है। यही खुश्चेव का सूत्र था जिसने उनके देश को परिणाम दिया।

अस्थयी पदों को कम करना

बहुत से सरकारी विभागों में, विशेषकर रेलवे में बहुत से अस्थायी पद बनाए जाते हैं। रेलवे में इनकी संख्या हजारों में है। यदि कुछ पद कुछ समय के लिए अस्थायी हो तो गलत नहीं है, लेकिन यदि वे वर्षों तक अस्थायी बने रहें तो भ्रष्टाचार का एक ओर द्वार खुल जाता है। जब किसी काम को बहुत समय तक अस्थायी रखा जाता है तो कर्मचारी के लिए अनिश्चय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और वह बहती गंगा में हाथ धोने का दर्शन अपना लेता है। अत: आवश्यक है कि तीन वर्ष या अधिक समय तक अस्थायी पदों को स्थायी बना दिया जाए। यदि भविष्य में कम पदों की आवश्यकता हों, तो सेवानिवृत्ति, मृत्यु आदि से होने वाली रिक्तियों को उस समय नहीं भरा जाए।

समाज द्वारा भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करना

भ्रष्टाचार एवं रिश्वत का इतिहास हमें एक ही पाठ सिखाता है कि यह वहीं बढ़ता है जहां समाज इस पर कुपित दृष्टि नहीं डालता, अपितु सहन करता है। उस तरह दण्डित नहीं करता जिस तरह समाज अनुमोदन रहित जीवन के ढ़ंग को दण्डित करना जानता है। यहीं कारण है कि भारत में यह बुराई विद्यमान है और फल-फूल रही है। समाज स्पष्ट रूप से रिश्वत लेने और देने वालों पर अस्वीकृति प्रकट नहीं करता।

क्या हम उन कर्मचारियों या मंत्रियों को नहीं देखते, जिन्हें हम सब रिश्वतखोर मानते हैं ? सामाजिक उत्सवों में उनका स्वागत होता है तथा विवाह एवं जनता की सभाओं में उन्हें सम्मानित स्थान दिया जाता है। उन्हें महाविद्यालयों की वार्षिक, सामाजिक उत्सवों, विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोहों, खेल समारोहों आदि में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाता है। क्या ईमानदार तथा ईश्वर से डरने वाले लोग भी अपने बेटों और बेटियों का विवाह इन भ्रष्ट मंत्रियों एवं अधिकारियों के पुत्र-पुत्रियों से नहीं करतें, यदि दहेज तथा जन्म-कुंडली स्वीकार करने योग्य हों?

यदि भ्रष्टाचार को प्रभावशाली ढ़ंग से रोकना या सीमित करना है तो समाज को भ्रष्टाचार के विरूद्ध प्रत्यक्ष रूप से प्रतिक्रिया करनी होगी। समाज जिस तरह बलात्कार, डकैती, सेंधमारी आदि अपराधों को असहनीय मानता है, उसी प्रकार इसे भ्रष्टाचार को भी मानना होगा। रिश्वत लेने और देने वालों को अपराधी मानना होगा। अपना विरोध प्रकट करने के लिए विवाह, जनसभा, जन सत्कार आदि अवसरों पर इनका सामाजिक बहिष्कार करना होगा।

निजी संस्थानों के लिए सतर्कता कक्ष

भारत में राजेन्द्र सच्चर की अध्यक्षता में कंपनी एण्ड मोनोपोलीज एण्ड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रेक्टिसेज एक्ट (एम.आर.टी.पी.) पर उच्चाधिकार समिति ने लगभग आधा दर्जन पक्षों को कॉरपोरेशन के सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्र के अंदर निर्धारित किया। सामाजिक लेखा तथा सामाजिक जांच जो अपने विस्तृत रूप में भ्रष्टाचार नियंत्रण को शामिल किए हुए है, इसका एक पक्ष है।

वास्तविकता यह है कि निजी संस्थानों में भ्रष्ट कर्मचारियों को दण्ड देने के लिए कोई प्रभावशाली व्यवस्था नहीं है। निजी संस्थानों में व्याप्त भ्रष्टाचार से सार्वजनिक संस्थानों में वातावरण बिगड़ता है तथा एक-दूसरे पर यह प्रभाव पड़ता है। अत: आवश्यकता इस बात की है कि व्यापारियों का एक ऐसा सतर्कता कक्ष बनाया जाए जो व्यापारिक संस्थानों में भ्रष्टाचार से लड़ सकें। इस कार्य के लिए आर्थिक सहायता भारतीय व्यापार एवं उद्योग संघ द्वारा दी जा सकती है। सतर्कता कक्ष को शिकायतों की जांच करने तथा मुकदमा चलाने का अधिकार होना चाहिए। अनुभवी सरकारी अधिकारी तथा विख्यात कंपनी के प्रतिनिधियों को कक्ष में लगाकर निजी क्षेत्र में भ्रष्टाचार के मामलों को निपटाना चाहिए। व्यापार व्यवस्थापकों तथा अधिकारियों के लिए उनके स्तर के व्यक्तियों की जांच ही प्रभावशाली रोक बन जाएगी। कक्ष की सिफारिश पर दण्डित कर्मचारियों को व्यापारिक संगठनों में पदाधिकारियों का चुनाव लड़ने पर रोक लगा देनी चाहिए। उन्हें दूसरे व्यापारिक घरानों में पुनर्नियोजित के लिए अयोग्य घोषित कर देना चाहिए। आत्मानुशासन के इस प्रयोग को समुचित सुरक्षा के साथ अपनाया जाए तथा प्राप्त अनुभव के आधार पर आगे बढ़ाया जाए।

विभिन्न दण्ड

आर.वी. पंडित के अनुसार, ''हमारी समानान्तर काली अर्थव्यवस्था में लखपतियों की संख्या बहुत अधिक है। वे बिना कर के कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ते हैं। मेरी गणना के अनुसार यदि पिछले चुनाव में 5 लाख रुपए देने वाले धनपतियों को पास के खंभे से लटकाया जाए तो अलग चुनाव के लिए 10 लाख देने वाले दुगुने धनपति मिल जाएंगे।'' हमारे देश में हर चीज विकसित होती है तथा गुणात्मक रूप से बढ़ती है। शासक दल के ऊपर भ्रष्टाचार तथा काले धन के विरूद्ध कार्यवाही न करने के लिए यह बहुत बड़ा अभियोग है। यह कहना यथेष्ट होगा कि भ्रष्टाचार सहन करना, भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देना है। यदि सत्ता चाहे तो अभी भी सब नष्ट नहीं हुआ है। भारत की न्यायपालिका अभी भी भ्रष्टाचार से ऊँची मानी जाती है। यही बचाव का तरीका है। भ्रष्टाचार के मुकदमों को अधिक से अधिक प्रकाशित किया जाए। जितना ऊँचा जनसेवक हो, उतना ही कड़ा दण्ड हो। एक बार मंत्रियों, विधायकों तथा

अधिकारियों को यह अनुभव हो जाए कि भ्रष्ट होना लाभदायक नहीं है, तो वे व्यापारिक जगत द्वारा कठपुतली की तरह नचाने को स्वयं ही सहन नहीं करेंगे।

निरोधात्मक दण्ड द्वारा भ्रष्टाचार सीमित करने के हमारे प्रयतनों के लिए यह आवश्यक है कि भ्रष्टाचार की सूचना देने वाले को समुचित सुरक्षा दी जाए। भ्रष्टाचार के बारे में सूचना अक्सर मिलती है:

अ- सामाजिक कार्यकर्ता तथा संगठनकर्ताओं से,

ब- सेवानिवृत सरकारी कर्मचारियों से,

स- वकीलों के दफ्तरों, बैंकों, ठेकेदारों के कार्यालयों में प्रार्थना-पत्र लिखने वालों या लिपिकों से,

द- दुकानदारों, व्यापारियों आदि के सम्पर्क वालों से तथा

य- अखबार से।

जो सूचना देने वाले अपना नाम नहीं बताना चाहते, उन्हें गोपनीयता का आश्वासन देना चाहिए। जहां उनको बताने के लिए पीड़ित किया जाए, ऐसा करने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। यदि सूचना देने वाला सरकारी नौकर हो, तो विभागाध्यक्ष उसके लिए आवश्यक सुरक्षा की व्यवस्था करें। सूचना देने वाले, शिकायतकर्ता तथा गवाहों को भ्रष्टाचार के मामले में मुकदमें या उत्पीड़न से छूट मिलनी चाहिए। उन्हें समुचित आदर एवं सम्मान मिलना चाहिए।

भारत में भ्रष्टाचार निरोधक उपाय: व्यूह रचना तथा प्रशासनिक तंत्र

भ्रष्टाचार निरोधन हेतु विभिन्न विद्वानों ने भिन्न-भिन्न उपाय सुझाए हैं। इन उपायों को लागू करने के लिए राजनैतिक तथा सामाजिक स्तर पर एक प्रभावशाली व्यूह रचना अपनाए जाने की आवश्यकता है।

भ्रष्टाचार निरोध के उपाय को सैद्ध ांतिक रूप से हम दो तरीकों से देख सकते हैं। एक तो वे उपाय जो कि दीर्घकालीन हैं। इन उपायों का संबंध सम्पूर्ण समाज के सुधार तथा बदलाव से हैं। जैसे समाज में नैतिक मूल्यों की सुदृढ़ रूप से पुर्नस्थापना, उच्च स्तरीय सामाजिक मानकों का निर्धारण तथा प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उसका पालन, भ्रष्टाचार की किसी भी मात्रा अथावा स्वरूप का तत्काल विरोध, भ्रष्टाचारी का सामाजिक बहिष्कार करने की प्रवृत्ति, धन की बजाय चारित्रिक विशेषताओं को समाज में सम्मान देने की मनोवृत्ति का विकास आदि। यह प्रक्रिया प्रत्येक व्यक्ति के चारित्रिक विकास के माध्यम से सम्पूर्ण समाज में बदलाव की दीर्घकालीन व्यूह रचना हो सकती है।

दूसरे प्रकार में वे सभी उपाय सम्मिलित किये जा सकते हैं जिनका संबंध तात्कालिक लड़ाई लड़ने से हैं। इस व्यूह रचना का संबंध उन सभी नियम, प्रक्रियाओं, प्रशासनिक

क्रियाओं, कानूनों तथा सामाजिक व्यवस्थाओं से हैं जो कि भ्रष्टाचार को जन्म देती हैं, उसका पालन करती हैं तथा उसे परिपक्व अवस्था तक पहुंचाने में सहायक होती हैं। इन सभी कारणों को हटाया जा सकना असंभव नहीं है। परंतु इस हेतु व्यापक रूप से राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा पर्यावरणीय परिवर्तन की आवश्यकता है।

कागजी कार्यवाहियों की तीव्र गति तथा तुरंत निर्णय निर्माण की क्रियाएं, भ्रष्टाचार को रोकने के प्रभावी उपाय हैं। यह एक प्रभावी संगठन तथा प्रक्रिया इकाई अथवा जांच इकाईयों के माध्यम से किया जा सकता है, जिसे पर्याप्त मात्रा में अधिकार सौंपे गये हैं। इस संबंध में आयोगों का गठन किया जा सकता है। इसके साथ-साथ कुछ ऐसे स्वतंत्र प्रशासकीय अपील अधिकरणों की स्थापना की जा सकती है जहां नागरिक, प्रशासक के विरूद्ध शिकायतें दर्ज करा सकें तथा ये अधिकरण उनके आधार पर फैसला दे सकें। भ्रष्टाचार की जांच हेतु विभिन्न निरोधक इकाईयों की उपस्थिति भी मददगार हो सकती है।

भ्रष्टाचार निरोधक उपायों का सम्बन्धित मंत्रालय द्वारा क्रियान्वयन अथवा उसे गृह विभाग के अधीन केन्द्रित कर देना स्वस्थ लक्षण नहीं है। प्रशासन द्वारा स्वयं ही अपनी जांच नहीं की जा सकती। इसके अतिरिक्त जनता के मस्तिष्क में यह बात बैठी हुई है कि विभाग स्वयं अपने उच्च अधिकारियों के खिलाफ जांच का मामला नहीं बनने देंगे। यदि विभागीय जांचों को गुप्त रखा जाता है तो जनता के लिए उनकी कोई उपयोगिता नहीं रह जाती। दूसरी ओर यह देखना भी आवश्यक है कि इन जांच कार्यवाहियों का क्षेत्र मात्र जन शिकायत विशेष तक ही सीमित है अथवा जांच प्रशासनिक तंत्र के व्यापक परिप्रेक्ष्य में की जा रही है। विद्यमान प्रशासनिक तंत्रों से परे यदि एक केन्द्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की जाए तो अधिक सार्थक होगा।

भ्रष्ट होने से बचने के उपाय:

अगर आप निम्न शपथ लें तो भ्रष्ट होने से बच सकते हैं:

1. मैं ईश्वर के दंड पर भरोसा करता हॅूं।
2. मैं अपने देश के प्रति ईमानदार हूँ।
3. मैं कर्म करने में विश्वास रखता हूँ।
4. मैं ईमानदारी के लिए त्याग कर सकता हूँ।
5. मुझे ईमानदार होने में खुशी मिलती है।
6. मुझे लगता है ईमानदार को नींद आती है।
7. मैं छोटे-छोटे लालच के लिए कभी नहीं डिगूगा।

समाज यदि भ्रष्टाचारी का बहिष्कार करना शुरू कर दें और प्रत्येक व्यक्ति 'संतोषी परम सुखी' को जीवन का ध्येय बना लें तो भ्रष्ट होने से बचा जा सकता है। महात्मा गांधी ने भी

कहा है: ''प्रकृत्ति हमारी हर जरूरत को पूरा कर सकती है, मगर हमारे लालच को नहीं।'' हम आत्म मंथन करें कि व्यक्ति सिवाय रोटी के सोना-चांदी, हीरे-मोती तो खा नहीं सकता और न ही मरने के बाद अपने साथ ले जा सकता है। बस, इतना सोचते ही आत्मबोध होगा कि हम क्यों पाप करें? क्यों दूसरों का हक छीने? यहीं है ईमानदारी की राह।

भ्रष्टाचार उन्मूलन के प्रशासनिक उपायः

1. जाँच संस्थान पूर्णतया स्वतन्त्र हों, उन पर किसी तरह का सरकारी अंकुश नहीं हो।
2. प्रमुख पदों पर आसीन व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की अनुमति लेना भ्रष्टाचार उन्मूलन में बाधक है, इसे रोका जाए।
3. प्रत्येक सरकारी कर्मचारी के नौकरी में प्रवेश के समय ही उसकी एवं उसके रिश्तेदारों (ब्लड रिलेशन) की सम्पत्ति का सम्पूर्ण ब्यौरा लिया जाए।
4. किसी विधायक पर मुकदमा चलाने के लिए राज्यपाल की अनुमति की बाध्यता को हटाया जाए।
5. भ्रष्टाचार के मामले में कानूनी भंवरजाल में न फंसाकर अन्य ढ़ंग से कार्यवाही की जाए।
6. भ्रष्टाचार निवारण के लिए पृथक से जिलेवार भ्रष्टाचार निरोधक न्यायालय होना चाहिए ताकि कार्यवाही शीघ्रता से सम्पन्न की जा सके।
7. भ्रष्टाचार के केस के निपटारे के लिए निश्चित समय सीमा निर्धारित हो, ताकि निपटारा अतिशीघ्र हो सकें।
8. न्यायालय में केस चलाने की स्थिति में अभियुक्त को निलम्बित कर देना चाहिए, क्योंकि पद पर बनाए रखना न्याय हित में नहीं होता है।
9. जब केस कार्यवाही के अधीन होता है, उस स्थिति में अभियुक्त चुनाव आदि लड़ सकता है, जो कि न्याय हित में नहीं है।
10. भ्रष्टाचार निरोधन के लिए सार्वजनिक संस्थाओं का गठन किया जाए एवं उनको सरकारी अधिकार प्रदान किए जाए।
11. प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को नियुक्ति के समय ऐसी शपथ दिलवाई जाए कि यदि वह सेवा में रहते हुए भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है, तो नौकरी से वंचित किया जा सकता है।
12. भ्रष्टाचार निरोधन विभाग की कोई वेबसाइट नहीं है, जिस कारण शिकायत ऑनलाइन कर पाना संभव नहीं है। ऐसे में आम नागरिक विभाग में उपस्थित होने से कतराता है।
13. प्रत्येक गांव, कस्बे और शहर में एक ऐसा साइबर कियोस्क हो जो कि आम व्यक्ति को

भ्रष्टाचार निवारण में टेक्नोलॉजी का योगदान

(1) सम्बन्धित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हों।

(2) जमाबंदी की नकल मिलें, जो कि राज्य सरकार ने प्रारम्भ की है।

(3) जमीन का नामान्तरण ऑनलाइन होना चाहिए ताकि आमजन आसानी से अपने स्थान पर ही नामान्तरण करा सकें।

(4) न्यायालयों से ली जाने वाली नकल साइबर कियोस्क के माध्यम से दी जानी चाहिए, ताकि रिश्वत के लेन-देन को रोका जा सकें।

(5) टेण्डर ऑनलाइन हो (जिसे राजस्थान में लागू किया जा रहा है)।

(6) दस्तावेजों की प्रारूप पुस्तक से आमजन आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन बिना किसी को कोई कमीशन दिए करवा सकता है।

(7) राज्य सरकार द्वारा घोषित सारथी योजना।

(8) लोकायुक्त को शक्ति सम्पन्न तथा वित्तीय एवं अन्य सभी संसाधनों से युक्त बनाया जाए। ताकि वह एक स्वतन्त्र इकाई के रूप में बिना किसी दखलन्दाजी के कार्य कर सकें।

(9) लोकायुक्त द्वारा राज्य सरकार को समय-समय पर दिए गए सुझावों एवं सिफारिशों पर शीघ्र कार्यवाही की जाए।

(10) लोकायुक्त सुझावों पर बनाई गई समिति की रिपोर्ट गत पांच वर्षों से लम्बित है, उसे शीघ्र प्राप्त कर कार्यवाही की जाए।

(11) सरकारी अनावश्यक खर्चों की सीमित कर उनमें कटौती की जाए। इसके लिए सरकारी कार्यालयों में निष्क्रिय एवं अनावश्यक पदों को समाप्त करने के साथ ही कार्य के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित की जाए तथा जो योजनाएं अनावश्यक एवं अलाभप्रद हैं, उन्हें बंद की जाए।

(12) सरकारी गोपनीयता कानून में इस तरह संशोधन किया जाए ताकि रिश्वत लेने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नाम खुलकर उजागर हो तथा उनसे सम्बन्धित मामलों को लोकपाल या लोकायुक्त के समक्ष भेजा जा सकें।

(13) प्रत्येक विभाग सतर्कता समितियों का गठन कर उन्हें क्रियाशील बनाया जाए।

(14) भ्रष्टाचार के लम्बित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए।

(15) जन प्रतिनिधियों एवं सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए आचार संहिता बनाई जाए।

(16) जन प्रतिनिधियों एवं सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए यह सुनिश्चित किया जाए कि उनके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले चल-अचल सम्पत्तियों के विवरण पूर्ण एवं सही हों।

(17) उच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति से पूर्व यह देख लिया जाए कि ईमानदार व्यक्ति ही ऐसे पदों पर रखे जाएं।

(18) समाचार पत्रों में छपी भ्रष्टाचार की शिकायतों की पूरी जांच की जाए। गैर-जिम्मेदार और झूठी शिकायत छापने वाले समाचार पत्रों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाए।

(19) सूचना के अधिकार को प्रशासन एवं न्यायालय में हर स्तर पर पारदर्शिता को कठोरता से लागू किया जाए।

(20) आम नागरिकों एवं गैर-सरकारी संगठनों आदि से इस बारे में सलाह ले सकते हैं कि कार्य के निष्पादन में उच्चतम पारदर्शिता तथा गति लाकर प्रक्रिया के सरलीकरण अथवा सुधार द्वारा भ्रष्टाचार किस प्रकार दूर किया जा सकता है।

(21) वर्ष 2006 में घोषित केन्द्रीय बजट में ई-प्रशासन की व्यवस्था एक सुधारात्मक कदम है।

(22) समस्त सरकारी पत्रावलियों में बार कोडिंग की व्यवस्था की जाए, ताकि रिकॉर्ड ढूंढ़ने एवं देने में किसी प्रकार का समय व्यर्थ न जा सके तथा जाली दस्तावेजों के निर्माण की कोई गुंजाइश ही न रहें।

भ्रष्टाचार उन्मूलन के अन्य प्रयास

भ्रष्टाचार निवारण हेतु निम्न उपाय अपनाए जाने चाहिए:

1. व्यवसायिक वर्ग में सुरक्षा की भावना तथा सरकारी नियुक्तियों में स्थिरता उत्पन्न की जाए।
2. राजनीतिक कार्यकर्ताओं, अधिकारियों तथा व्यापारियों में ईमानदारी की भावना पैदा की जाए।
3. लोगों में नैतिक गुणों, चरित्र एवं व्यवहारिक आदर्शों को उत्पन्न किया जाए।
4. कठोर कानूनी व्यवस्था उत्पन्न की जाए तथा भ्रष्टाचार निवारण हेतु भ्रष्टाचार निवारण विभाग की स्थापना की जाए। साथ ही केन्द्रीय इन्टेलीजेंस ब्यूरो द्वारा भ्रष्ट अधिकारियों की जांच करने की व्यवस्था हो।
5. बेकारी समाप्त की जाए।
6. निर्धनता दूर की जाए।
7. आयकर का मूल्यांकन सार्वजनिक रूप से हो।
8. अधिकारियों में स्वविवेकी अधिकारों को कम किया जाए।
9. मंत्रियों एवं विधायकों के विरूद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत सुनने के लिए आयोग का गठन किया जाए।
10. जन साधारण में जागृति उत्पन्न की जाए।

11. सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन कर धन के स्थान पर व्यक्ति के गुणों को महत्व दिया जाए।
12. भ्रष्ट लोगों की सार्वजनिक रूप से निंदा की जाए।
13. शिकायत करने वालों को सुरक्षा प्रदान की जाए।
14. राजनीतिक दलों को चंदा देने पर नियंत्रण लगाया जाए।

भारत में भ्रष्टाचार निवारण के लिए समय-समय पर कई प्रयास किए गए। सन् 1947 में भ्रष्टाचार निवारण कानून पास किया गया। भ्रष्टाचार अधिनियम की क्रियान्विति के संबंध में आवश्यक सुझाव देने के लिए 1949 में टेकचन्द समिति की स्थापना की गई। 1953 में आचार्य कृपलानी की अध्यक्षता में रेलवे भ्रष्टाचार जांच कमेटी निर्मित की गई। गृह मंत्रालय ने सन् 1955 में प्रशासन सतर्कता विभाग की स्थापना की। जून, 1962 में तत्कालीन गृह मंत्री ने संथानम कमेटी की स्थापना की, जिसने 1964 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

1964 में तत्कालीन गृह मंत्री गुलजारी लाल नन्दा ने भी भ्रष्टाचार निवारण के लिए संथानम कमेटी की सिफारिशों को लागू करने एवं अन्य कड़े कदम उठाने की घोषणा की। *संथानम कमेटी ने भ्रष्टाचार निवारण हेतु निम्नांकित सुझाव दिएः*

1. सरकारी कर्मचारियों के लिए सर्वत्र एक जैसी आचार संहिता बनाई जाए।
2. संविधान की उन धाराओं को बदला जाए जो अनुशासन की कार्यवाही में बाधक हैं।
3. भ्रष्टाचार को रोकने के लिए योजनाबद्ध रूप से सामाजिक, आर्थिक, कानूनी एवं प्रशासनिक उपाय अपनाए जाए।
4. भ्रष्टाचार से सम्बन्धित सभी नियमों में उचित संशोधन किया जाए।
5. लाईसेंस और परमिट की स्वीकृति किसी व्यापारिक संस्था के सदस्य होने पर ही दी जाए एवं दुरूपयोग करने वालों पर कार्यवाही की जाए।
6. लालफीताशाही को समाप्त किया जाए।
7. नागरिकों को इस बात की शिक्षा दी जाए कि किन अधिकारियों की शिकायतें किसके पास करनी चाहिए।
8. सरकारी कर्मचारियों के निवास, चिकित्सा एवं बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की जाए।
9. ईमानदार व्यक्तियों को ही उच्च पद प्रदान किए जाए।
10. जो समाचार गुप्त न हो, वे जनता में शीघ्र प्रसारित किए जाए।
11. भ्रष्ट अधिकारियों के कारनामों का व्यापक प्रसार किया जाए एवं उन्हें कठोर दण्ड दिया जाए।

12. गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा उचित रूप से काम करने पर ही उन्हें राज्य द्वारा सहायता दी जाए।
13. उपयुक्त सामाजिक वातावरण का निर्माण किया जाए।
14. मंत्रियों एवं विधायकों के लिए आचार संहिता बनाई जाए।
15. समाचार पत्रों में छपी भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच की जाए एवं झूठी शिकायत होने पर समाचार पत्र के विरूद्ध कार्यवाही की जाए।

भ्रष्टाचार रोकने के लिए गुन्नार मिर्डल ने निम्नांकित सुझाव दिएं:

1. लाईसेंस तथा परमिट संबंधी अधिकार पर इस प्रकार से नियंत्रण हो कि भ्रष्टाचार न पनपें।
2. कम वेतन पाने वालों के वेतन, सामाजिक स्तर व प्रतिष्ठा में वृद्धि की जाए।
3. भ्रष्टाचार निरोध के लिए सतर्कता मूलक कार्यवाही बढ़ाई जाए।
4. भ्रष्टाचार के अपराधियों को दण्ड देने हेतु सुगम कानून बनाए जाए।
5. घूस देने वालों के विरूद्ध भी कड़ी कार्यवाही की जाए।
6. आयकर एवं आय-व्यय के विवरण गुप्त नहीं रहे।
7. मंत्री एवं उच्च अधिकारियों में ईमानदारी हों।
8. व्यापारियों द्वारा दिए जाने वाले राजनीतिक चंदों पर रोक लगाई जाए।
9. जो लोग शिकायतें करते हैं, उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए।
10. भ्रष्टाचार संबंधी झूठी खबरे छापने वाले समार पत्रों के विरूद्ध कार्यवाही की जाए।

सन् 1964 में भ्रष्टाचार निवारण समिति ने अपनी रिपोर्ट में भ्रष्टाचार निवारण के लिए कई सुझाव दिएं, जिनमें प्रमुख हैं:

1. सतर्कता विभाग की स्थापना की जाए।
2. मंत्रियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतों की सुनवाई राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक सदस्य समिति द्वारा की जाए। यह समिति आवश्यकता होने पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो की सहायता भी ले सकती है।
3. विधानसभा व लोकसभा सदस्यों के लिए आचार संहिता बनाई जाए।
4. न्यायपालिका के क्षेत्र में भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पथ-प्रदर्शन से सभी उच्च न्यायालयों में सतर्कता आयोगों का गठन किया जाए।

सूचना का अधिकार: भ्रष्टाचार पर प्रहार

सूचना का अधिकार बस हथियार के रूप में उभरकर सामने आया है। सूचना का अधिकार एक अहम् मसला होने पर भी देश में व्यापक स्तर पर इस बारे में अभी कोई जन आंदोलन नहीं

चलाया गया था। इस बारे में एक मात्र आंदोलन मजदूर किसान शक्ति संगठन चला रहा था। इस संगठन के अन्तर्गत मैग्सेसे पुरस्कार विजेता अरूणा राय राजस्थान के देवडूंगरी इलाके में अपना आंदोलन चला रही थी, जिसका मूल मंत्र था 'जानकारी ही लोकतंत्र का आधार है।' 1992-93 में सूचना का अधिकार पाने के लिए पहली सभा की गई। अप्रेल, 1996 में ब्यावर में इसी मांग को लेकर 40 दिन का धरना दिया गया, जिसने सारे देश का ध्यान इस तरफ खींचा। राजस्थान सरकार पर दबाव बढ़ता गया और वर्ष 2000 में राजस्थान में सूचना का अधिकार कानून बना। इसके बाद गोवा और तमिलनाडू में भी सूचना का अधिकार कानून बनाया गया और देखते-देखते देश के नौ राज्यों में सूचना का अधिकार कानून बन गया। ये राज्य हैं- दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडू, राजस्थान, कर्नाटक, जम्मू-कश्मीर, असम, गोवा तथा मध्य प्रदेश। देश के नौ राज्यों में सूचना का अधिकार अपने राज्य के लोगों को दिया गया था, परंतु उनमें एकरूपता नहीं थी और वे सूचना हासिल करने वालों के लिए बेहद खर्चीली व्यवस्था साबित हो रहा था। ऐसे में एक नये सर्वव्यापी 'सूचना का अधिकार' कानून की आवश्यकता महसूस की गई। इसके परिणामस्वरूप सूचना के अधिकार का विधेयक संसद ने पास किया। राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिलने के बाद यह 12 अक्टूबर, 2005 से सारे देश में लागू हो गया।

उद्देश्य

यह ऐतिहासिक कानून सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह बनाता है। सूचना का अधिकार कानून की प्रस्तावना में इसका मूल उद्देश्य बताया गया है। इस कानून का मूल उद्देश्य भ्रष्टाचार रोकना तथा जवाबदेही को बढ़ावा देना है। सूचना का अधिकार कानून के लागू होने पर प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने आशा व्यक्त की थी कि विकास का फायदा सभी वर्गों के लोगों तक पहुंचेगा। जहां तक हो सके, भ्रष्टाचार का अंत होगा और यह कानून आम लोगों को शासन में भागीदारी दिलाएगा। भ्रष्टाचार को देशद्रोह के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। देशद्रोह के विषय में सिसरो ने कहा था कि कोई देश अपने मूर्खों के बावजूद बना रह सकता है, यहां तक कि महत्वाकांक्षियों के बावजूद भी। लेकिन वह भीतर से देशद्रोह को नहीं झेल सकता। दरवाजे पर खड़ा दुश्मन कम खतरनाक है, क्योंकि उसे पहचाना जा सकता है। लेकिन गद्दार तो दरवाजे के भीतर ही लोगों के बीच मौजूद रहता है।

कानून से बाहर

कुछ लोग सूचना के अधिकार का गलत फायदा भी उठा सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए सूचना के अधिकार कानून की धारा 24 के अनुच्छेद 1 में राष्ट्रीय सुरक्षा से सीधे जुड़े विभागों जैसे खुफिया विभाग, वैज्ञानिक शोध विभाग, परमाणु एवं उपग्रह विभाग तथा ऐसे

विभागों की सूचनाओं को जिनसे देश का नुकसान हो सकता है, इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। इसके अलावा आई.बी., रॉ, एनफॉर्समेन्ट डायरेक्टोरेट, असम राइफल्स, सी.आई.एस.एफ., और एन.एस.जी. जैसी 18 खुफिया या सुरक्षा एजेंसियों को छूट दी गई है। इस कानून की धारा 24 के अनुच्छेद 2 में सरकार को गजट घोषणा के जरिये इस सूची में फेरबदल का अधिकार दिया गया है।

प्रावधान

वर्ष 2002 में सूचना के अधिकार का एक विधेयक हुआ, परंतु अधिसूचित नहीं हो पाने के कारण कानून नहीं बन सका। नए सूचना के अधिकार में सूचना पाने का अधिकार हर नागरिक को दिया गया है, जबकि 2002 में आए विधेयक में सिर्फ सूचना लेने की स्वतन्त्रता थी। मांगी गई सूचना अधिकारी देते हैं या नहीं, यह उनके ऊपर था। परंतु इस कानून में यदि कोई अधिकारी सूचना देने में आनाकानी करता है तो उस पर 25 हजार रुपए जुर्माना और उसकी चरित्र पंजिका में प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज हो जाएगी।

इस कानून के अन्तर्गत आम व्यक्ति भी किसी भी मंत्री या अफसर की फाइलें, रिकॉर्ड, टिप्पणी, दस्तावेज, आदेश, स्मरण-पत्र, विश्लेषण, अनुबंध, लॉग बुक आदि को देख सकेगा और उनकी प्रमाणित प्रतिलिपि भी प्राप्त कर सकेगा। उसे केवल फोटोकॉपी आदि का खर्चा देना होगा। जो व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे है, उन्हें सूचना पाने के लिए न्यूनतम खर्च भी नहीं देना होगा। यह व्यवस्था केन्द्र, राज्य, जिला और पंचायत तक की समस्त सरकारी संस्थाओं पर लागू होगी। उन संस्थाओं को भी इसके दायरे में आना होगा जो सरकारी अनुदानों से चलती हैं। जो अधिकारी सूचना नहीं देगा या गलत सूचना देगा उस पर जुर्माना होगा। विधेयक में पहले सजा का प्रावधान था, अब उसे हटा दिया गया है। यदि जीवन-मृत्यु या व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला हो तो सूचना 48 घंटे में देनी होगी। मांगी गई सूचनाएं ठीक तरह से और शीघ्र दी जाए, यह देखने के लिए केन्द्र और राज्यों में सूचना आयोग बनाए जाएंगे। इस कानून का सबसे अधिक फायदा पत्रकारों को मिलेगा जो सूचना पाने के लिए दर-दर भटकते रहते थे। अब उन्हें अधिकारिक रूप से सूचना लेने का अधिकार प्राप्त हो गया है।

सुझाव

सूचना का अधिकार कानून में और सुधार किया जाए। इसमें यह संशोधन किया जाए कि एक तयशुदा समय के बाद सभी सरकारी फाइलें जनता के लिए खोल दी जाए। सरकारी सूचना को आम जनता को पहुंचाने के लिए यह भी आवश्यक हो गया है कि सारे सरकारी दफ्तरों का कम्प्यूटरीकरण जितना जल्दी हो सकें किया जाए। इससे आसानी से सूचनाएं मुहैया कराई जा सकेंगी।

सूचना नहीं देने, देरी करने या उसे नष्ट करने की एवज में उचित दंड की व्यवस्था नहीं की गई है। देरी करने पर प्रति दिन 250 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 25,000 रुपए की सजा रखी गई है। यह मामूली दंड है, इससे सम्बन्धित प्रावधान में अभी भी संशोधन की गुंजाइश है।

जनता को किस प्रकार सूचना दी जाए, इस बारे में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को किसी प्रकार का दिशा-निर्देश या प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। सूचना के अधिकार से कैसे लाभ उठाया जाए, इस संबंध में नागरिकों को कोई जानकारी नहीं दी गई है। इस कारण केन्द्र ने राज्यों को तत्काल शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू करने का निर्देश दिया है। सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के आदेश दिए गए है, ताकि जनता को समय पर सही सूचना दी जा सकें। सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम, पता आदि प्रकाशित करना राज्य सरकारों के लिए अनिवार्य बनाया गया है।

सूचना के अधिकार के तहत सूचना प्राप्त करने का आवेदन पत्र:

प्रारूप 'क'

धारा 4(1)

अन्तर्गत राजस्थान सूचना का अधिकार नियम, 2005

सूचना चाहने के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रेषित

कार्यालय का भारसाधक

कार्यालय ....

....

1. आवेदक का पूरा नाम
2. पता
3. सूचना की विशिष्टियां:
   क. उस विभाग/कार्यालय का नाम, जिससे सूचना सम्बन्धित है
   ख. सूचना की प्रकृति
   ग. सूचना के पूर्ण ब्यौरे
4. क्या फीस के संदाय का सबूत संलग्न कर दिया गया है?
   हाँ/नहीं

मैं यह और कथन करता हूँ कि चाही गई सूचना अधिनियम की धारा 5 में अन्तर्विष्ट निर्बन्धन के अन्तर्गत नहीं आती है।

स्थान:
दिनांक:
समय:

आवेदक के हस्ताक्षर

कैसे हो आमजन सशक्त?

नीतिशास्त्र के अनुसार किसी भी समाज में 10 प्रतिशत लोग अपनी प्रकृति के कारण नैतिक होते हैं और 10 प्रतिशत लोग अपनी प्रवृत्ति के कारण भ्रष्ट। लेकिन 80 प्रतिशत लोग अपने व्यवहार को तंत्र के मुताबिक बदल लेते हैं। इसका एक सीधा सा उदाहरण है कि एक भारतीय यहां की सड़कों पर बिन पलक झपकाए सड़क पर कचरा डाल देता है। लेकिन वहीं भारतीय जब सिंगापुर जाता है तो उस पर पैनी नजर रखी जाती है और वह सुधरा हुआ दिखाई देता है। हमारे भारत में अच्छे व्यवहार की पूरी धारणा धर्म द्वारा निर्मित है। गीता के अध्याय तीन में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि *''स्वधर्म निधानमयश्रेया पराधर्मा भयापहा''* यानि अपने कर्तव्य निभाना, व्यक्ति का सबसे जरूरी काम है, यदि वह ऐसा नहीं कर पाता है तो मृत्यु इससे बेहतर विकल्प है। इन मूल्यों को मन में बैठाने का काम शिक्षा तंत्र के जरिये किया जा सकता है।

राजस्थान सरकार के भ्रष्टाचार निवारण में सार्थक प्रयास:

सारथी योजना

- सरल एवं पारदर्शी पंजीयन प्रक्रिया
- तत्काल दस्तावेज प्रजीबद्ध करके लौटाना संभव
- आधुनिक तकनीक युक्त पंजीयन व्यवस्था
- राजस्व करापवंचन पर प्रभावी अंकुश

कार्यालय महानिरीक्षक
पंजीयन एवं मुद्रांक
कर भवन, अजमेर (राज.)

सारथी: एक परिचय

- दस्तावेजों के पंजीयन की प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बनाने तथा पंजीयन में लगने वाले अनावश्यक विलम्ब को समाप्त कर जन साधारण को राहत पहुंचाने वाली योजना।

● इस योजना शमें दस्तावेजों का पंजीकरन कम्प्यूटर के माध्यम से सम्पादित करने तथा पंजीयन पंजीयन रिकॉर्ड स्केन कर दीर्घकाल तक सुरक्षित रखने की व्यवस्था है।

सारथी योजना की उपादयेता

(1) जन साधारण के लिए

1. दस्तावेज तत्काल पंजीयन करवाने की सुविधा,
2. पंजीयन रिकॉर्ड के निरीक्षण की सुविधा,
3. प्रमाणित प्रति प्राप्त करना अधिक सरल,
4. मौका निरीक्षण से छुटकारा,
5. देय स्टाम्प शुल्क व पंजीयन शुल्क की पूर्ण जानकारी की सुविधा,
6. पंजीयन रिकॉर्ड को दीर्घकाल तक सुरक्षित रखने की सुविधा

(2) सरकार/विभाग के लिए

1. कार्यभार के आधार पर स्टाफ बढ़ाने की आवश्यकता समाप्त,
2. पंजीयन रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने के दायित्व की पूर्ति,
3. राजस्व हानि/करापवंचन पर अंकुश लगाने से आय में वृद्धि,
4. प्रक्रिया को सरल तथा पारदर्शी बनाने के दायित्व की पूर्ति,
5. अनुचित दबाव व साधनों के प्रयोग पर अंकुश से जनता में स्वच्छ छवि बनाने में सहायक ,
6. राजस्थान को प्रगतिशील राज्यों की श्रेणी में लाने का श्रेय।

(3) पंजीयन अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए

1. कई प्रकार की पुस्तकों के समय पर संधारण से मुक्ति,
2. स्टाम्प शुल्क व पंजीयन शुल्क की गणना व फलावट की सुविधा,
3. कम्प्यूटरीकृत सूचना की उपलब्धता के कारण निर्धारित प्रपत्रों में हस्तलिपित सूचनाएं तैयार करने से छुटकारा।
4. दस्तावेज पंजीयन के साथ ही कम्प्यूटर द्वारा समस्त प्रकार का रिकॉर्ड तैयार हो जाने से कार्यभार से मुक्ति।
5. मौका निरीक्षण कार्य से छुटकारा।

(4) सारथी योजना के क्रियान्वयन की कार्ययोजना एवं प्रगति

प्रथम चरण 67 पूर्णकालीन उप पंजीयक कार्यालय जून, 03 तक क्रियान्वित

द्वितीय चरण	187 पदेन उप पंजीयक (तहसील) कार्यालय मार्च, 04 तक क्रियान्वयन की योजना
तृतीय चरण	शेष 91 पदेन उप पंजीयक कार्यालय मार्च, 05 तक क्रियान्वयन की योजना
चतुर्थ चरण	ई-गवर्नेन्स प्लान के तहत इंटरनेट के माध्यम से विभाग के सभी पंजीयन कार्यालयों को वृत्त कार्यालयों तथा मुख्यालय से जोड़ना

(5) सारथी योजनान्तर्गत राज्य/लोकहित में उठाये गये कदम

1. पंजीयन कर दस्तावेज लौटाने की समयावधि तय करना (30 प्रकार के दस्तावेज 25 मिनट की अवधि तथा 10 प्रकार के मौका निरीक्षण की अनिवार्यता वाले दस्तावेज 24 घंटे की अवधि में लौटाना)।
2. मौका निरीक्षण हेतु उप पंजीयकों के अतिरिक्त सेवा निवृत अधिकारियों का पैनल तय करना।
3. पंजीयन प्रक्रिया का कम्प्यूटरीकरण।
4. अभिलेख संरक्षण हेतु स्केनिंग व्यवस्था तथा पंजीयन कार्यालयों का आधुनिकीकरण।
5. ज्योग्राफिकल इन्फोरमेशन सिस्टम (जी.आई.एस.)/वैल्यू जोन तैयार होने में संभावित विलम्ब को दृष्टिगत रखते हुए विभाग के समस्त पूर्णकालीन एवं पदेन उप पंजीयक कार्यालयों में विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों को पंजीकृत कर लौटाने की समयावधि निम्नानुसार तय की गई है:

(अ) 25 मिनट की अवधि में लौटाये जाने वाले दस्तावेज (इनमें मौका निरीक्षण आवश्यक नहीं है):

1. गोदनामा
2. सामान्य इकरारनामा
3. अचल सम्पत्ति का विक्रय इकरारनामा (कब्जा हस्तान्तरित नहीं हो)
4. ऋण का इकरारनामा
5. अवार्ड
6. दस्तावेज निरस्तीकरण प्रलेख
7. विक्रय प्रमाण-पत्र
8. दस्तावेज का काउन्टर पार्ट या डुप्लीकेट प्रलेख
9. पूरक दस्तावेज
10. तलाकनामा
11. बीस वर्ष से कम अवधि के लीज-डीड

12. सरकार व स्थायी निकायों एवं संस्थाओं द्वारा आवंटित/विक्रीत अचल सम्पत्ति के लीज-डीड कन्वेन्स डीड
13. साधारण बंधक पत्र
14. भोग बंधक पत्र (सम्पत्ति या कब्जा ऋणदाता को हस्तान्तरित हो)
15. पैतृक कृषि भूमि के विभाजन पत्र
16. भागीदारी प्रलेख
17. भागीदारी विघटन पत्र
18. पॉवर ऑफ अटार्नी
19. बंधक सम्पत्ति का पुन: हस्तान्तरण
20. पैतृक सम्पत्ति में रक्त सम्बन्धियों के मध्य हक त्याग पत्र
21. समर्पण पत्र
22. न्यास भंग (ट्रस्ट डीड)
23. न्यास भंग (ट्रस्ट डिजोलेशन डीड)
24. वसीयत पत्र
25. वसीयत निरस्तीकरण डीड
26. कृषि भूमि पर खनन लीज के लिए सहमति पत्र/अनापत्ति पत्र
27. कृषि भूमि का विनिमय पत्र
28. पावर ऑफ अटार्नी का अधिप्रमाण
29. सरकार के पक्ष में या सरकार द्वारा निष्पादित दस्तावेज (जिनमें मुद्रांक कर का दायित्व सरकार का हो)
30. अन्य दस्तावेज जिन पर मार्केट वैल्यू पर स्टाम्प ड्यूटी देय नहीं है।

(ब) 24 घंटे की अवधि में लौटाये जाने वाले दस्तावेज (जिनमें उप पंजीयक/पैनल निरीक्षकों का मौका निरीक्षण आवश्यक हो):

1. विक्रय पत्र
2. अचल सम्पत्ति पर निर्माण/विकास करने का डवलपर के पक्ष में अनुबंध
3. अचल सम्पत्ति का विनिमय पत्र
4. अचल सम्पत्ति का दान पत्र
5. बीस वर्ष या अधिक, शस्वत या अवधि रहित लीज डीड
6. अचल सम्पत्ति का बंटवारानामा
7. हक त्याग पत्र (पैतृक सम्पत्ति में रक्त सम्बन्धियों के अलावा)
8. समझौता पत्र

CUTS International

9. ट्रांसफर ऑफ लीज बाई वे ऑफ असाइनमेंट
10. अचल सम्पत्ति की बिक्री जिसके तहत स्वामित्व या हित का सृजन/वृद्धि हो।

जी.आई.एस./वैल्यू जोन तैयार होने के उपरांत मौका निरीक्षण व्यवस्था समाप्त होने पर सभी प्रकार के दस्तावेज पंजीयन के बाद तत्काल उसी दिन 25 मिनट की अवधि में लौटाया जाना प्रस्तावित है।

विभाग की अधिकृत वेज पोर्टल: www.rajasthan.gov.in

राज्य सरकार द्वारा भ्रष्टाचार रोकथाम के लिए किए गए महत्वपूर्ण कार्य

1. टेण्डर प्रक्रिया में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने टेण्डर प्रक्रिया में अगले वित्त वर्ष से ई-प्रोक्यूमेंट परियोजना की मदद से टेण्डर जारी करने निलामी सेवा दरों को लेकर अनुबंध आदि का कार्य ऑनलाईन करने जा रही है। राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य होगा जहां ऑन लाईन टेण्डर प्रक्रिया होगी।

2. राज्य सरकार द्वारा पंचायत राज विभाग के 'करिश्मा' यानि कम्प्यूटराईजेशन ऑटोमेशन-रिफाइनमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ मेनेजमेंट की शुरूआत की गई है। जिसके तहत प्रथम चरण मे 1100 ग्राम पंचयातों को कम्प्यूटर प्रोद्योगिकी से जोड़ने का कार्य हाथ में लिया है। अगले 2 साल में सभी 9188 पंचायतों को कम्प्यूटर से जोड़कर विश्व में सबसे बड़े नेटवर्क का इतिहास रचने वाला है। इस परियोजना के माध्यम से पूरा पंचायत राज महकमा वेबसाईट पर उपलब्ध होगा पंचायतराज संस्थाओं में समस्त रिकॉर्ड के लिए विशेष सॉफ्टवेयर होगा, जिला परिषदों, पंचायत समितियों व ग्राम पंचायतों पर कम्प्यूटर प्रिंटर आदि उपलब्ध होंगे तथा इंटरकनेक्टिविटी रहेगी।इसका महत्वपूर्ण हिस्सा विडियो कॉन्फ्रेसिंग होगा जिसके माध्यम से ग्रामीण जनता पंचायत राज के उच्च अधिकारियों तक जुड़ी रहकर अपनी समस्याओं का निराकरण कर सकेगी।

इस योजना से ग्रामीणों को निम्न फायदे होंगे -

1. वेबसाईट पर हर तरीके के फार्म उपलब्ध होंगे।
2. जन्म मृत्यु पंजीकरण एवं प्रमाण पत्र मिलेंगे।
3. कम्प्यूटर के जरिए सूचनाओं का आदान-प्रदान होगा।
4. पंचायत राज संस्थाओं का पूरा लेखा-जोखा होगा।
5.सूचना के अधिकार के तहत सारा ब्यौरा मिल सकेगा।
6. ग्राम सभा की कार्रवाई का विवरण दर्ज होगा।

7. पंचायत कर्मचारियों का सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध रहेगा।

8. अदालती मामले, उनकी सुनवाई, फेसले की जानकारी कम्प्यूटर में उपलब्ध रहेगी।

3. राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित 'इन्फो हाईवे योजना' के तहत पंचायत राज व ग्रामीण विकास, चिकित्सा, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को कमप्यूटरीकृत कर सूचना प्रोद्योगिकी विभाग के माध्यम से कम्प्यूटर लेन से जोड़ा जाएगा । इससे अनेक विभागों से सम्बन्धित काम व जानकारी एक ही लेन से सुलभ हो सकेगी। योजना तहसीलों के कम्प्यूटरीकरण से आगे शुरू होगी, जिसमें उप तहसीलों व उपखण्ड कार्यालयों का कमप्यूटरीकरण होगा। बाद में राजस्व अदालतों के रिकॉर्ड को कम्प्यूटर पर डाला जाएगा, जिससे पक्षकार एक क्लिक के जरिए अपने मुकदमे के स्टेटस का पता लगा सकेंगे।

इस योजना के लाभ

1. जमाबंदी पट्टा नामान्तरण की जानकारी।
2. घर बैठे हो जाएगी एलोपैथी जांच और टेलीमेडिसन से इलाज
3. राजस्व मुकदमों के स्टेटस की तत्काल जानकारी
4.पंचायती राज व ग्रामीण विकास की योजनाएं हो सकेंगी ऑन लाइन
5. सरकारी कार्य को गति मिलेगी।

4.राज्य सरकार पुलिस में फैले भ्रष्टाचार को मिटाने के अन्तर्गत हाल ही में थानों में कैमरे लगाने की योजना प्रारंभ की है। जिससे थाने अपने अधीक्षक कार्यालयों से जुड़ जाएंगे। इसकी सर्वप्रथम शुरूआत झालावाड़ जिले से की है।

5. राजस्थान राजस्व मंडल के द्वारा हाल ही में संचालित योजना के अन्तर्गत निजी क्षेत्र के साईबल कैफे को जमाबंदी देने के लिए अधिकृत करने की घोषणा की गई है, जिससे किसान अपनी जमाबंदी अब पटवारियों के चक्कर न लगाकर इन अधिकृत साइबल कैफे से प्राप्त कर सकेंगे एवं पटवारियों को दी जाने वाली रिश्वत से निजात मिलेगी।

6. आयकर विभाग के माध्यम से देश के पांच सौ दस शहरों के 742 आयकर कार्यालयों में कम्प्यूटरों को एकल राष्ट्रीय डाटा बेस लिंक से जोड़कर ऑन लाईन आयकर रिटर्न भरने की सुविधा मुहैया कराई जा रही है, जिससे आयकर विभाग में फैले भ्रष्टाचार पर रोक लग सकेगी।

7. जयपुर में पंजीयन विभाग ने आईसीआईसीआई बैंक एवं राजस्थान कॉपरेटिव बैंक में उपलब्ध फ्रेकिंग मशीन के द्वारा ऑनलाईन रजिस्ट्री करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है तथा पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग ने रजिस्ट्री कराने वालों को दलालों से बचने के लिए सभी 34 डीड की जानकारी देने के लिए दस्तावेज के प्रारूप नामक पुस्तिका निकाली है।

8. हाल ही सूचना प्रोद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के एक प्रयास इन प्रस्तावित 100,000 सामान्य सेवा केन्द्रों के माध्यम से छह लाख गांवों तक पहुँचना प्रस्तावित है। यह सामान्य सेवा केन्द्र इंटरनेट कम्प्यूटरों और सूचना व संचार टेक्नोलॉजी के द्वारा निम्न सेवाओं को सुलभ करवाकर ग्रामीण भारत का रूपांतरण करना चाहता है-

ई गवर्नमेंट सेवाएं

शिक्षा

स्वास्थ्य व टेलि-मेडिसिन

वित्तीय सेवाएं

मनोरंजन

http://english.vietnamnet.vn

अध्याय-11

निष्कर्ष

भ्रष्टाचार का अस्तित्व प्रत्येक काल तथा सभी प्रकार के समाजों में रहा है। प्राचीन काल में जब राज्य की गतिविधियां मात्र राजस्व संग्रह, कानून व शांति बनाए रखने तक सीमित थी, भ्रष्टाचार का प्रभाव क्षेत्र सीमित रहा। परंतु लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा ने राज्य के कार्यों व उत्तरदायित्वों में अप्रत्याशित वृद्धि की। फलत: भ्रष्टाचार के नए-नए अवसर तथा रूप विकसित हुए। प्राचीन भारत के जीवन में नैतिक मूल्यों के उच्च स्तर तथा सीमित राजकार्यों के फलस्वरूप भ्रष्टाचार का नगण्य रूप सामने आता है। परंतु कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित राज व्यवस्था यह बताती है कि तत्कालीन प्रशासन में भ्रष्टाचार की तमाम संभावनाएं विद्यमान थी तथा राज्य द्वारा भ्रष्टाचार को रोकने के सभी उपाय कड़ाई से लागू किए जाते थे। मौर्य कालीन प्रशासन व्यवस्था ही अशोक तथा उसके उत्तराधिकारियों के शासन काल में मूलत: विद्यमान रही।

मुगलकाल तक आते-आते भारतीय समाज में विदेशी जातियों का मिश्रण हो चुका था तथा समाज में नैतिकता का स्तर गिरने लगा था। सामंतवादी समाज की व्यवस्था की शुरूआत तथा अकबर द्वारा मनसबदारी प्रथा के आरम्भ में प्रशासन को विकेन्द्रित किया, जिसके फलस्वरूप स्थानीय स्तर पर भारी मात्रा में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला। शेरशाह ने अपनी प्रजा को भ्रष्ट राजकीय कर्मचारियों से बचाने का प्रयास किया। 1757 ई. के बाद धीरे-धीरे अंग्रेज स्थानीय देशी नरेशों पर प्रभाव स्थापित करके उनका अनैतिक तरीकों से आर्थिक शोषण करने लगे। आरम्भ में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभावकाल में भ्रष्टाचार निम्न से उच्च सभी स्तरों पर भयंकर रूप से फैला। 1930 की आर्थिक मंदी ने विश्व स्तर पर भी भ्रष्टाचार के प्रवाह तथा प्रभाव को अत्यधिक बढ़ावा दिया।

1947 ई. से स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भ्रष्टाचार जिन प्रकारों, स्वरूपों तथा कारणों के रूप में उभरा है, वह समाज के प्रत्येक वर्ग को स्पर्श करता है। इसे निम्न रूपों में देखा जा सकता है:

1. प्रशासकीय, 2. व्यवस्थापकीय, 3. राजनैतिक, 4. सामाजिक, 5. आर्थिक

भ्रष्टाचार के कारणों व प्रकारों की सम्पूर्ण सूची बना पाना अत्यंत कठिन है। भ्रष्टाचार इस प्रकार सम्पूर्ण समाज में घुल-मिल गया है कि उसे अलग से पहचान पाना मुश्किल हो जाता है। भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के अन्तर्गत किये जाने वाले अपराधों के कुशलतापूर्वक समाधान तथा सरकारी कर्मचारियों के विरूद्ध मिलने वाली शिकायतों की जांच हेतु राजस्थान में 'राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो' की स्थापना की गई है, इसे 25 फरवरी, 1991 से पूर्व 'भ्रष्टाचार निरोधक विभाग' के नाम से जाना जाता था। इस संस्था के नाम परिवर्तन के साथ ही इसके कार्यक्षेत्र में वृद्धि कर, इसे आर्थिक अपराधों एवं राज्य सरकार द्वारा सौंपे जाने वाले अन्य अपराधों संबंधी अन्वेषण का अतिरिक्त दायित्व भी प्रदत्त किया गया।

अन्वेषण संबंधी कार्यों में सम्बन्धित जांच अधिकारी कानूनी मामलों में तकनीकी सलाह उपलब्ध कराने हेतु ब्यूरो में 1987 में एक अतिरिक्त निदेशक (अभियोजन) के पद का सृजन कर नियुक्ति की गई है। पुलिस विभाग में पदस्थापित योग्य, अनुभवी तथा चरित्रवान पुलिस अधिकारियों को ब्यूरो में आकर्षित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा इन्सेन्टिव स्कीम प्रारम्भ की गई है, जिसके अन्तर्गत अधिकारियों को ब्यूरो में एक पद पदोन्नत देकर लिया जाता है। सन् 1987 में राज्य अन्वेषण ब्यूरो में पदस्थापित नये अधिकारियों को सक्षम बनाने हेतु एक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप न केवल योग्य एवं अच्छे अनुसंधान अधिकारी उपलब्ध हो रहे हैं, बल्कि अन्य सतर्कता संस्थानों को भी अपने अधिकारियों को प्रशिक्षित करने में बहुत अधिक सहायता मिल रही है।

राजस्थान में लोकायुक्त की स्थापना से लेकर अब तक के आंकड़ों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि संस्था धीरे-धीरे अपने कार्य क्षेत्र को प्रभावी बना रही है।

भ्रष्टाचार उन्मूलन हेतु एक विस्तृत तथा सुव्यवस्थित व्यूह रचना की आवश्यकता है। भ्रष्टाचार से समाज का प्रत्येक वर्ग प्रभावित तथा पीड़ित है। अत: इसके उन्मूलन हेतु राजनीतिक तथा सामाजिक रूप से व्यापक प्रयासों की आवश्यकता है। भ्रष्टाचार निरोधन हेतु दो प्रकार की व्यूह रचना तैयार करने की आवश्यकता है। प्रथम प्रकार की व्यूह रचना के तहत दीर्घकालीन प्रयासों की आवश्यकता है। ये प्रयास समाज सुधार की प्रक्रिया के तहत समाज के प्रत्येक व्यक्ति के नैतिक उत्थान के रूप में किये जा सकते हैं। दूसरी प्रकार की व्यूह रचना के तहत भ्रष्टाचार की समस्या से तात्कालिक रूप से निपटने की रणनीति बनाई जाने की आवश्यकता है। सरकार तथा समाज का प्रत्येक वर्ग एक दूसरे को प्रभावित करता है।

मंत्री, उच्चस्तरीय अधिकारी, सचिव यहां तक कि अधीनस्थ अधिकारी, सभी अपने-अपने स्तर व प्रभाव के अनुरूप भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं। अत: मंत्रालयी या विभागीय स्तर पर इनकी जांच हेतु तंत्र का गठन या गृह मंत्रालय को ऐसी शक्तियों का केन्द्रण पर्याप्त नहीं है।

सूचनाओं का प्रकाशन तथा सरकारी नीतियों, निर्णयों व उपलब्धियों का सार्वजनिक तौर

पर प्रकाशन तथा उन पर आम बहस प्रशासन को स्वच्छ बनाने में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। इस संदर्भ में शोधकर्मियों, प्रशासकों व प्रेस को मिलकर कार्य करना चाहिए। गोपनीयता की आड़ में रिपोर्ट छिपाना तथा जांच आयोगों का गुप्त रूप से जांच करना, जनता के साथ अन्याय है। प्रेस पर औद्योगिक घरानों का नियंत्रण है तथा कभी-कभी संपादकों को खरीदे जाने तक की गंभीर शिकायतें भी सामने आती हैं। अत: सरकार को प्रेस की स्वतन्त्रता बनाए रखने तथा पत्रकारों को स्वतन्त्र रूप से कार्य करने में मदद करनी चाहिए।

अत्यधिक नियम व कानूनों की व्यवस्था भी भ्रष्टाचार को जन्म देती है। प्रक्रियात्मक विलम्ब अनुचित राहों को प्रशस्त करते हैं। प्राय: यह कहा जाता है कि प्रशासन पर व्यवस्थापिका का नियंत्रण होना चाहिए। परंतु वे देश जहां प्रशासन पर लोक सेवकों का आधिपत्य होता है, व्यवस्थापिका के नियंत्रण का विरोध किया जाता है। यह माना जाता है कि व्यवस्थापिका का कार्य नीतियों व विधियों का निर्माण करना है जबकि प्रशासन का कार्य उन्हें क्रियान्वित करना है। अत: दोनों के कार्यक्षेत्र अलग-अलग हैं। लोकसेवकों को अत्यंत विलम्बपूर्ण कार्य प्रक्रिया अपनाने से बचना चाहिए। साथ ही समाज व जाति के दबाव से बचने के लिए जहां तक संभव हो, उन्हें समाज में इस प्रकार संबंध विकसित करने से बचना चाहिए।

समाज में दोहरी मूल्य व्यवस्था पाई जाती है। परिवार व जाति के प्रति वफादारी को जहां प्रशंसा की दृष्टि से देखा जाता है, वहीं लोक सेवाएं पक्षपात रहित तथा नियमों के आधार पर गठित होती हैं। अत: मूल्यों व तथ्यों में लगातार संघर्ष की स्थिति को लोक सेवक को सहन करना पड़ता है। ●अत: भ्रष्टाचार उन्मूलन के सभी प्रयासों की सफलता व्यक्तियों पर निर्भर करती है, क्योंकि एक लोक सेवक को भ्रष्ट करने वाले कई व्यक्ति होते हैं।

सर्वोपरी ईमान

ईमान, ईश्वर का वरदान है। ईमान से भरा व्यक्ति यशों का भंडार एकत्र कर लेता है। इसके विपरीत बेईमानी, मक्कारी, धूर्तता ईश्वर का वह अभिशाप है जो अच्छे भले इंसान को पतन के गर्त में ले जाता है। ईमानदार व्यक्ति का मस्तिष्क हमेशा ऊँचा रहता है, जबकि बेईमान का नीचा। इसी क्रम में प्रस्तुत है कुछ अनमोल वचन:

''घर-घर डोलत नीच है, जनु जनु जाचत जाई। दिए लोभ चसमा चखनु, लघु पुलि बड़ी लखाई।'' **- कविवर बिहारीलाल**

''चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिसकी कछु न चाहिए, सोई साहंसाह।''
- संत कबीरदास

''यदि व्यक्ति का हृदय ईमानदारी से भरा हो, तो एक दुश्मन की बिसात ही क्या है? पूरा संसार उसके सामने हथियार डाल देगा।'' **- स्वामी रामतीर्थ**

''पंडित को भी सलाम है और मौलवी को भी, मजहब न चाहिए मुझे ईमान चाहिए।''
- अकबर-बीरबल संवाद

''इंसान अगर लालच को ठुकरा दे और ईमानदारी का जीवन जीए, तो बादशाह से भी ऊँचा दर्जा हासिल कर सकता है। क्योंकि संतोष ही वह महाऔषधि है जो मानव मस्तिष्क को ऊँचा रखती है।'' **- शेखसादी, विचारक**

''आत्मपरीक्षण में ईमानदारी का बोध होने से बड़ा सुख इस धरती पर और कुछ नहीं है।'' - **शेंपियस, चिंतक**

''लालच, छूत की वह बीमारी है जो व्यक्ति को बेईमानी और कदाचार के दलदल में धकेल देती है। बेईमानी की जड़ है लोभ, मोह और लिप्सा।'' **- शरतचन्द्र चटर्जी, साहित्यकार**

लघु कथा

मैंने सुना है अमेरिका, रूस और भारत के राष्ट्रपति भगवान से मिलें। भगवान से बुश ने पूछा- 'प्रभु, मेरे देश से भ्रष्टाचार कब खत्म होगा?' भगवान बोले- 'पूरे साठ साल बाद।' यह सुनकर बुश की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि ये अच्छे दिन देखने के लिए तब तक वे जिंदा नहीं रहेंगे। फिर पुतिन ने यही प्रश्न भगवान से पूछा। भगवान ने कहा- '50 साल बाद।' जवाब सुनकर पुतिन की आंखों में भी आंसू आ गाए। क्योंकि समस्या वही थी। आखिर में डॉ. अब्दुल कलाम ने भगवान से पूछा- 'प्रभु, मेरे देश से भ्रष्टाचार कब खत्म होगा ?' यह सुनकर भगवान की आंखों में आंसू आ गए। इसका मतलब? ज्यादा पैसा, जल्दी पैसा और किसी भी जरिये से पैसा- ये तीनों अंततः दु:ख का कारण बनते हैं।

पैसे को प्यार कीजिए, लेकिन उसी को जो आपने ईमानदारी से कमाया है। जीवन में खूब पैसा कमाना, लेकिन अपनी सेहत को दांव पर लगाकर नहीं। क्योंकि पहला सुख निरोगी काया है। जीवन में सब सुख सुविधाएं हों, लेकिन सेहत भली चंगी नहीं हो तो उन सुख सुविधाओं का क्या औचित्य?

विडम्बना यह है कि व्यक्ति पहले पैसा कमाने के लिए अपना शरीर बिगाड़ता है, फिर शरीर सुधारने के लिए पैसा बिगाड़ता है। अमीर वह नहीं जिसके पास अथाह सम्पत्ति है। बल्कि वह व्यक्ति अमीर है जिसके पास अपने माता-पिता की सेवा करने के लिए समय है। अमीर वह नहीं जो रोज हजारों-लाखों में खेलता है। बल्कि वह है जो बच्चों में बच्चों जैसा

होकर खेलता है। अमीर वह नहीं जो आलीशान बंगले में डनलप के गद्दों पर सोता है। बल्कि वह है जिसे रात को सोने के लिए नींद की गोली और सुबह जागने के लिए घड़ी के अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती। जो संतुष्ट है, वह अमीर है। जिसकी पत्नी सुशील और बच्चे आज्ञाकारी हैं, वह अमीर है। जो सेहतमंद है, जो अक्लमंद है, वह अमीर है।

– मुनी श्री तरूणसागर जी महाराज

‘कट्स’ प्रकाशन

समाचार पत्रिकाएँ (न्यूज लेटर्स)

1. **ग्राम गदर**

   ‘कट्स’ की स्थापना से पूर्व से प्रकाशित मासिक हिन्दी भित्ती पत्र जिसमें विकास योजनाओं, महिला व बाल स्वास्थ्य, उपभोक्ता, पर्यावरण व महिला सशक्तिकरण आदि विभिन्न मुद्दों के समाचार सम्मिलित होते हैं।

2. **आपके नाम चिट्ठी**

   मासिक हिन्दी समाचार पत्रिका जिसमें ‘कट्स’ गतिविधियाँ, सहयोगी संस्थाओं की उपलब्धियाँ, रोचक खबरें आदि प्रकाशित किए जाते हैं।

3. **आगे बढ़नो होसी**

   त्रैमासिक हिन्दी पत्रिका जो कि विशेषकर महिला जागरूकता, अधिकारों व सशक्तिकरण से सम्बन्धित समाचार विभिन्न कार्यकर्ताओं व पाठकों तक पहुँचाती है।

4. **आधार**

   त्रैमासिक हिन्दी पत्रिका जिसमें राजस्थान की आधारभूत सेवाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु सम्बन्धित खबरें प्रकाशित कर पाठकों तक पहुँचाई जाती है।

5. **‘कट्स इन एक्शन’**

   त्रैमासिक अंग्रेजी पत्रिका जिसमें ‘कट्स’ द्वारा की गई सम्पूर्ण गतिविधियों का ब्यौरा संलग्न होता है।

6. **पॉलिसी वॉच**

   नीतियों के निर्धारण व उसके बिगड़ते व बदलते स्वरूप से सम्बन्धित त्रैमासिक अंग्रेजी न्यूजलेटर।

7. पाँचवा स्तम्भ

सरकार की जवाबदेहिता सुनिश्चित करने हेतु बनाई जा रही परियोजना 'प्रशासन की जवाबदेहिता एवं उपभोक्ता जागरूकता' के अन्तर्गत प्रकाशित हिन्दी पत्रिका, जिसके अन्तर्गत भ्रष्टाचार, बालश्रम, सूखा एवं अकाल राहत कार्यक्रम, महिलाएँ, जल प्रबन्ध, कृषि एवं सिंचाई तथा सरकारी घोषणाएँ जैसे मुद्दों पर समाचार प्रकाशित किए जाते हैं।

मोनोग्राफ

1. भूखे पेट भरे गोदाम

'बजट आकलन द्वारा राज्य प्रशासन को जवाबदेह बनाना एवं नागरिक सशक्तिकरण' परियोजना के अन्तर्गत प्रकाशन श्रृंखला की कड़ी में सर्वप्रथम प्रकाशित पुस्तिका 'भूखे पेट - भरे गोदाम' में सीधी सरल भाषा के माध्यम से देश में खाद्यान्न की स्थिति के बारे में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी.ए.जी.) द्वारा प्रस्तुत पिछले दशक की प्रतिवेदन के आधार पर बताया गया है। पुस्तिका में इन तथ्यों पर प्रकाश डाला गया है कि किस तरह देश में आज भी हजारों लाखों लोग भूखे पेट सो जाते हैं, जबकि गोदामों में अन्न की कमी नहीं है। (सहयोगी राशि 30 रुपए)

2. नियति बच्चों कीः त्रासदी जननी की

'बजट आकलन द्वारा राज्य प्रशासन को जवाबदेह बनाना एवं नागरिक सशक्तिकरण' परियोजना के अन्तर्गत प्रकाशन श्रृंखला की कड़ी में प्रकाशित इस पुस्तिका द्वारा राज्य सरकार की एकीकृत बाल विकास सेवाओं का अंकेक्षण किया गया है।
(सहयोग राशि 30 रुपए)

3. अलख जगा है गाँव गाँव में

जल की उपयोगिता एवं उपलब्धता के संबंध में चित्तौड़गढ़ मानव विकास केन्द्र द्वारा जल संरक्षण एवं प्रबंधन पर किये गये प्रयासों की झलक (सहयोग राशि 30 रुपए)

दस्तावेज (अभिलेखीकरण)

1. ऋण मुक्ति आन्दोलन

अंग्रेजी व हिन्दी में प्रकाशित इस दस्तावेज में करीब 800 निर्धन किसानों, महिलाओं तथा विधवाओं को राज्य के विभिन्न राहत कार्यक्रम में से राहत उपलब्ध कराने के अभियान का अभिलेखीकरण ब्यौरा संलग्न है। (#9201, 20 रुपए)

2. पीपल : फिफ्त एस्टेट/एम्पोवरिंग द पुअर

उपभोक्ताओं हेतु भारत व तीसरे देशों में समाजिक आन्दोलन के दिशा निर्देशों पर अंग्रेजी में दस्तावेज । (#8904, 10 रुपए)

3. 'पीपल, पीपल एण्ड पीपल'

गरीबी व जनसंख्या वृद्धि के बीच सम्बन्धों पर अंग्रेजी में दस्तावेज (#8903, 10 रुपए)

4. 'राइट टू लाइफ एण्ड सेफ्टी आन रोड्स'

सड़कों पर वाहन दुर्घटनाओं को कम करने व जीवन के अधिकारों से सम्बन्धित अंग्रेजी में दस्तावेज (#9003, 10 रुपए)

5. बी.वी.ओ. - अ बिगर रिपऑफ देन बोफोर्स

शीतलपेय में प्रयोग किए जाने वाले हानिकारक 'ब्रोमीनेटेड वेजीटेबल ऑयल' के विरुद्ध 'कट्स' के अभियान का अंग्रेजी में अभिलेखीकरण (#9004, 30 रुपए)

6. 'कारपेट्स एट वाट कॉस्ट'

बाल श्रमिकों के द्वारा तैयार गलीचों का बहिष्कार करने के संबंध में अभियान पर अंग्रेजी में दस्तावेज। (#9303, 20 रुपए)

7. अभिलेखीकरण अभ्यास

हिन्दी व अंग्रेजी में प्रकाशित पुस्तक, जिसमें 'कट्स' द्वारा कार्यकलापों व सहयोगी संस्थाओं के लिए अभिलेखीकरण पर अभ्यास का दस्तावेजीकरण है।

8. ग्रासरूट एडवोकेसी ऑन हैल्थ

वर्ष 1993 में 'कट्स' द्वारा संचालित मातृ एवं शिशु कल्याण परियोजना के परिणामों का अंग्रेजी भाषा में अभिलेखीकरण।

9. 'हाऊ कन्ज्यूमर फ्रेन्डली आर द वाटर सप्लाई पाईप्स'

पेयजल आपूर्ति हेतु निर्मित पाईप किस स्तर तक उपभोक्ता अनुकूल है, पर 'कट्स' के अभियान का अंग्रेजी भाषा में अभिलेखीकरण। (सहयोग राशि 15 रुपए)

10. **'ट्वन्टी ईयर्स ऑफ कट्स' (कट्स के बीस वर्ष)**
वर्ष 1983-2003 तक 'कट्स' की गतिविधियों का अंग्रेजी में सम्पूर्ण विवरण।

11. **'स्टेट ऑफ द इण्डियन कन्ज्यूमर'**
'कट्स' द्वारा उपभोक्ता कल्याण कोष की सहायता से संचालित परियोजना के द्वारा भारत में उपभोक्ता संरक्षण, 1985 के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के दिशा निर्देशों के समावेश का आकलन। (#0103, 200 रुपए)

12. **'वूमन एज डिस्एडवान्टेज कन्ज्यूमर्स' (महिलाएँ एक अलाभकारी उपभोक्ता के रूप में)**
महिलाओं के अलाभकारी उपभोक्ता के रूप में पर अध्ययन अंग्रेजी व हिन्दी में।
(#9812, 15 रुपए)

13. **'वाटरः वाट आर आवर राईट्स'**
पानी से सम्बन्धित विभिन्न सरकारी स्तर पर कानून व दस्तावेज। अंग्रेजी में विवरण (#9811, 15 रुपए)

14. **'कोप्रा एण्ड द सुप्रिम कोर्ट'**
लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से विभिन्न उपभोक्ता मुद्दों/विषयों पर उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए नीतिगत निर्णयों का अंग्रेजी में अभिलेखीकरण (#9906, 15 रुपए)

15. **नम्बर्स एट वाट कॉस्ट**
परिवार कल्याण के अन्तर्गत नसबन्दी कराएं जाने के बाद हुई कई महिलाओं की मृत्यु तथा असफल नसबन्दियों का अंग्रेजी में सम्पूर्ण ब्यौरा।
(ISBN: 81-87222-34-4, 100 रुपए)

16. **भ्रष्टाचारः एक नजर**
'बजट आकलन द्वारा राज्य प्रशासन को जवाबदेह बनाना एवं नागरिक सशक्तिकरण' परियोजना के अन्तर्गत प्रकाशित 'भ्रष्टाचारः एक नजर' एक ऐसे दस्तावेज के रूप में प्रयास है, जिसके माध्यम से भ्रष्टाचार से मुकाबला करने की संभावनाओं का चित्रण किया गया है। पुस्तक में 'कट्स' द्वारा भ्रष्टाचार के मुद्दे पर दस्तावेजों के साथ बहस

का मुद्दा बताया गया है और इसी विचार की परिणिति में इस पुस्तक का प्रकाशन है। (सहयोग राशि 50 रुपए)

कार्यक्रम प्रतिवेदन

1. **'वान्टेडः सोशल आडिट' (सामाजिक अंकेक्षण चाहिए)**
दिसम्बर 1993 में चित्तौड़गढ़ में समाजिक अंकेक्षण पर राष्ट्रीय कार्यशाला पर द्विभाषीय प्रतिवेदन। (#9401, 30 रुपए)

2. **'एजूकेटिंग एन.जी.ओ. आन पोपूलेशन'**
'जनसंख्या विषय पर स्वयंसेवी संगठनों को शिक्षित करना' विषय पर 4-5 मार्च, 1993 को चित्तौड़गढ़ में आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला पर द्विभाषीय प्रतिवेदन। (#9403, 30 रुपए)

मार्गदर्शिकाएं

1. **'इलेक्ट्रीसिटी - ए गाईड फॉर कन्ज्यूमर्स'**
विद्युत समस्याओं पर उपभोक्ताओं के लिए हिन्दी व अंग्रेजी में मार्गदर्शिका (#9504, 10 रुपए)

2. **'ड्रिकिंग वाटर - ए गाईड फॉर कन्ज्यूमर्स'**
पेयजल समस्याओं पर उपभोक्ताओं के लिए हिन्दी व अंग्रेजी में मार्गदर्शिका (#9505, 10 रुपए)

3. **'पब्लिक ट्रांसपोर्ट - ए गाईड फॉर कन्ज्यूमर्स'**
लोक परिवहन समस्याओं पर उपभोक्ताओं के लिए हिन्दी व अंग्रेजी में मार्गदर्शिका (#9506, 10 रुपए)

4. **'मेडिकल नेंग्लिजेंस - ए गाईड फॉर कन्ज्यूमर्स'**
चिकित्सीय लापरवाही मामलों से कैसे निबटा जाए पर उपभोक्ताओं के लिए हिन्दी व अंग्रेजी में मार्गदर्शिका (#9509, 10 रुपए)

5. **'सूचना ही शक्ति है'**
ग्रामीण स्तर के कार्यकर्ताओं के लिए उनके विभिन्न अधिकारों के बारे में विस्तृत जानकारी हिन्दी में (#9102, 30 रुपए)

6. **'टेन पर्सेन्ट सिटीजनशिप' (दस प्रतिशत नागरिकता)**
नागरिकों को उनकी नागरिकता को लेकर जागरूक होने के लिए उकसाने का प्रयास, अंग्रेजी में (#9302, 20 रुपए)

7. **'प्रिस्क्रीप्शन ऑडिट एनालिसिस' (दवाई पर्ची अंकेक्षण)**
'कट्स' द्वारा देश के विभिन्न शहरों में डाक्टरों द्वारा दवाई पर्चियों पर अंकेक्षण का प्रतिवेदन अंग्रेजी में (#9601, 30 रुपए)

8. **प्रतिस्पर्धा नीति एवं कानून का सरल रूप**
बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ता के लाभों का दिग्दशन एवं उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता पैदा करना और उसके लिए बने कानूनों का परिचय
(सहयोग राशि 20 रुपए)

9. **अधिकार उपभोक्ता का, राह कानून की (हिन्दी) व हाउ टू सर्वाइव एज ए कन्ज्यूमर (अंग्रेजी)**
द्विभाषीय पुस्तक ऐसी श्रृंखला की कड़ी है जिसका कि शीर्षक 'केविए एम्पटर' या 'अधिकार उपभोक्ता का, राह कानून की' रखा गया है। लैटिन शब्द 'केविएट एम्पटरा' अंग्रेजी शब्द 'Buyers Beware' (खरीददार होशियार रहें) का पर्यायवाची है। इस पुस्तक का लक्ष्य उपभोक्ताओं के हित में बहुत से उद्देश्यों को पूर्ण करना है।
(सहयोग राशि 100 रुपए)

प्रशिक्षण दस्तावेज

1. **'रीचिंग आऊट'**
संचरण दक्षता बढ़ाने के लिए दस्तावेज, अंग्रेजी में (#9604, 100 रुपए)

2. **'रीचिंग जस्टिस'**

उपभोक्ता या विभिन्न कानूनों की जानकारी पर दस्तावेज, अंग्रेजी में (#9703, 100 रुपए)

3. **'ए न्यू जनरेशन'**

'कट्स' द्वारा 'उपभोक्ता आंदोलन के लिए नई पीढ़ी' विषय पर आयोजित कार्यशालाओं का सम्पूर्ण अभिलेखीकरण, अंग्रेजी में (#9606, 100 रुपए)

4. **'माईल्स टू गो बिफोर वी स्लीप'**

'कट्स' द्वारा वर्ष 1985 से 1997 तम आयोजित स्टाफ रिट्रीट का विवरण तथा 'कट्स' के तीन केन्द्रों के मिशन पत्र व उनकी गतिविधियां, अंग्रेजी में।

सार पत्र (हिन्दी)

1. **संविधान तक पहुँच- एक उपेक्षित अधिकार**
2. **नागरिक अधिकार पत्र - आर्थिक सुधारों की ओर पहल**
3. **राजस्थान के विद्युत क्षेत्र में सुधार**
4. **पूंजी बाजार पर निवेशक शिक्षा**
5. **पृथ्वी के शिखर से जड़मूल तक**

सार पत्र (अंग्रेजी)

6. **कैलीफोर्निया एनर्जी क्रायसिस एण्ड लैसन्स फॉर इंडिया**
7. **इन्वेस्टर एजूकेशन ऑर केपिटल मार्केट**

आर्डर फार्म

पुस्तक का नाम	संख्या	राशि
1.	....	....
2.	....	....
3.	....	....
4.	....	....
5.	....	....
6.	....	....
7.	....	....
8.	....	....
9.	....	....
10.	....	....

पुस्तकों की कुल कीमत रु.. ....

डाक व्यय ....कुल राशि ....

मैं उपरोक्त आर्डर हेतु ....की संख्या का बैंक ड्राफ्ट/मनीआर्डर/चैक संख्या ....
बैंक के नाम का.........................की कुल राशि का संलग्न कर भेज रहा हूं।

सभी प्रकार का भुगतान 'कट्स' के नाम से ही करें ।

CUTS International

कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी

डी-217, भास्कर मार्ग बनीपार्क, जयपुर-302016

फोन : 0141-2282821, फेक्स : 0141-2282485

वेबसाइट : www.cuts-international.org, ई-मेल : cuts@cuts.org

कृपया भेजें-

नाम ______________________________

पद ____________ मान्यता ____________

पता ______________________________

____

शहर/जिला/देश ____________ पिनकोड ____________

दूरभाष ____________ फेक्स ____________ ई-मेल ____________

कृपया नोट करें :

कीमत : कृपया प्रत्येक प्रकाशन के आगे मूल्य अंकित को देखें। बिना मूल्य के प्रकाशन मात्र वितरण के लिए हैं।

मूल्य के साथ 25 प्रतिशत डाक व्यय भी जोड़ें।

कट्स सेन्टर फॉर कन्ज्यूमर एक्शन, रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग (कट्स-कार्ट)

सन् 1996 में राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर में अपनी स्थापना से ही केन्द्र, धरातल स्तर पर उपभोक्ता मुद्दों एवं समुदाय आधारित कार्यक्रम संचालित कर रहा है। सम्पूर्ण दृष्टि से केन्द्र के विभिन्न कार्यक्रमों के निम्न मुख्य ध्येय हैं:

- उपभोक्ता सूचना एवं पैरवी
- उपभोक्ता संरक्षण एवं प्रशिक्षण
- सुशासन एवं सामाजिक सुरक्षा
- जनोपयोगी सेवाओं में सुधार (विद्युत व पानी)
- सड़क सुरक्षा
- निवेशक शिक्षा व संरक्षण
- सतत् विकास एवं उपभोग
- शोध कार्य

CUTS International

CUTS - CART

कट्स सेन्टर फॉर कन्ज्यूमर एक्शन रिसर्च एवं ट्रेनिंग
डी-222, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016, फोनः 91-141-2282821, 5133259, फेक्सः 91-141-2282485
वेबसाईटः www.cuts-international.org, ई-मेलः cart@cuts.org/cuts@cuts.org